स्मारिका

वयं रक्षामः

भारत रक्षा मंच

Save India Forum

भारत रक्षा मंच

मुखर हिंदू
प्रखर राष्ट्र

बिगड़ता जनसांख्यिकीय स्वरूप

दिल्ली प्रदेश

बेमिसाल 4 साल रहा सबका ख्याल

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

स्वच्छता ही सेवा 2018

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

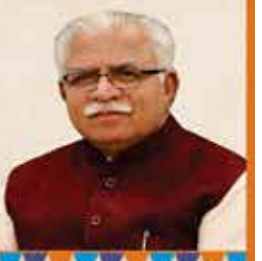

मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा

हरियाणा नम्बर 1

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में

स्वच्छ ग्राम स्वच्छ जिला

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018

"स्वच्छता क्षेत्र में हरियाणा राज्य को केन्द्र द्वारा सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मैं हरियाणा की जनता को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान के आह्वान को हरियाणा की जनता द्वारा आन्दोलन का रूप दिए जाने के परिणामस्वरूप ही यह सम्भव हो सका है।" **मनोहर लाल**, मुख्यमंत्री, हरियाणा

स्वच्छता क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले देश के छः जिलों में हरियाणा के **गुरुग्राम, करनाल व रेवाड़ी** शामिल

स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम

22 जून, 2017 को ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौचमुक्त घोषित।

अब हरियाणा ओ.डी.एफ. प्लस की तरफ अग्रसर।

प्रदेश में 6,205 गांवों में कुल 28,81,494 व्यक्तिगत तथा 1,439 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण।

1,372 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं स्वीकृत।
631 ठोस तथा 414 तरल कचरा प्रबन्धन प्रणाली का कार्य पूर्ण।

स्वच्छ हरियाणा
स्वस्थ हरियाणा

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा www.prharyana.gov.in

वयं रक्षामः

भारत रक्षा मंच

Save India Forum

स्वत्व गीत

हिंदू जगे तो विश्व जगेगा।
मानव का विश्वास जगेगा।
भेदभाव का तमस हटेगा।
समरसता अमृत बरसेगा।

हिंदु सदा से विश्वबंधु है, जड़ चेतन अपना माना है।
मानव,पशु, तरु,गिरी , सरिता में, एक ब्रह्म को पहचाना है।
जो चाहे जिस पथ से जाए, साधक क्रेंद्र बिंदु पहुंचेगा।
हिंदू जगेगा .....

इसी सत्य को विविध पक्ष से, वेदों में हमने गाया था।
निकट बिठाकर इसी सत्य को, उपनिषदों में समझाया था।
मंदिर-मठ गुरुद्वारे जाकर, यही ज्ञान सत्संग मिलेगा।
हिंदू जगेगा .....

इस पावन हिंदुत्व सुधा की, रक्षा प्राणों से करनी है।
जग को आर्यशील की शिक्षा, निज जीवन से सिखलानी है।
द्वेष त्वेष भय सभी मिटाने पांचजन्य फिर से गूंजेगा।
हिंदू जगेगा .....

भारत की है क्या पहचान– हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान

भारत रक्षा मंच

मार्गदर्शक

सूर्यकांत केलकर
राष्ट्रीय संयोजक, भारत रक्षा मंच

रघुनंदन शर्मा
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत रक्षा मंच

संपादक

डॉ. प्रदीप कुमार सिंघल

संपादक मंडल

सत्य प्रकाश त्रिपाठी
जितेंद्र बजाज
शशांक चोपड़ा
लोकेश शर्मा
महेश ढौण्डियाल

शोध एवं संपादन

संजय तिवारी
सच्चिदानंद

सज्जा

चंद्रजीत कुमार

प्रकाशक

भारत रक्षा मंच
पंजी. न. 1006-2011, नई दिल्ली

कार्यालय
524, वी.पी. हाउस, नई दिल्ली-110001

फोन : 9811300176

मुद्रक : ग्राफिक प्रिंट,
प्लाट नं. 383, पटपड़गंज इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली

स्मारिका में छपे समस्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं। संपादक मंडल एवं संस्था का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। न्यायक्षेत्र दिल्ली।

अनुक्रमणिका

20 भारत में जनसंख्या वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

28 सांसदों की राष्ट्रपति से गुहार

36 जनसंख्या समीकरण में बदलाव के नतीजे

42 भारत में जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या

48 बढ़ती जनसंख्या : समाधान और जागरूकता

51 बांग्लादेशी घुसपैठियों की नब्ज का इलाज

56 यह वृद्धि स्वाभाविक या इस्लामिक साजिश

58 पश्चिम बंगाल का बदला जनसंख्या चरित्र

62 Population versus progress & prosperity: Isn't India caught in Malthusian Trap?

68 धर्म की राजनीति यानी धार्मिक बढ़ावा

72 अंग्रेजी ईसाइयत के निशाने पर पंजाबी हिंदू-दलित

76 सेवा की आड़ में धर्मांतरण

78 अनुपातिक असंतुलन के लिए नियंत्रण कानून

82 कहीं राह का रोड़ा न बन जाए जनसंख्या वृद्धि

86 हिंदुओं के लिए घातक क्रिप्टो-क्रिश्चियन

91 बढ़ती मुस्लिम आबादी के दौर में देश का भविष्य

95 जनसंख्या असंतुलन से बाहर निकलने की दिशा

98 Demographic invasion of India poses a severe threat of Islamic terror

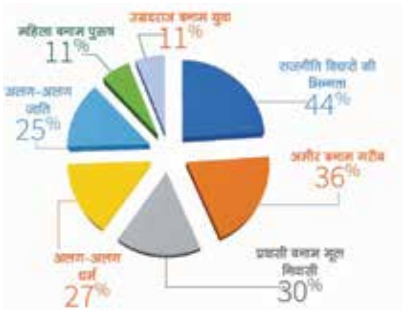

102 बांग्लादेशी घुसपैठः एकमात्र समाधान है अपडेटेड एनआरसी

108 पुराने कोढ़ का ईलाज करे सरकार

संपादकीय

.....ताकि वक्त रहते हम चेत जाएं

अपने देश की जनसंख्या में भारी बढोतरी और उसके बीच धर्मिक असंतुलन इन दिनों गंभीर समस्या है। भारत की जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ थी, जबकि 2011 की जनगणना में यह बढ़कर करीब 122 करोड़ हो गई। भारत का कुल सतह क्षेत्र पूरे विश्व का 2.4 फीसदी है, जबकि हमारी जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या का 17.5 फीसदी है। इस वृद्धि का हमारे आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके चलते बेरोजगारी, आतंकवाद और अराजकता जैसी समस्याओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जनसंख्या विस्फोट की वजह से कपड़ा, रोटी और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों से यहां का एक बड़ा तबका वंचित है। लिहाजा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए तत्काल कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

दूसरे, जनसंख्या से उत्पन्न धार्मिक असंतुलन भी अहम चिंता का विषय है। वर्ष 1951 की जनगणना में हिंदू 84 फीसदी, मुसलमान 9.8 फीसदी और ईसाई 2.3 फीसदी थे। मगर वर्ष 2011 में हिंदू 79.8, मुसलमान 14.23 और ईसाई 2.3 फीसदी हो गए। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार 24.6 फीसदी रहा तो हिंदुओं की वृद्धि दर मात्र 16.8 फीसदी ही। इसके अलावा बड़ी तादाद में मुस्लिम घुसपैठिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार से एक योजनाबद्ध तरीके से निरंतर सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं।

आने वाले कुछ वर्षों में भारत में पुनः मुस्लिम जनसंख्या 20 फीसदी होने वाली है। लिहाजा बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या के चलते आने वाले समय में भारत को इस्लामिक देश बनाने की मांग उठाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहास के पन्नों को पलटने से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

इन घुसपैठियों को अपने देश के कथित सेक्युलरवादी तत्वों की सिफारिश पर भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र मिल गए हैं। यह संख्या तकरीबन 4 से 5 करोड़ है। ऐसे हालात में जरूरी है कि असम की तर्ज पर भारत में नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन (एनआरसी) के जरिए ऐसे घुसपैठियों को पहचान कर उनका नागरिकता प्रमाण-पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाए। साथ ही उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होना नितांत आवश्यक है। मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ने का एक अन्य अहम कारण बड़े पैमाने पर जारी हिंदुओं का धर्मांतरण भी है। ऐसे माहौल में धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने इतिहास से सीखने की जरूरत है कि स्वतंत्रता मिलने से पहले ही भारत का विभाजन महज इसलिए हुआ, क्योंकि उस समय मुस्लिम आबादी तकरीबन 20 फीसदी थी। लिहाजा मुस्लिम नेता धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाने में कामयाब रहे।

आने वाले कुछ वर्षों में भारत में पुनः मुस्लिम जनसंख्या 20 फीसदी होने वाली है। लिहाजा बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या के चलते आने वाले समय में भारत को इस्लामिक देश बनाने की मांग उठाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहास के पन्नों को पलटने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। तभी तो महज 1400 साल के कालखंड में आज दुनिया भर में 57 इस्लामिक राष्ट्र मौजूद हैं। जनसंख्या के आधार पर ईसाइयों की जनसंख्या 2011 की जनगणना में ऊपरी तौर पर स्थायी तो दिखाई देती है, लेकिन तकरीबन 4.2 फीसदी प्रच्छन्न (क्रिप्टो) ईसाई हैं, जो बाहरी तौर पर अपने आप को हिंदू दिखाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ईसाई परंपराओं का निर्वहन करते हैं। इस तरह के धार्मिक असंतुलन का भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं आदर्शों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लिहाजा इस पर समय रहते अंकुश की जरूरत है।

इस स्मारिका में देश के नामचीन विचारकों, लेखकों और बुद्धिजीवियों ने इस अहम खतरे की ओर इंगित करते हुए देश का ध्यान आकर्षित कराने के मकसद से अपने विचार रखे हैं। वास्तव में इस स्मारिका का उद्देश्य ही भारतीय जनमानस में इस गंभीर समस्यायों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता लाना है, ताकि भारतीय समाज समय रहते चेत जाए और उसके लिए जवाबदेह सरकार आवश्यक व कठोर कदम उठाने में कतई संकोच न करे।

शुभकामनाओं के साथ,

(डॉ. प्रदीप कुमार सिंघल)

आबादी असंतुलन खतरनाक

श्री रघुनंदन शर्मा
राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत रक्षा मंच

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप भारत वर्ष में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या तथा उससे उत्पन्न सामजिक असंतुलन जैसे अत्यंत गम्भीर विषय को लेकर एक स्मारिका प्रकाशित कर रहें हैं। यह शाश्वत सत्य है कि भारत का विभाजन जनसँख्या के असंतुलित सामाजिक क्षेत्रों के निर्माण से ही हुआ है। जहां-जहां भी हिंदू समाज की जनसंख्या थोड़ी न्यून थी वहां-वहां से देश को बाँटने की आवाज ही नहीं, मांग उठी। मुस्लिम समाज तथा उसके नेता और उनके संगठनों ने स्पष्ट कहा कि हम हिन्दुओं के साथ नहीं रह सकते। हमें अलग भूमि चाहिए, हमारा देश अलग होगा, जिस देश में हिंदू रहते हैं, हम उस देश में नहीं रहेंगे। सत्ता के लालच में तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने बंटे हुए भारत को लेने की अंग्रेजों को स्वीकृति दे दी। अंग्रेज गये तो हिंदू भारत और मुस्लिम भारत ऐसे देश के दो भाग करके चले गये। भारत का वह भाग जहाँ मुसलमानों की संख्या थोड़े ज्यादा थी, उसका नाम पाकिस्तान पड़ा जो मुसलमानों का अलग देश हो गया। यह सूर्य के प्रकाश के समान सत्य था कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। किन्तु देशहित की समझ न होने तथा दूरदर्शिता के अभाव में तत्कालीन नेताओं ने आबादी की अदला-बदली के प्रस्ताव को नहीं माना। जो अल्पसंख्यक हिंदू पाकिस्तान वाले भाग में थे, उन्हें भारत में आना था तथा भारत में रहने वाले मुसलमानों को, पाकिस्तान में जाना था, यह विभाजन का न्याय जनित सिद्धांत था। दुर्भाग्य से अदूरदर्शी सत्तालोलुप नेताओं ने देश विभाजन को तो माना परन्तु आबादी की अदला-बदली नहीं मानी। पाकिस्तान से तो अधिकांश हिंदू खदेड़ दिये गये किन्तु हिन्दुस्तान से मुसलमानों को जाने से कांग्रेसी नेताओं की अंधी उदारता ने रोक लिया।

स्वतंत्र भारत के संविधान के 'धर्म निरपेक्ष' होने का डंका तो पीटा किन्तु धर्म के आधार पर कानून भी बना दिये। धर्म के आधार पर कानून की समानता के बजाए, कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि इस्लामी कानूनों को मानते हुए यह समाज भारत में रहेगा। उन्होंने धर्म निरपेक्षता के विपरीत यह आचार-विचार संविधान में स्थापित कर दिया। इसके आधार पर मुसलमान चार विवाह तथा चालीस बच्चे पैदा करने के अधिकारी हो गये। इससे स्वतंत्र भारत में मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। जहां पाकिस्तान में विभाजन के समय 15% हिंदू थे, वे घट कर आज 1.5% रह गये हैं। वहीं भारत में वे 9.8% से बढ़कर 14.23% हो गये, पूर्वी पाकिस्तान में जहां हिंदू 32% थे, वहां घटकर आज 8% रह गये। दोनों पाकिस्तान (अब एक बंगलादेश) इस्लामी राष्ट्र और हम धर्म निरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों के अलग कानूनों को मान्यता देकर धर्म निरपेक्षता की मजाक उड़ा रहे है।

क्या इन सत्तर वर्षों में दुनिया के या भारत के मुसलमानों की मानसिकता में अंतर आया? क्या वे उदार धार्मिक हो गये? अपितु दुनिया भर में और भारत में वे अब अधिक कट्टर, असहिष्णु तथा धर्मान्ध होते जा रहे हैं। जनसंख्या का यह सामाजिक असंतुलन, धार्मिक असंतुलन में बदलकर कब भारत से अलग होने की मांग कर उठेगा? कोई नहीं कह सकता। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, धार्मिक आधार पर जनसख्या बढ़ाने की इस छूट का असंतुलन भावी देश विभाजन का षड्यंत्र है। इसे देशवासी जितना जल्दी समझेंगे, उतना देश का भला होगा। इस जनसँख्या वृद्धि के असंतुलन से उत्पन्न होने वाले पाप को रोकने के लिए समान आचार संहिता की आवश्यकता है। इस राष्ट्रहित को मुखर होकर, हिंदू समाज को, राजनेताओं को बताने की आवश्यकता है। यह दायित्व अब देशभक्तों को ही स्वीकार करना पड़ेगा। स्मारिका के प्रकाशन की सफलता हेतु मेरी शुभकामनाएं।

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, धार्मिक आधार पर जनसंख्या बढ़ाने की इस छूट का असंतुलन भावी देश विभाजन का षड्यंत्र है। इसे देशवासी जितना जल्दी समझेंगे, उतना देश का भला होगा। इस जनसंख्या वृद्धि के असंतुलन से उत्पन्न होने वाले पाप को रोकने के लिए समान आचार संहिता की आवश्यकता है।

जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है

श्री सूर्यकांत केलकर
राष्ट्रीय संयोजक, भारत रक्षा मंच

सीमित संसाधन और बढ़ती हुई जनसंख्या, इन्हीं दो करणों से विश्व-युद्ध हुए हैं। यही नहीं हिटलर का भी ऐसा मानना था कि बढ़ती हुई जनसंख्या को ठीक से रहने के लिए आसपास के देशों की जमीन चाहिए। यह सोचते हुए ही उसने अपनी जनसंख्या की ताकत के बल पर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। इसीलिए विश्वयुद्ध के बाद यूएनओ ने जनसंख्या नियंत्रित करने को कहा था, जिसे दुनिया के प्रायः देशों ने अपनाया था।

भारत ने भी स्वाधीनता के बाद इसे बखूबी अपनाया। कारण, स्वाधीनता के समय ही भारत ने अपना विभाजन देखा था, जो मुस्लिम वर्ग की बेतहाशा जनसंख्या का दुस्परिणाम था। मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में अन्य वर्गों के साथ मारकाट बहुत ज्यादा हुई। तब जिन्ना ने कहा था कि मुसलमान भारतीयों से अलग हैं, इसलिए जनसंख्या के अनुसार उन्हें अलग देश चाहिए। उन्होंने तो जनसंख्या की अदला-बदली की भी बात कही थी। उनका कहना था कि सारे हिंदू हिंदुस्तान चले जाएं और मुस्लिम पाकिस्तान में आ जाएं। यह अदला-बदली शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकती थी, किंतु सेकुलरी नशे में चूर भारत के कथित दूरदर्शी घमंडी नेताओं ने इस सुझाव को नकार दिया। परिणामस्वरूप पाकिस्तान में तब से लेकर आज तक हिंदुओं का नरसंहार जारी है। 1951 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान में 15 फीसदी हिंदू थे और पूर्वी पाकिस्तान 32 फीसदी। लगातार हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के चलते वर्ष 2011 में पाकिस्तान में मात्र एक फीसदी हिंदू रह गए तो तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्ला देश में आंकड़ा 8 फीसदी पर आ गया। यह स्थिति देखने के बाद भी भारतीय नेता इस अहम तथ्य को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं।

भारत ने स्वाधीनता के बाद जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई और परिवार नियोजन को लागू करने का अच्छा प्रयास किया, किंतु मुस्लिम समाज ने धर्म की आड़ में परिवार नियोजन को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। फिर भी अपने देश की सेकुलरी नीति उनकी समर्थक बनी रही। मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने परिवार नियोजन का बड़ा अभियान वर्ष 2012 में सफलतापूर्वक चलाया था। इस दौरान हर जिले में पांच हजार से अधिक नसबंदी ऑपरेशन हुए, जिसमें मुस्लिम आबादी की भागीदारी नगण्य रही। भारतीय नेताओं ने पहले 1947 में हिंदुओं को कटवाया और अब मुस्लिमों को आबादी बढ़ाने की अप्रत्यक्ष इजाजत देकर मुस्लिम लीग के इस नारे को बल दिया जा रहा है, 'लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान।'

मुस्लिम समाज में चार शादियां और अनेक बच्चों का चलन आम बात है। वास्तव में यह भारतीय लोकतंत्र के जरिए देश को जीतने की साजिश है। कहने का आशय यह है कि जिसकी समुदाय की संख्या ज्यादा होगी, वही देश पर राज करेगा। इस तरह भारत अगर मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो देश में न तो सेकुलरी नेता रहेंगे, न लोकतंत्र और न ही शांति स्थापना हो सकेगी। इसलिए आवश्यक है कि देश में न केवल समान नागरिक कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, बल्कि उसे कठोरता के साथ लागू भी किया जाए। तीसरा बच्चा पैदा होने पर सरकारी सुविधाएं छीन लेना मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरा बच्चा पैदा होने के साथ ही अनिवार्य नसबंदी का प्रावधान किया जाए। तभी देश में लोकतंत्र और भारतीय संस्कृति कायम रह सकेगी।

भारत अगर मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो देश में न तो सेकुलरी नेता रहेंगे, न लोकतंत्र और न ही शांति स्थापना हो सकेगी। इसलिए आवश्यक है कि देश में न केवल समान नागरिक कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, बल्कि उसे कठोरता के साथ लागू भी किया जाए।

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH

सत्यमेव जयते

गृह मंत्री
भारत
नई दिल्ली-110001
HOME MINISTER
INDIA
NEW DELHI-110001

दिनांक : 22.08.2018

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि **भारत रक्षा मंच** द्वारा **'बिगड़ता जनसांख्यिकी स्वरुप'** नामक विषय पर स्मारिका प्रकाशित की जा रही है।

जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या असंतुलन आज देश की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। निरन्तर जनसंख्या वृद्धि एवं असंतुलन के कारण देश के सीमित संसाधनों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप अनेक गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है। जनसंख्या वृद्धि एवं इसके असंतुलन के दुष्परिणामों एवं खतरों के प्रति आज देश की जनता को जागरूक करने की अत्यंत आवश्यकता है।

मैं भारत रक्षा मंच द्वारा प्रकाशित की जा रही स्मारिका से जुड़े बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूं तथा इसके सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

(राजनाथ सिंह)

Office : Room No. 104, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110 001
Tel. : 23092462, 23094686, Fax : 23094221
E-mail : hm@nic.in

मनोहर लाल
MANOHAR LAL

सत्यमेव जयते

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Dated 25-1-2019

संदेश

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि भारत रक्षा मंच द्वारा "जनसंख्या वृद्धि एवं असंतुलन : वर्तमान परिस्थिति से भावी संकेत" विषय पर स्मारिका प्रकाशित की जा रही है।

"जनसंख्या वृद्धि एवं असंतुलन : वर्तमान परिस्थिति से भावी संकेत" जैसे महत्त्वपूर्ण एवं ज्वलंत विषय पर स्मारिका प्रकाशित करने के लिए भारत रक्षा मंच परिवार बधाई का पात्र है।

जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या असंतुलन, दोनों ही एक गंभीर समस्या है। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, चोरी–चकारी जैसी समस्याएं तो सामने आती ही हैं साथ ही यह समाज और देश की तरक्की में भी बाधा उत्पन्न करती है। ऐसे में लोगों को बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों से अवगत करवाना और उन्हें इसके प्रति जागरुक रवैया अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है।

भारत रक्षा मंच जैसी संस्थाओं द्वारा समय–समय पर स्मारिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करके जनमानस में चेतना फैलाना एक सराहनीय प्रयास है। मुझे आशा है कि स्मारिका को अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी ।

मैं स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

(मनोहर लाल)

नितिन गडकरी
NITIN GADKARI

सत्यमेव जयते

मंत्री
जल संसाधन,नदी विकास,गंगा संरक्षण,
सड़क परिवहन,राजमार्ग एवं पोत परिवहन
भारत सरकार
Minister
Water Resources
River Development,Ganga Rejuvenation,
Road Transport,Highways and Shipping
Government of India

संदेश

यह बहुत हर्ष का विषय है कि भारत रक्षा मंच (दिल्ली प्रदेश) द्वारा "जनसंख्या वृद्धि एवं असंतुलन: वर्तमान प्रस्थिति से भावी संकेत" विषय पर स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

भारत रक्षा मंच (दिल्ली प्रदेश) द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। मैं मंच से जुड़े सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इस स्मारिका के प्रकाशन से समाज के अधिसंख्य लोग जनसंख्या वृद्धि एवं असंतुलन जैसी गंभीर समस्या के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील होंगे।

स्मारिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(नितिन गडकरी)

दिनांक: 17 जनवरी, 2019
स्थान: नई दिल्ली

Room No. 210, Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110 001
Tel. : WR,RD&GR (011) 23711780, 23714663, 23714200, Fax : (011) 23710804
Tel. : RTH&S (011) 23711252, 23710121, Fax : (011) 23719023
E-mail : minister-mowr@nic.in, nitin.gadkari@nic.in

बेमिसाल 4 साल रखा सबका ख्याल

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

हरियाणा में व्यापार के लिए नये आयाम

रैड टेप से रैड कारपेट की ओर

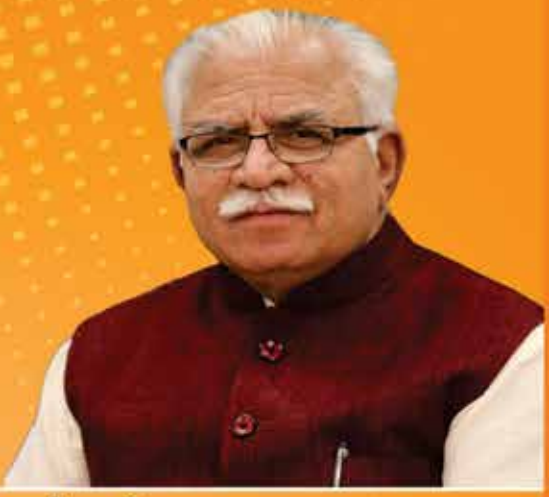

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

हरियाणा नम्बर 1

ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस में उत्तरी भारत के राज्यों में

तथा देश में तृतीय स्थान पर

डी.आई.पी.पी. तथा विश्व बैंक द्वारा जारी रैंकिंग, 2017–18 के अनुसार

"मैं, सभी निवेशकों, उद्योगपतियों एवं अन्य हितधारकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हरियाणा को ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस में अग्रणी राज्य बनाने में निरंतर सहयोग दिया है।"

विपुल गोयल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हरियाणा

www.investharyana.in

वैधानिक समर्थन के साथ एक ही छत के नीचे समाधान

- 74 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं
- क्लियरेंस/सेवाएं अधिकतम 45 दिनों के भीतर स्वीकृत
- आवेदन करने के पश्चात 45 दिन के बाद डीम्ड क्लियरेंस
- कार्य की वास्तविक स्थिति जानने हेतु डैशबोर्ड
- उपस्थिति के बिना ही त्वरित क्लियरेंस

अनुकरणीय सुधार

- इंस्पेक्टर राज से मुक्ति
- बिजली और पानी जैसे उपयोगी कनेक्शन प्राप्त करने की **प्रक्रिया का सरलीकरण**
- संचालन एवं स्थापन सहमति का स्वतः नवीनीकरण
- **केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली:** व्यवसाय नियमों का सरलीकरण एवं पारदर्शिता तथा अनुपालन निरीक्षण में जवाबदेही
- **निर्माण परमिट प्राप्त करना हुआ आसान** बिल्डिंग प्लान के लिए स्वतः प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा | www.prharyana.gov.in

www.prharyana.gov.in

डॉ. हर्ष वर्धन
DR. HARSH VARDHAN

सत्यमेव जयते

मंत्री
विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान ;
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
भारत सरकार
नई दिल्ली - 110001
MINISTER
SCIENCE & TECHNOLOGY AND EARTH SCIENCES ;
ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI - 110001

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि समाज को जनसंख्या के असंतुलित वृद्धि के संबंध में संवेदनशील बनाने हेतु 'भारत रक्षा मंच (दिल्ली प्रदेश)' द्वारा स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

इस दिशा में आपका प्रयास सराहनीय है। स्मारिका अपने प्रयोजन में सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामना है।

(डॉ. हर्ष वर्धन)

209, अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001 दूरभाष : +91–11–23316766, 23714230; फैक्स : +91–11–23316745
209, Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001 Ph.: +91-11-23316766, 23714230; Fax: +91-11-23316745
चतुर्थ तल, आकाश विंग, पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली–110003 दूरभाष : +91–11–24695136 फैक्स : +91–11–24695329
4th Floor, Aakash Wing, Paryavaran Bhawan, Jor Bagh, New Delhi-110003 Ph. : +91-11-24695136 Fax : +91-11-24695329

गिरिराज सिंह
GIRIRAJ SINGH

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
भारत सरकार
नई दिल्ली-110011
MINISTER OF STATE (I/C)
FOR
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110011

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस स्मारिका का प्रकाशन जनमानस को जनसंख्या वृद्धि एवं असंतुलन जैसी गंभीर समस्या के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने हेतु किया जा रहा है।

जनसंख्या असंतुलन भारतवर्ष की सभ्यता एवं संस्कृति के लिए एक भयंकर खतरा है। इस पर परिचर्चा करके भारतवर्ष के जनमानस को इसके दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराना नितांत आवश्यक है।

मैं इस स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(गिरिराज सिंह)

168, Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110011, Ph. : 011-23061566, 011-23061739 Fax : 011-23063141
E-mail : min-msme@gov.in

डॉ. वीरेन्द्र कुमार
Dr. VIRENDRA KUMAR

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री
महिला एवं बाल विकास और
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली–110001
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
AND MINORITY AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

D.O. No. 774-
Mos/WCD/2017-18

शुभकामना संदेश

भारत रक्षा मंच (दिल्ली प्रदेश) के द्वारा भारतवर्ष में तेजी से हो रही जनसंख्या वृद्धि व जनसंख्या असंतुलन, भारतवर्ष की सभ्यता एवं संस्कृति के लिए बढ़ रहे खतरे के बारे में, इन दोनों विषयों पर चिंतन किया गया है। आपके मंच के माध्यम से इन गम्भीर विषयों पर परिचर्चा व जनमानस में इसको लेकर नई चेतना जगाने हेतु जो संकल्प लिया गया है वह बहुत ही प्रसंशनीय है। इस हेतु भारत रक्षा मंच द्वारा स्मारिका के प्रकाशन का शुभारंभ किया जा रहा है इसकी सफलता के लिए आप सभी सदस्यों को शुभकामनाएँ देता हूं। धन्यवाद।

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

डॉ.पी.के. सिंघल जी,
प्रदेश अध्यक्ष,
भारत रक्षा मंच, दिल्ली प्रदेश
524, बी.पी. हाउस, रफी मार्ग,
नई दिल्ली–110001

कार्यालय : कमरा नं. 756, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली–110 001, दूरभाष : 23382361–63, फैक्स : 23070704
Off. : Room No. 756, 'A' Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001, Tel. : 011-23382361-63, Fax. : 011-23070704
निवास : 22, महादेव रोड, नई दिल्ली, दूरभाष : 011-23355600, 23359855, फैक्स : 011-23359857
Resi. : 22 Mahadev Road, New Delhi-110001, Tel. : 011- 23355600, 23359855, Fax. : 011- 23359857
E-mail : vkumar@sansad.nic.in

अरुण सिंह
राष्ट्रीय महासचिव

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

संदेश

प्रिय बंधुवर डॉ. पी. के. सिंघल जी,

सस्नेह नमस्कार।

यह जानकार अति प्रसन्नता हुई कि भारत रक्षा मंच (दिल्ली प्रदेश) द्वारा "जनसंख्या वृद्धि एवं असंतुलन वर्तमान परिस्थिति से भावी संकेत" विषय पर एक स्मारिका प्रकाशित किया जा रहा है। वास्तव में जनसंख्या का अनियंत्रित रूप से बढ़ना किसी भी देश और अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं है। अगर वर्तमान परिस्थिति को देखा जाये तो भारत आबादी के दृष्टिकोण से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत का विश्व क्षेत्रफल में 2.4 प्रतिशत हिस्सा है जबकि विश्व की 17.9 प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है, इससे संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। अतः भारत एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बने इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को गंभीरता से लें, और इसके लिए बड़े पैमाने पर विशेषकर युवाओं में जन जागरूकता फैलाने और इस विषय को विमर्श के केंद्र में लाने की आवश्यकता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के अथक प्रयासों से यह स्मारिका ऐसा करने में सफल होगी। मैं अपनी ओर से इस स्मारिका के प्रकाशन में लगी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

(अरूण सिंह)
राष्ट्रीय महासचिव एवं
मुख्यालय प्रभारी

कार्यालयः 6–ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 दूरभाष : 011-23500000

निवासः सी-53, परवाना अपार्टमेन्ट, मयूर विहार-1, दिल्ली-110091 दूरभाषः 011-22746568
ईमेलः arunsinghbjp@gmail.com www.facebook.com/arunsinghbjp twitter.com/arunsinghbjp

रमापति शास्त्री
मंत्री
समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति
कल्याण विभाग, उ0प्र0

कार्यालय कक्ष संख्या-82ए-बी,
विधान भवन, लखनऊ।
दूरभाष/फैक्स नं. 0522- 2238213, 2213307 कार्या.
2237845 आवास

दिनांक 27-11-18

पत्र संख्या 1564 बी.आई.पी./मंत्री/स.क./2018
दिनांक 27-11-18

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि भारत रक्षा मंच (दिल्ली प्रदेश) द्वारा **"जनसंख्या वृद्धि एवं असंतुलन वर्तमान प्रस्थिति से भावी संकेत"** विषय पर स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। उक्त स्मारिका के प्रकाशन से देश–दुनिया एवं आम जन–मानस में एक अच्छा संदेश जायेगा।

स्मारिका प्रकाशन के सफल आयोजन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनायें।

भवदीय,

(रमापति शास्त्री)

डॉ0 पी0के सिंघल जी,
प्रदेश अध्यक्ष,
भारत रक्षा मंच
524 बी0पी0 हाउस रफी मार्ग,
दिल्ली–110001

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को मनोहर सौगात

पहली बार
बिजली प्रणाली सुदृढ़ीकरण से सम्प्रेषण घाटे में कमी होने से प्रदेश की बिजली वितरण कम्पनियां **लाभ में**

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल आधे

- कृषि नलकूपों के सभी **लम्बित कनेक्शनों के डिमांड नोटिस मार्च, 2019 तक होंगे जारी।**
- वार्षिक एकीकृत रेटिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पूरे देश में **22वें से 10वें स्थान** पर तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम **24वें से 13वें स्थान** पर।
- **ब्लॉक 'सी' एवं 'डी' उद्योगों** को बिजली की दरों में **2 रुपये प्रति यूनिट की छूट।**
- **50,000 नए सौर ऊर्जा कनेक्शन** देने का लक्ष्य निर्धारित।
- 50 यूनिट मासिक खपत पर घरेलू उपभोक्ताओं को अब **केवल 2 रुपये प्रति यूनिट बिल।**

भारत में जनसंख्या वृद्धि का

भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई आयाम हैं, कुछ तो एक खास सुमदाय की मगर इस बेतहाशा बढोतरी का नतीजा बेहद भयावह है, जिस पर देर-सवेर

डॉ. दलीप कुमार

कई मामलों में लोग कहा करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने देश में समस्याओं की जननी है। इस लिहाज से कभी उग्रवाद या नक्सलवाद, कश्मीर हो या फिर असम की समस्या अथवा बेरोजगारी या महंगाई की समस्या, इनकी जड़ में मूल कारण है भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। हालांकि दूसरे नजरिए से देखा जाए तो जनसंख्या किसी देश की असली सम्पति होती है, क्योंकि जनसंख्या ही किसी देश की श्रम-शक्ति का वास्तविक स्त्रोत होती है। कृषि कार्य में श्रम शक्ति ही उत्पादन का एक प्रभावशाली संसाधन है। इसी श्रम शक्ति के जरिए देश के उपलब्ध संसाधनों का उचित दोहन संभव है।

हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अभी भी देश की खेती श्रम प्रधान तकनीकी पर ही निर्भर है। इन प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग पर्याप्त श्रम शक्ति के माध्यम से ही संभव है। दूसरी ओर, यह देखा जाता है कि अति-जनसंख्या का कृषि पर बोझ बढ़ रहा है। अगर देश में प्रजनन दर अधिक है और मृत्यु-दर कम है तो ऐसी दशा में जनसंख्या लगातार बेतहाशा गति से बढ़ती ही जाएगी। भारत के हिस्से में विश्व का केवल 2.4 प्रतिशत भू-भाग ही आता है, लेकिन कुल आबादी के 17 फीसदी लोग यहां निवास करते हैं। इससे यह पता चलता है कि आज भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बन गई है। विकसित देशों की तुलना में यहां मृत्यु दर और जन्म दर भी अधिक है, इसलिए जनाधिक्य की समस्या बराबर बनी रहती है।

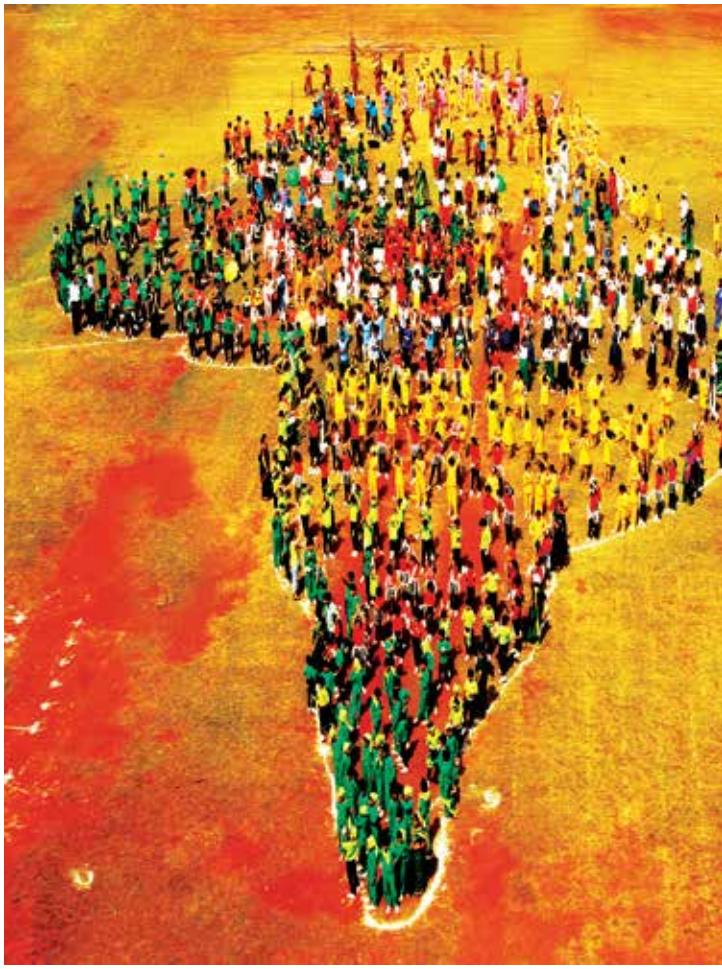

किसी भी देश की संख्यात्मक जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वह विकास में वाधक होती है। दूसरी ओर, गुणात्मक जनसंख्या की स्थिति में कुशल, दक्ष और प्रशिक्षित होती है तो वह उत्पादन प्रकिया में सहायक होती है और समाज में विकास को गति प्रदान करती है।

इसके अलावा कई अन्य बातें भी अहम हैं, मसलन- अपने देश में कृषि की उत्पादन-दर काफी नीची है और जनसंख्या भार के चलते प्रति व्यक्ति आय कम है। जनसंख्या की इस अधिकता की वजह से ही कृषि श्रेत्र में व्यापक बेकारी और अर्ध-बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लिहाजा खेतों के जोत आकार में कमी और मकानों की कमी स्थायी फीचर बनती जा रही है और इस तरह बड़े किसान, मध्यम किसान, लघु किसान, सीमांत किसान और अन्ततः खेतिहर मजदूर में तब्दील होते जा रहे है। कोई दो सौ साल पहले अंग्रेजी

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

कथित मान्यताओं के फेरे का नतीजा है तो कुछ अन्य कारणों का शिकार। हमारी सरकार को कठोर कदम उठाना ही होगा।

तालिकाः-1ः भारत में जनसंख्या विकास की प्रवृति 1901-2011

	कुल जनसंख्या (करोड़)			दस वर्षो में विकास दर (प्रतिशत)			औसत वार्षिक विकास दर (प्रतिशत)		
क्रम संख्या	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1901	12.08	11.77	23.85						
1911	12.84	12.37	25.21	6.29	5.10	5.70	0.61	0.50	0.56
1921	12.86	12.28	25.14	0.16	.0.73	.0.28	0.02	.0.07	.0.03
1931	14.29	13.58	27.87	11.12	10.59	10.86	1.06	1.01	1.04
1941	16.37	15.47	31.84	14.56	13.92	14.24	1.37	1.31	1.34
1951	18.55	17.56	36.11	13.32	13.51	13.41	1.26	1.28	1.27
1961	22.63	21.29	43.92	21.99	21.24	21.63	2.01	1.94	1.98
1971	28.41	26.41	54.82	25.54	24.05	24.82	2.30	2.18	2.24
1981	35.34	32.99	68.33	24.39	24.91	24.64	2.21	2.25	2.23
1991	43.94	40.71	84.65	24.34	23.40	23.88	2.20	2.12	2.16
2001	53.22	49.65	102.87	21.12	21.96	21.52	1.93	2.01	1.97
2011	62.31	58.74	121.05	17.08	18.31	17.67	1.59	1.70	1.64

स्रोतः- सेंसस ऑफ इण्डिया

अर्थशास्त्री टाम्स राबर्ट माल्थस ने अपने जनसंख्या-सिद्वांत में स्पष्ट तौर पर कहा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी समाज के लिए विनाशकारी हो सकती है, हालांकि प्रकृति खुद ही जनसंख्या पर नियंत्रण भी करती है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या समाज के विकास एवं विनाश दोनों नजरिए से देखी जाती है। यदि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या उत्पादन कार्यों में लगी है तो समाज का विकास होता है अन्यथा गैर-उत्पादक कार्यों में लगने पर वह हमेशा हानिकारक साबित होती है।

किसी भी देश की जनसंख्या में बढोतरी के दो पहलू होते हैं- संख्यात्मक और गुणात्मक। यदि संख्यात्मक जनसंख्या में वृद्वि होती है तो वह विकास में वाधक होती है। दूसरी ओर, गुणात्मक जनसंख्या की स्थिति में वह कुशल, दक्ष और प्रशिक्षित होती है तो उत्पादन प्रकिया में सहायक होती है और समाज में विकास को गति प्रदान करती है। इसकी वजह की बात करें तो स्पष्ट होता है कि गुणात्मक जनसंख्या से व्यक्ति उत्पादन के नवीनतम साधनों का प्रयोग कर उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्वि कर सकता है। वास्तव में इसके लिए ज्ञान आधारित समाज की जरूरत है जो नई तकनीक के जरिए समाज को नई दशा और दिशा प्रदान कर सके। दूसरी ओर संख्यात्मक जनसंख्या समाज पर बोझ, उसकी उत्पादन-प्रकिया में सहयोग का अभाव, कार्य क्षमता, उत्पादन, खाद्यान्न और अन्ततः आर्थिक विकास की गति को कम करती है। प्रसिद्व अर्थशास्त्री प्रो. ज्ञानचंद ने अपनी पुस्तक India's Teeming Million's' (1939) में स्पष्ट लिखा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है। भारत के पूर्व योजना मंत्री अशोक मेहता ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि जनसंख्या में वृद्धि रात के चोर की तरह है, जो हमारे आर्थिक विकास की सफलता अंधेरे में हमसे लूट कर ले जाती है।

इसी तरह प्रो. अलक घोष ने बढ़ती हुई

जनसंख्या के संदर्भ में कहा है कि भारत में विवेकपूर्ण जनसंख्या नियोजन की तात्कालीन आवश्यकता है, अन्यथा हमारे देश की जनसंख्या बृद्धि आर्थिक प्रगति को पूरी तरह से निगल जाएगी।

वास्तव में इस तथ्य से हर कोई अवगत है कि देश में जनसंख्या का आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमारी संख्यात्मक जनसंख्या में तेजी से वृद्वि हो रही है, जबकि गुणात्मक जनसंख्या में वृद्वि का गति धीमी है। परिणामस्वरूप देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। जमीन का क्षेत्रफल निश्चित आकार में होता है पर जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती गई। इस तरह प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता घटती चली गई। साथ ही जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। परिवारों में भूमि प्रतिदिन उप-विभाजन एवं अपखण्डन के कारण घटती जा रही है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण अपने देश का अपेक्षित विकास संभव नहीं हो पा रहा है। कोलिन क्लार्क ने अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के संबंध में कहा है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रजनन दर पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। भारत में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में प्रजनन दर अधिक ऊँची है। भारत में हिंदुओं की कुल प्रजनन दर 2.13 तथा मुसलमानों में 2.61 प्रति महिला है। इस स्थिति को तालिका-1 में देखा जा सकता है।

भारत की जनसंख्या में गत 110 वर्षों (1901-2011) में काफी वृद्धि हुई है, जो तालिका-1 से स्पस्ट है।1911-21 के दशक में देश की जनसंख्या में थोड़ी सी गिरावट आई थी, जिसे भारत की जनसंख्या के इतिहास में महा-विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। इन दस वर्षों में जनसंख्या में गिरावट का दर 0.3 प्रतिशत रहा था। जानकारों की राय में, इस दशक के दौरान जनसंख्या में आई गिरावट का मुख्य कारण प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, अकाल, प्लेग, हैजा और प्रथम विश्व युद्ध को माना जाता रहा है।

भारत की जनसंख्या में गत 110 वर्षों (1901-2011) में काफी वृद्धि हुई है, जो तालिका-1 से स्पस्ट है।1911-21 के दशक में देश की जनसंख्या में थोड़ी सी गिरावट आई थी, जिसे भारत की जनसंख्या के इतिहास में महा-विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है।

वर्ष 1921 के बाद लगातार 1981 तक हमारी कुल जनसंख्या और जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर में बढोतरी होती रही। 1981 के बाद भी कुल जनसंख्या में वृद्धि तो होती रही, लेकिन वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट आने लगी। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या की वार्षिक विकास दर 1.64 प्रतिशत रही है। आजादी के बीते 70 वर्षों में देश की जनसंख्या तिगुनी से अधिक हो गई। कुल जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक 1971-81 के दशक वाले वर्षों में थी, जो 2.25 प्रतिशत दर्ज की गई। भारत में जनसंख्या वृद्धि की तस्वीर को चित्र संख्या-1 में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा भारत में जनसंख्या में वृद्धि के कारण दिन-प्रतिदिन इसका घनत्व बढ़ता ही जा रहा है। जनसंख्या का यह घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में पर निवास करने वाली

चित्रः-1 भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति 1901-2011

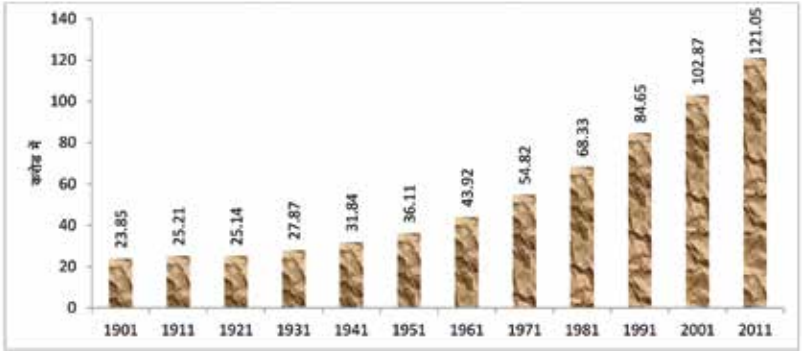

जनसंख्या का द्योतक होता है। किसी देश की जनसंख्या और उसी देश के क्षेत्रफल के अनुपात को अर्थशास्त्र की भाषा में जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, भारत का जनसंख्या घनत्व 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर दर्ज हुआ। 1991 में यह 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0, 2001 में 324 और 2011 में बढ़कर 382 के आंकड़े को छू गया। 2018 में भारत का जनसंख्या घनत्व 412 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जनसंख्या का इतना अधिक घनत्व निश्चित तौर पर आर्थिक विकास की राह में बड़ी बाधा है।

तालिका-2: जनसंख्या में मुसलमान और हिंदू का प्रतिशत विकास 1951-2011

वर्ष	कुल जनसंख्या	मुसलमान की जनसंख्या	मुसलमान (%)	हिन्दु (%)
1951	361,088,090	35,856,047	9.9	84.1
1961	439,234,771	46,998,120	10.7	83.5
1971	548,159,652	61,448,696	11.2	82.7
1981	683,329,097	77,557,852	11.4	82.3
1991	846,427,039	102,586,957	12.1	81.5
2001	1,028,737,436	138,159,437	13.4	80.5
2011	1,210,726,932	172,245,158	14.2	79.8

स्रोतः– सेन्सस ऑफ इण्डया

चित्रः-2 हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या में परिवर्तन की प्रवृति 1951-2011

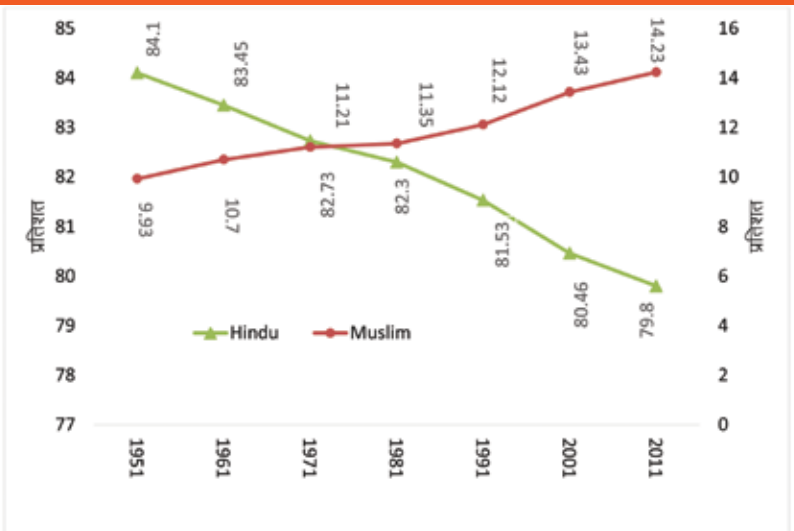

कुल आबादी में हिंदू-मुस्लिम अनुपात

भारत की जनसंख्या में मुसलमान और हिंदू का प्रतिशत विकास, तालिका-2 और चित्र-2 में देखकर आसानी से समझा जा सकता है। आजादी के बाद वर्ष 1951 में भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत 84.1 और मुसलमानों का 9.93 था और अब हालिया जनगणना यानी 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू 84.1 प्रतिशत से घटकर 79.8 पर आ गए तो दूसरी मुस्लिम आबादी 9.9 प्रतिशत से छलांग लगाकर 14.2 प्रतिशत के आंकड़े पर आ गई। बात साफ है, मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण हिंदुओं की तुलना में उनकी प्रजनन दर अधिक होना है। दूसरी ओर, गरीबी और अशिक्षा भी हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में ज्यादा है। धार्मिक, सामाजिक अंध-विश्वास और रूढ़िवादिता तो मुसलमानों में बहुत अधिक है जिसका सीधा संबंध जनसंख्या वृद्धि से होता है। यही नहीं, गरीब या अशिक्षित के तुलना में शिक्षित और साधन सम्पन्न मुसलमानों में औसत प्रजनन दर कम देखने को मिली है।

चित्रः-3 के जरिए भारत के राज्यों में मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत दिखाया गया है। इसके मुताबिक लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या में 96.20 प्रतिशत मुसलमान हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर आता है, जहां 68.30 प्रतिशत, असम में 34.20 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 27.00 प्रतिशत, केरल में 26.60 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 19.30 प्रतिशत और बिहार में 16.90 प्रतिशत मुसलमान हैं। सबसे कम सिक्किम और मिजोराम में क्रमशः 1.60 तथा 1.40 प्रतिशत मुसलमान हैं।

भारत के मुस्लिम बाहुल जिले

भारत के मुस्लिम बाहुल जनसंख्या वाले जिलों और शहरों को क्रमशः तालिका-3 व चित्र-4 में देखा जा सकता है।

इन जिलों और शहरों के अलावा फिरोजाबाद में 49 प्रतिशत, मुरादाबाद में 47 प्रतिशत, सहारनपुर और अलीगढ़ में 46 प्रतिशत, भदोही में 45 प्रतिशत, कटिहार और बदायूं में 44 प्रतिशत, हैदराबाद, दक्षिणी दीनाजपुर और अररिया में 43 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर में 41 प्रतिशत, बहराइच में 40 प्रतिशत, बरेली में 39 प्रतिशत, बलरामपुर में 38 प्रतिशत तथा केरल राज्य के कन्नूर में मुसलमानों की संख्या 37 प्रतिशत है। इसके अलावा भारत के हर राज्य एवं जिले में कमोबेश इनकी खासी जनसंख्या है।

धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या

धरती की कुल आबादी वर्ष 2017 में लगभग 755 करोड़ से अधिक आंकी गई है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या लगभग

चित्र:–3 राज्यों में मुसलमान में जनसंख्या का प्रतिशत 2011

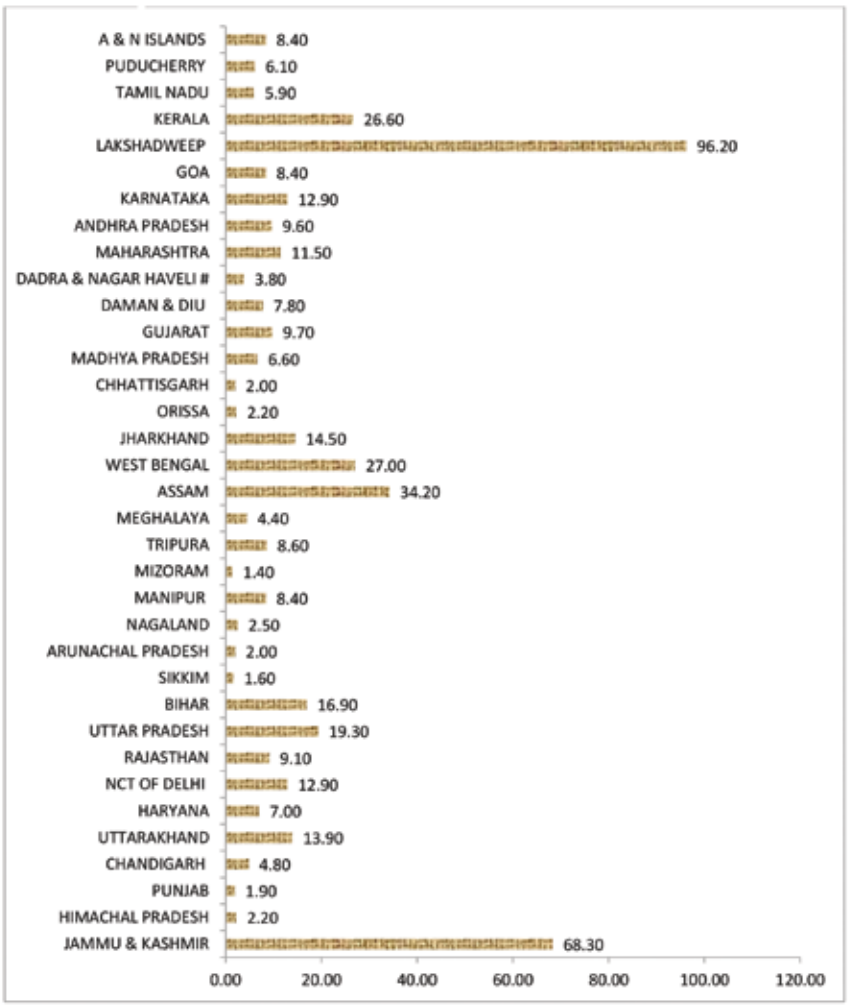

यहआंकड़ा विश्व की हिंदू संख्या का 2.3 प्रतिशत है। इसी तरह बांग्ला देश में हिंदूओं की संख्या लगभग 1.27 करोड़ है और विश्व भर के हिंदुओं का 1.2 प्रतिशत है। इसी तरह इंडोनेशिया में 40 लाख, पाकिस्तान में 33 लाख, श्रीलंका में 28 लाख, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 18 लाख, मलेशिया में 17 लाख, यूनाइटेड किंगडम में 8.90 लाख और वर्मा में 8.20 लाख हिंदू निवास करतें है। दुनिया भर में 99.4 प्रतिशत हिंदू इन्हीं

240 करोड (33 फीसदी) ईसाइयों की है। दूसरे स्थान पर मुसलमान धर्म के अनुयायी हैं, जो करीब 181 करोड (24 फीसदी) की संख्या में हैं। इसके बाद तीसरे पायदान पर हिंदू घर्म के अनुयायी हैं, जिनकी संख्या लगभग 115 करोड (15 फीसदी) है। विश्व में बौद्ध घर्म की मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 52 करोड (7 फीसदी) है।

धर्मवार विश्व जनसंख्या का वितरण चित्र- 5 में देखा जा सकता है।

चित्र:–5 घर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण(2012)

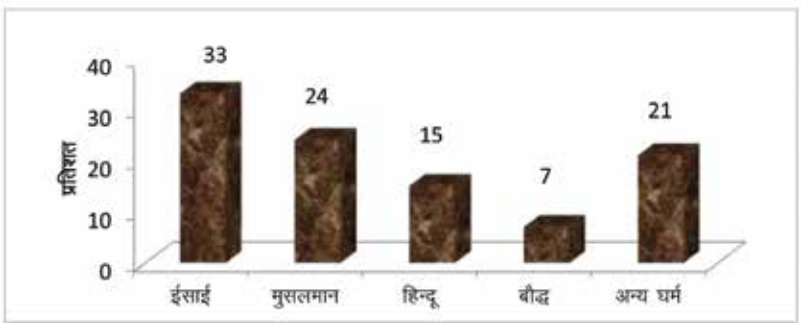

विश्व में हिंदुओं की जनसंख्या

विश्व में कुल जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या 15 प्रतिशत है, जो लगभग 115 करोड़ है। उनमें सबसे ज्यादा हिंदू भारत में निवास करते हैं। भारत में 97.38 करोड़ हिंदू रहते हैं, जो दुनिया की कुल हिंदू आवादी का 94.3 प्रतिशत है। इसके बाद दूसरे स्थान पर नेपाल है, जहां करीब 2.40 करोड़ हिंदू हैं, 10 देशों में रहते हैं।

चित्र-6 द्वारा देश के कुल आबादी में हिंदुओं की आबादी के प्रतिशत को दिखलाया गया है।

भारत के मुसलमान बाहुल्य जिलाः–

भारत के बाहुल्य जनसंख्या वाला जिला और शहर को तालिका–3 तथा चित्र–4 के द्वारा देखा जा सकता है।

तालिका :–3: भारत में पचास प्रतिशत से ऊपर मुसलमान जनसंख्या वाला जिला और शहर (2017)

क्रम संख्या	जिला का नाम	राज्य	प्रतिशत मुसलमान	क्रम संख्या	जिला का नाम	राज्य	प्रतिशत मुसलमान
1	श्रीनगर	जम्मू और काश्मीर	96	13	बरपेटा	आशाम	70
2	कूपवारा	जम्मू और काश्मीर	93	14	मलेरकोटला	पंजाब	69
3	बदगॉव	जम्मू और काश्मीर	95	15	किषनगंज	बिहार	68
4	बारामूला	जम्मू और काश्मीर	85	16	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	66
5	कैराना	उत्तर प्रदेश	80	17	हैलकान्डी	आशाम	60
6	मुम्बरा	महाराष्ट्र	80	18	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	57
7	मालेगॉव	महाराष्ट्र	78	19	मऊ	उत्तर प्रदेश	57
8	सम्भाल	उत्तर प्रदेश	77	20	गोलपारा	आशाम	54
9	धुबरी	आशाम	75	21	करीमगंज	आशाम	52
10	अमरोहा	उत्तर प्रदेश	73	22	मालदा	पश्चिम बंगाल	51
11	मालापुरम	केरल	70	23	बुरहनपुर	मध्य प्रदेश	51
12	रामपुर	उत्तर प्रदेश	70	24	उत्तरी दीनाजपुर	पश्चिम बंगाल	50

स्रोतः– विकिपीडीया

चित्र:–4: भारत में पचास प्रतिशत से ऊपर मुसलमान जनसंख्या वाला जिला और शहर (2017)

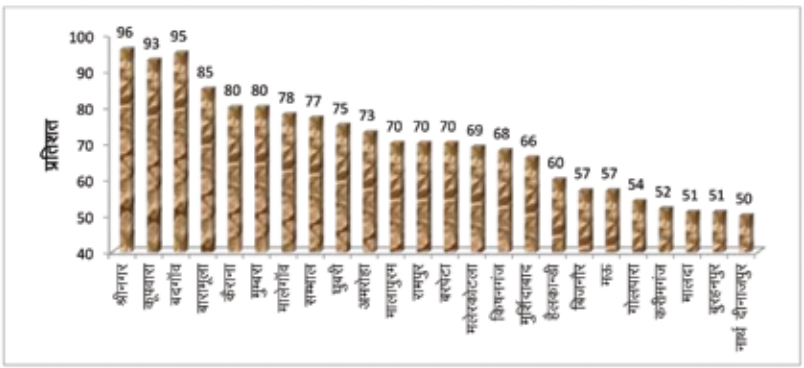

उपरोक्त जिलों और शहरों के अलावा फिरोजाबाद में 49 प्रतिशत, मुरादाबाद में 47 प्रतिशत, सहारनपुर और अलिगढ में 46 प्रतिशत , भदोही में 45 प्रतिशत ,कटिहार और बदाऊ में 44 प्रतिशत, , हैदराबाद, दक्षिणी दीनाजपुर और अररिया में 43 प्रतिशत , मुज्जफरनगर में 41 प्रतिशत, बहराइच में 40 प्रतिशत, बरेली में 39 प्रतिशत, बलरामपुर में 38 प्रतिशत तथा

चित्र:–6 विश्व के देशों के कुल जनसंख्या में हिन्दूओं की जनसंख्या (प्रतिशत में)

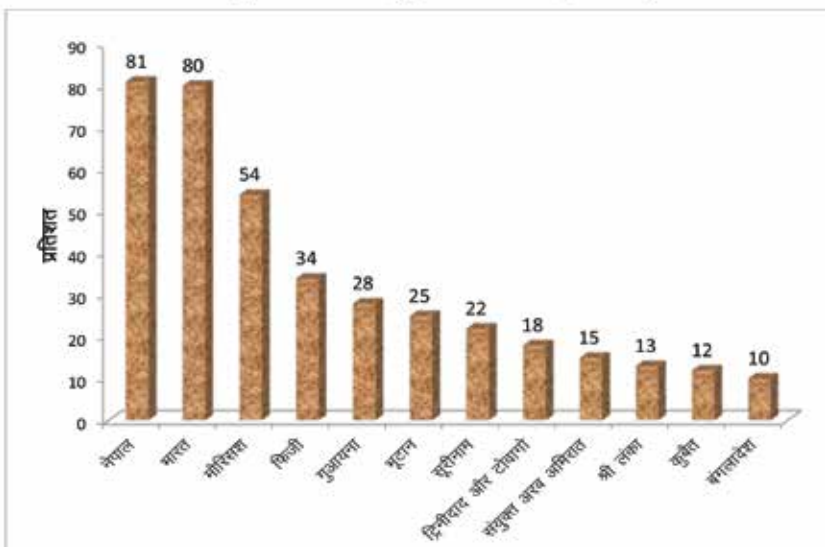

अब बात करते हैं, किस देश में वहां की कुल आबादी में हिंदुओं की कितनी हिस्सेदारी है। इस क्रम में नेपाल की कुल जनसंख्या में लगभग 81 प्रतिशत हिंदू हैं, जबकि भारत में 80 प्रतिशत, मॉरिशस में 54, फीजी में 34, गुआयना में 28, भूटान में 28, सूरीनाम में 22, श्रीलंका में 13, कुवैत में 12 और बांग्ला देश में करीब 10 फीसदी हिंदू आबादी है।

विश्व के देशों में मुस्लिम जनसंख्या

विश्व की कुल जनसंख्या में मुसलमानों का हिस्सा 24 प्रतिशत है, जो लगभग 180 करोड़ के आसपास है। इस तरह दुनिया भर के कुल मुसलमानों की संख्या का 12.65 फीसदी यानी लगभग 22.2 करोड़ लोग इंडोनेशिया में रहते हैं। दूसरे देशों की बात करें तो पाकिस्तान में 11 फीसदी के साथ 19.5 करोड़, भारत में 10.97 फीसदी आंकड़े पर18.32 करोड़, बांग्लादेश में 9.18 फीसदी यानी15 करोड़ और मिस्त्र में 4.94 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ 8 करोड़ मुस्लिम

रहते हैं। इन पांच देशों में करीब 48 फीसदी मुसलमान रहते है। चित्र-7 में विस्तार से इस स्थिति को देखा जा सकता है।

धर्मो के आधार पर जनसंख्या की विकास दर 2001-2011

चित्र-8 में धर्म के आधार पर भारत में दस-वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर को दिखाया गया है। यह दस वर्षो (2001-2011) में जनसंख्या में हुए परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। हिंदू धर्म में 2001-2011 के दस वर्षो में जनसंख्या में 16.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। जबकि मुस्लिमों में इसी अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर 24.6 प्रतिशत रही है। क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के मतावलंबियों की जनसंख्या में वृद्धि दर क्रमशः 15.5 फीसदी, 8.4 फीसदी, 6.1 फीसदी और 5.4 फीसदी रही है। इस विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि 2001- 2011 के दशक के बीच मुसलमान धर्म के अनुआयियों में जनसंख्या वृद्धि दर अन्य धर्मो के तुलना में अधिक तीव्र है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इस बात का परिचायक है कि उस समाज में अधिक गरीबी की मौजूदगी के अलावा शिक्षा का स्तर बेहद निम्न है।

भारतीय समाज में परिवार का औसत आकार 4.45 व्यक्ति प्रति घर है, जो 2001 में 4.67 व्यक्ति प्रति घर था। उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में औसत परिवार का आकार 5.8 व्यक्ति प्रति घर है, जो भारत के अन्य राज्यों में सबसे अधिक है। प्रति घर का आशय एक छत के नीचे रहने वालों की संख्या से है।

परिवार का आकार

भारतीय समाज में परिवार का औसत आकार 4.45 व्यक्ति प्रति घर है, जो 2001 में 4.67 व्यक्ति प्रति घर था। उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में औसत परिवार का आकार 5.8 व्यक्ति प्रति घर है, जो भारत के अन्य राज्यों में सबसे अधिक है। प्रति घर का आशय एक छत के नीचे रहने वालों की संख्या से है। मुस्लिम समाज में परिवार का औसत आकार 2001 में 5.61 व्यक्ति प्रति घर था, जो 2011 में घटकर 5.15 व्यक्ति प्रति घर हो गया। जबकि 2011 में हिंदू समाज का औसत आकार 4.35,

चित्रः–7 विश्व के पॉच मुसलमान बाहुल्य देश 2011

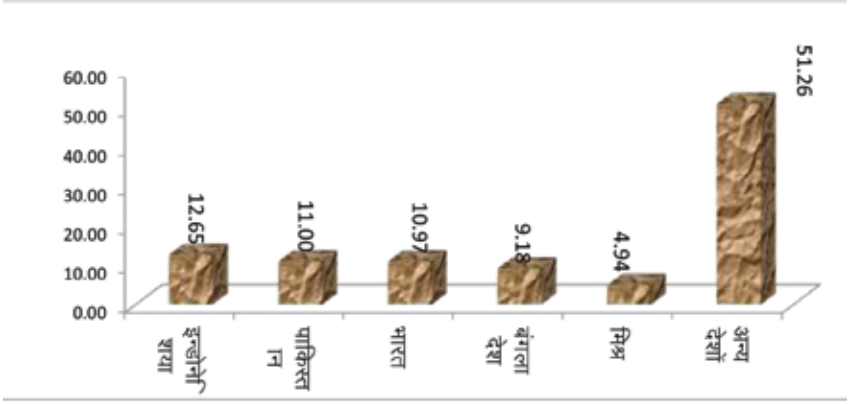

कहा जा सकता है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अशिक्षा और गरीबी दो मुख्य जिम्मेवार कारक हैं। समाज के दो धर्मों की जनसंख्या के साथ संबंध में तुलनात्मक अध्ययन शोध का एक नया विषय है। तुलना समानता के आधार पर होनी चाहिए। दोनों ही समाज के गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों और अशिक्षितों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि किस धर्म में जनसंख्या बृद्धि का दर कम या अधिक है। अशिक्षा और गरीबी से निजात के लिए

2001- 2011 के दशक के बीच मुसलमान धर्म के अनुआयियों में जनसंख्या वृद्धि अन्य धर्मो के तुलना में अधिक तीव्र गति से हुई है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इस बात का परिचायक है कि उस समाज में अधिक गरीबी की मौजूदगी के अलावा शिक्षा का स्तर बेहद निम्न है।

चित्रः–8 धर्मो के आधार पर जनसंख्या का विकास दर 2001–2011

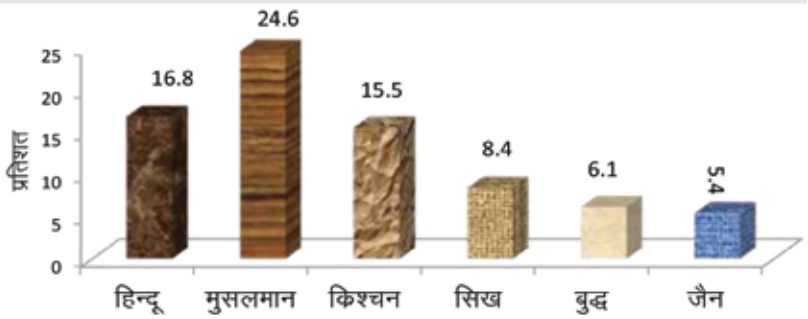

क्रिश्चियन का 4.05, सिखों का 4.85, बौद्धों का 4.1 और जैन धर्म में परिवार का औसत आकार 4.45 व्यक्ति प्रति घर रहा। इस्लाम धर्म के अनुआयियों में परिवार का औसत आकार अन्य धर्मो के तुलना में अधिक है।

जनसंख्या नियंत्रण के उपायः

❖ धार्मिक-सामाजिक अंध-विश्वासों और रूढ़िवादी परंपराओं में बदलाव की कोशिश शुरू की जानी चाहिए।

❖ अशिक्षा और गरीबी की दर को कम कर जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है।

❖ सरकार को कठोरतम कानून बनाकर नई जनसंख्या नीति बनानी चाहिए, जो सभी धर्म के मतावलंबियों पर कड़ाई के साथ लागू की जाए।

❖ दो से अधिक बच्चों पर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए।

❖ दो से अधिक वच्चों के पिता अगर सरकारी कर्मचारी हों तो उनकी पदोन्नति रुके।

❖ 'चाइल्ड बॉय च्वॉइस, नॉट बॉय चांस' की नीति लागू होनी चाहिए।

❖ अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार या रोजगार देकर और गरीबी रेखा से उपर लाकर भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है।

❖ एक से अधिक शादी प्रतिबंधित हो। विशेष परिस्थिति में अगर आवश्यक हो तो विचार किया जाना चाहिए।

अंततः अंतिम नतीजे पर पहुंचकर यह वर्तमान सरकार अपनी नई योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन करने में प्रयासरत है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा आय के साधनों, रहन-सहन के स्तर में बढोतरी होना तय है। साथ ही समाज का पिछड़ा तबका गरीबी रेखा से उपर उठ सकेगा। इस तरह जब आम जनता के रहन-सहन का स्तर ऊपर उठेगा तो स्वतः परिवार नियोजित होगा और जनसंख्या को नियंत्रित करने के फॉर्मूले भी सक्रिय हो सकेंगे। दरअसल इस हालात के लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोगों की जिम्मेदारी और भागीदारी जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के सबसे कारगर उपाय के रूप में सरकार दो बच्चों की नीति को कड़ाई से लागू कर लक्ष्य को हासिल कर सकती है।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार एवं अंबिका फाउंडेशन पटना के संयोजक हैं)

सांसदों की राष्ट्रपति से गुहार

यह वाकई बेहद सुखद आश्चर्य की बात है कि देश के चार दर्जन से अधिक सांसदों ने जनसंख्या के कई महत्वपूर्ण आयाम पर हाल ही में राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर उम्मीद जताई है कि इस मसले पर जल्दी ही सरकार कड़े कदम उठाने की ओर आगे आएगी। जनसंख्या के संदर्भ में सांसदों का चिंतित होना देश के लिए शुभ संकेत है। प्रस्तुत है इस ज्ञापन की छायाप्रति।

TWO CHILD POLICY FOR ALL

जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन

CORRS.& BRANCH OFFICE: C-45, LAJPAT NAGAR, MOHAN NAGAR, SAHIBABAD, GHAZIABAD (U.P.) 20100

Ref.: JSF/TCP/Gyapan Corrs/2-96 Date: 27/07/

ज्ञापन

सेवा में,

माननीय राष्ट्रपति जी
भारत गणराज्य

विषय :जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न संसाधन व सामाजिक संकट के निराकरण के लिए संसद के आगामी सत्र में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिल लाने हेतु ज्ञापन।

आदरणीय महोदय,

जनसंख्या विस्फोट से भारत संसाधन व सामाजिक संकट की ओर अग्रसर है और शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू न हुआ तो घटते संसाधनों के कारण भविष्य में देश के हालात बेकाबू होने की संभावना है।

इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन पिछले 3 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से कई राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनेक बार धरने, जागरूकता रैली तथा प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार के समक्ष देश में "सभी के लिये अधिकतम दो बच्चों के कानून" की अपनी मांग उठाता रहा है।

आज देश की आबादी 134 करोड़ है और आने वाले 5 वर्षों में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे जबकि हमारा कुल क्षेत्रफल चीन के क्षेत्रफल का एक तिहाई भी नहीं है। कम क्षेत्रफल होने के बावजूद इतनी अधिक आबादी का ही परिणाम है कि उपलब्ध संसाधन बहुत तेजी से कम पड़ते जा रहे हैं। 90-95 प्रतिशत अंक लाने के बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी अथवा देश के अन्य अच्छे कॉलेजों में युवाओं को एडमिशन नहीं मिलता और जिन्हें मिल गया उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट जैसी घटनायें समाज में तेजी से बढ़ रही हैं। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद मरीज को बरामदे में स्ट्रेचर पर डाल दिया जाता है, क्योंकि मरीजों की भीड़ के कारण बैड उपलब्ध नहीं होते। जिस पैसे से बच्चों के लिए

कृ०पृ०उ०

REGD. OFFICE : G/F, V-347, KH. NO. 56, GALI NO-7, ARVIND NAGAR, GHONDA, DELHI-110053
website: www.twochildpolicy.com

दूध खरीदना चाहिए उस पैसे से पानी खरीदना पड़ता है। गरीबों की संख्या, भुखमरी, शिशु मृत्युदर, डायबिटीज़ एवं डायरिया से होने वाली मृत्यु के मामले में हम दुनिया में नंबर एक हैं। ऐसा नहीं है कि देश ने प्रगति नहीं की परन्तु सारे विकास को जनसंख्या रूपी दानव निगल रहा है और सुरसा के मुंह की तरह बढ़ने वाली जनसंख्या के सामने यह विकास ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है। लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।

यह साफ है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, सडक, एयरपोर्ट, प्रशासनिक दफ्तर, कारखाने और रहने के लिए आवास उपलब्ध कराने में ही खेती की जमीन घट जायेगी, जंगल नष्ट हो जायेंगे। खाने को पर्याप्त अन्न भी पैदा नहीं होगा, ना इतने लोगो के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो पायेगी और ना ही चिकित्सा की। बेरोजगारी और बीमारी अपने चरम पर होंगी तथा व्यवसाय भी चारों ओर भुखमरी और गरीबी के कारण ठप पड़ जायेंगे। ऐसी स्थिति में एक दिन ऐसा आयेगा जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जायेंगे और देश गृहयुद्ध के कगार पर होगा।

चीन जैसे देश ने कई दशक पहले इस समस्या को पहचान लिया था और उस पर काम किया। हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति के कारण पिछले 70 वर्षों में किसी भी सरकार अथवा राजनितिक दल ने इस समस्या का समाधान तो दूर इस पर चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। चीन ने लगभग चार दशक पहले One Child Policy लागू की और परिणाम सामने है। अब जाकर कुछ छूट दी है उन्होंने दो बच्चों की, वह भी कुछ शर्तों के साथ। देशहित के कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें केवल सरकारों अथवा लोगों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इनका उपाय लोगों की निजी मान्यताओं से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है।

जिस प्रकार बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आँख यह सोचकर बंद कर लेता है कि जब मुझे ही बिल्ली नहीं दिख रही तो बिल्ली भी मुझे कैसे देखेगी। यही रूख देश को गृहयुद्ध के कगार पर खड़ा कर चुकी बेलगाम बढ़ती जनसंख्या की ओर पूर्ववर्ती सरकारों का रहा है। कबूतर की तरह हम भी भले ही ध्यान ना दें, बिल्ली की तरह यह समस्या तो एक दिन अवश्य झपट्टा मारेगी। इस विकराल समस्या के झपट्टे से देश विघटित ना हो जाये, इसके लिए "जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन" पिछले तीन वर्षों से "Two Child Policy आन्दोलन" चला रहा है, जिसकी माँग निम्न प्रकार है :

कृ0पृ0उ0

1. कानून में भ्रम की स्थिति ना रहे और जाति, धर्म, भाषायी बंधनों से ऊपर उठकर, देशहित को सर्वोपरि मानते हुए यह कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो।

2. इस कानून के दण्डनीय प्रावधान दो जीवित संतानों के पश्चात तीसरे बच्चे की उत्पत्ति करने वाले जैविक माता पिता पर लागू हों।

3. तीसरी संतान उत्पन्न करने वाले दंपत्ति को मिलने वाले सभी सरकारी अनुदान व सब्सिडी आदि तत्प्रभाव से समाप्त हों।

4. तीसरे बच्चे की उत्पत्ति करने वाले माता पिता तत्प्रभाव से राजकीय सेवा से वंचित किये जाएँ। ऐसे माता पिता केन्द्र व राज्य शासन में तथा इनके अधीन संचालित किसी भी राजकीय विभाग में राजकीय सेवक के रूप में अपने पद पर नहीं बने रह सकें और ना ही नियुक्त किये जा सकें।

5. कानून तोड़कर तीसरी संतान उत्पन्न करने वाले जैविक माता-पिता व संतान को जीवन पर्यन्त मताधिकार से वंचित किया जाये।

6. कानून का एक बार उल्लंघन करने के बाद दोबारा उल्लंघन की स्थिति अर्थात चौथी संतान की उत्पत्ति की स्थिति में पिछली सजाओं के साथ-साथ दंपत्ति को 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया जाये ताकि चौथी संतान के बारे में कोई नागरिक स्वप्न में भी ना सोच सके।

7. दंपत्ति को प्रथम बार में जुड़वाँ संतान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवार पूर्ण माना जाये और अगली संतान की उत्पत्ति कानून का उलंघन मानी जाये। दूसरे बच्चे के समय जुड़वाँ संतान होना एक अपवाद माना जाये और ऐसी स्थिति में कानून प्रभावी ना हो।

8. जाति, धर्म से ऊपर उठकर यह प्रावधान स्पष्ट रूप से रहे कि पहली शादी से दो जीवित संतानों के साथ तलाक होने की स्थिति में स्त्री या पुरूष में से कोई भी दूसरी शादी के बाद संतानोत्पत्ति के अधिकारी नहीं रहेंगे भले ही दूसरे जीवनसाथी को पहले से अथवा पहली शादी से कोई संतान ना हो। अगर एक बच्चा हो तो केवल एक बच्चे की उत्पत्ति का अधिकार रहे।

इस विषय में पिछले तीन वर्षों से "जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन" की ओर से पूरे देश में लगातार प्रदर्शन एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखण्ड,

महाराष्ट्र, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू , छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर आदि शामिल हैं, से जागरूक एवं राष्ट्रभक्त लोग इस कानून की पुरजोर मांग हेतु एकजुट हो रहे हैं।

इस कानून की माँग हेतु "जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन" द्वारा पिछले तीन वर्षों से देशभर में "TWO CHILD POLICY" आन्दोलन चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 08.10.2015 व 17.12.2015 को जिलाधिकारी गाजियाबाद के माध्यम से, 26.06.16 व 25.09.16 को जन्तर–मन्तर पर धरने के माध्यम से, 16.12.2016 को देश के 224 जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से, गत वर्ष अप्रैल माह में देश के विभिन्न राज्यों के विधायकों के माध्यम से उन राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के द्वारा व कुछ सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भेजे गये। तद्उपरांत 04.06.2017 से 10.06.2017 तक दिल्ली जन्तर–मन्तर पर संस्था द्वारा अनशन किया गया तथा 17 व 19 जनवरी 2018 को 312 जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भेजे गये। इसी क्रम में 9 मार्च से 11 मार्च 2018 तक तीन दिवसीय पदयात्रा का आयोजन मेरठ, गढ–सिम्भावली एवं ब्रज क्षेत्र के जेवर–टप्पल से संसद मार्ग तक किया गया व प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया तथा 20 मई 2018 को मावलंकर ऑडिटोरियम, कांसटीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। टीम द्वारा कानून की मांग पर आमजन का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 2 जून 2018 से 44 दिवसीय एन.सी.आर. पैदल प्रवास व 1 जुलाई से जनसंख्या समाधान पखवाड़े के समापन के अवसर पर 15 जुलाई 2018 को संसद मार्ग पर भारी संख्या में प्रदर्शन हुआ।

चूंकि जनसंख्या वृद्धि से उपजा संकट नाभिकीय युद्ध के संकट से भी विकट साबित हो रहा है इसलिए आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रहित के इस विषय में संसद के वर्तमान सत्र में "सभी के लिए अधिकतम दो बच्चों का कानून" विषयक बिल लाने की कृपा करें।

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास के साथ,

Suresh Angadi — S Angadi (IC-117)

Anandrao Adsul — [signature] IC285

[Hindi signature] — IC-65

[Hindi name] — I.C. 227.

Gopal C Shetty — 274 [signature]

Meenakshi Lekhi — [signature] 538

Jayshreeben Patel — J Patel IC 115 ~~IC 123~~

Darshana Jardosh — [signature] IC 135

Ranjanben D Bhatt — Bhatt I.C. 131

Ravindra Gaikwad. — I.C. 288.

BHOLA SINGH — IC 417 [signature]

Om prakash yadav
Siwan (Bihar)
IC-76 — I.C. 160

Nishikant Dubey. L.S — I.C. 119 [signature]

Dr. Kirit Solanki. — IC 187

SHIVKUMAR UDASI

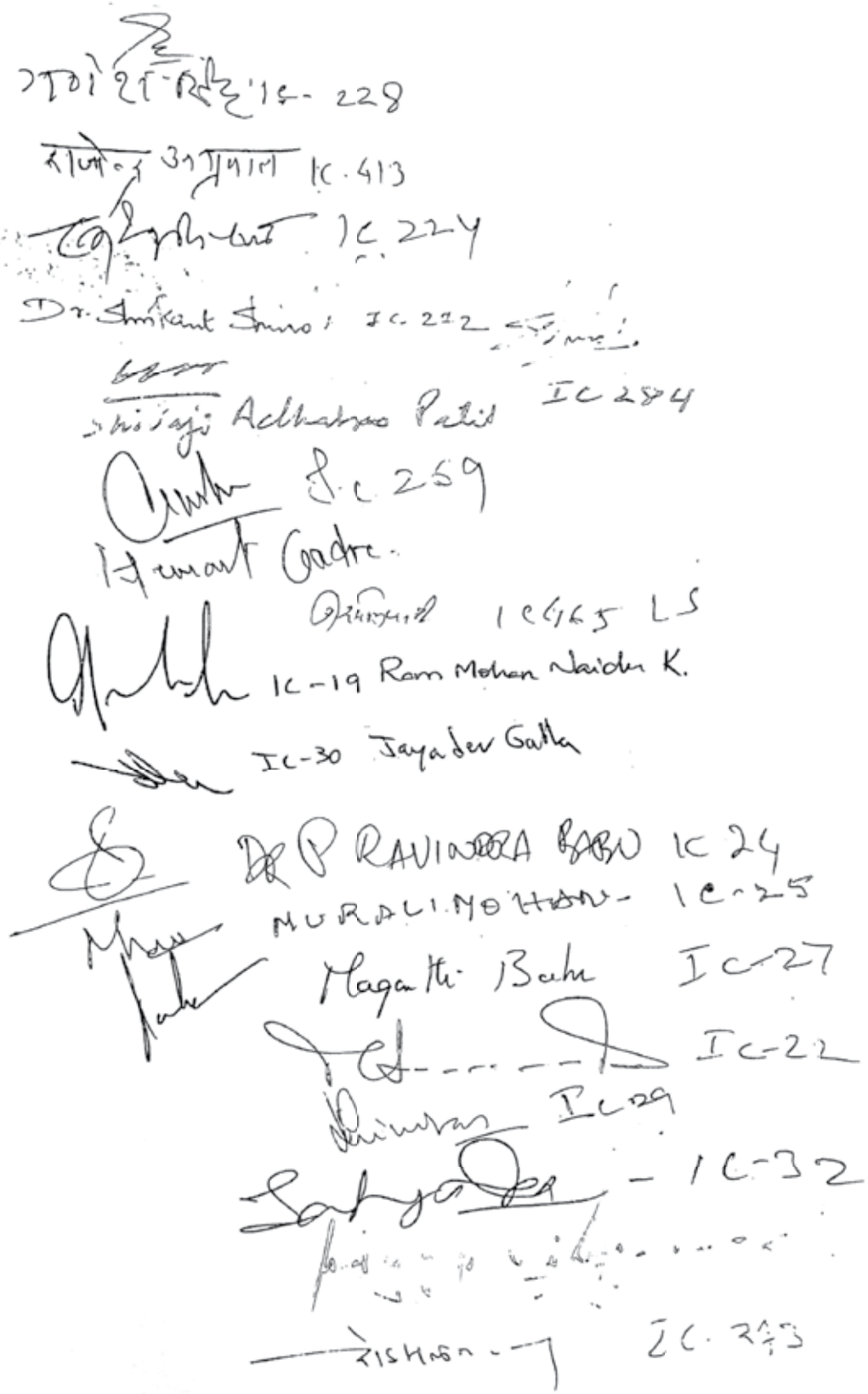

गणेश सिंह IC-228

राजेन्द्र अग्रवाल IC-413

IC 224

Dr. Shrikant Shinde IC 222

Shivaji Adhalrao Patil IC 284

IC 259

Hemant Godse

IC 465 LS

IC-19 Ram Mohan Naidu K.

IC-30 Jayadev Galla

DR P RAVINDRA BABU IC 24

MURALI MOHAN - IC-25

Maganti Babu IC-27

IC-22

Srinivas IC-29

IC-32

IC 343

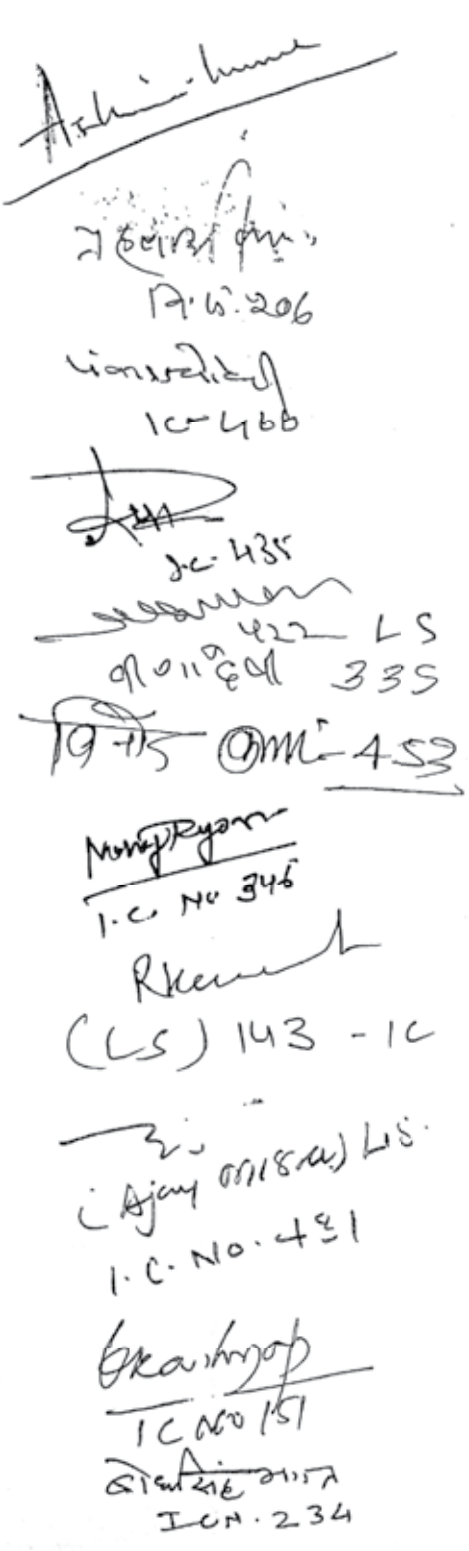

Ashwini Kumar

नि.स. 206

IC-466

I.C-435

422 LS

335

453

I.C. No 346

RKumar
(LS) 143 -IC

(Ajay Mishra) LS
I.C. No. 481

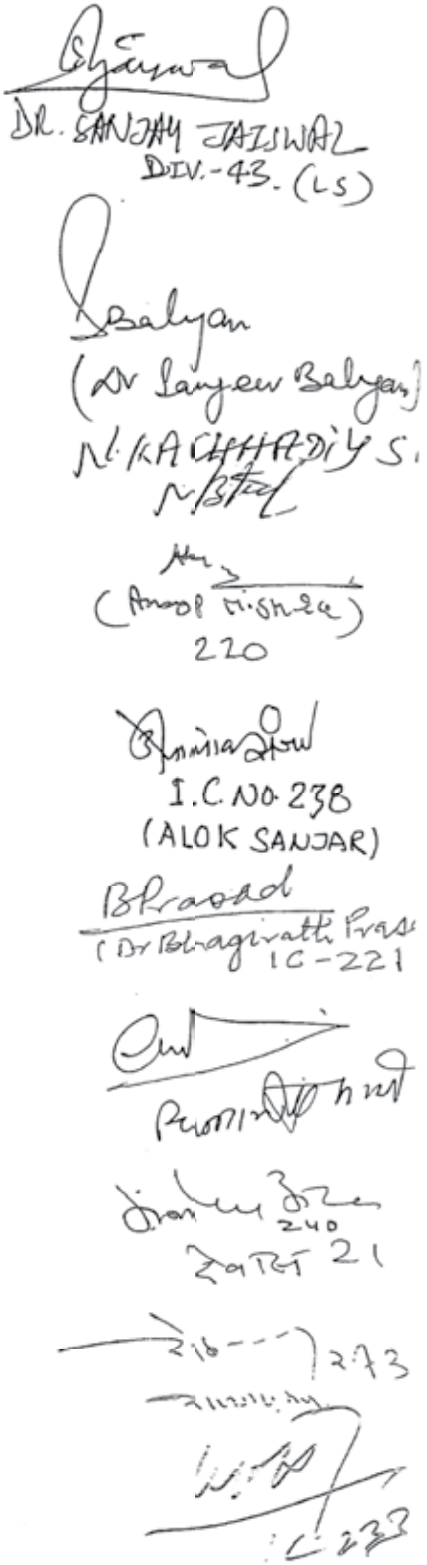

IC No 151

ICN. 234

DR. SANJAY JAISWAL
DIV.-43. (LS)

Balyan
(Dr Sanjeev Balyan)

N. KACHHADIYA S.

(Anoop Mishra)
220

I.C. NO 238
(ALOK SANJAR)

BPrasad
(Dr Bhagirath Prasad
IC-221

240

21

273

233

शुद्धि का एक नमूना

डॉ. विवेक आर्य

आधुनिक काल में हिन्दू समाज में विधर्मी हो चुके अनेक हिन्दुओं की शुद्धि अर्थात घर वापसी के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा एक विस्मृत प्रमाण मराठी इतिहासकार गोविन्द सखाराम सरदेसाई द्वारा रचित मराठी इतिहास पुस्तक 'ब्रिटिश रियासत' में मिलता हैं। गोवा में ईसाई मिशनरियों ने संत नामधारी फ्रांसिस जेवियर के निर्देशन में पुर्तगाली राज में हिन्दुओं को ईसाई बनाने के लिए असंख्य अत्याचार किये। अनेकों को जिन्दा जला तक दिया। भयाक्रांत अनेक हिन्दू बलात ईसाई बन गए। पुर्तगाली राज में ही हिन्दु धर्मगुरुओं ने विधर्मी बन चुकें हिन्दुओं की घरवापसी को आरम्भ किया। सरदेसाई जी अपनी पुस्तक में लिखते है

'जो हिन्दू भ्रष्ट होकर ईसाई बन गए थे उन्हें अपने स्वधर्म में लेने के अनेक प्रयत्न उस काल के ब्राह्मणों द्वारा किए गए। वे भ्रष्ट लोगों को अपने सनातन धर्म में आने का केवल उपदेश ही नहीं करते थे, वरन जन्माष्टमी सरीखे बड़े बड़े मेलों के समय उनसे समुद्रस्नान या गंगास्नान कराकर उन्हें शुद्ध किया करते थे। वे लोगों को इस बात का विश्वास करा देते थे कि ऐसे पवित्र अवसर पर गंगास्नान करने से जैसे सब पाप का क्षालन होता है वैसे ईसाई बने रहने से कदापि न होगा। ब्राह्मणों की इन चालों को देखकर पादरी लोग खूब जलते और उनके प्रयत्न रोकने के लिए वे थाना, वसई, बम्बई आदि जगहों में खाड़ियों और समुद्र के किनारे खम्बों पर क्रॉस लगा रखते थे। ऐसी हालात में जहां क्रॉस न लगे हो वहां जाकर ब्राह्मण अपना शुद्धि कार्य किया करते थे। अंत में ईसाईयों से तंग आकर ब्राह्मणों ने वसई के निकट के जंगल में एक तालाब ढूंढ कर वहां छिप छिपकर अपना शुद्धि कार्य करना शुरू कर दिया। परन्तु कुछ दिनों में स्थान का पता ईसाईयों को लगा और पुर्तगाली सिपाहियों ने उन ब्राह्मणों पर हमला कर उन्हें भगा दिया, उस समय एक बैरागी जो ईसाई से हिन्दू बना लिया गया था, उनकी फौज के सामने अकेला निडर होकर खड़ा रहा। इससे वे पादरी इतने चिढ़ गए कि उन्होंने उस जगह को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला और गायें मारकर उनका मांस और रक्त से उस तालाब के आसपास की जगह को सींच दिया। इस प्रकार उन्होंने वह स्थान अपवित्र कर दिया।'

(लेखक आर्य समाज से प्रेरित राष्ट्रवादी लेखन से जुड़े हुए हैं।)

> हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था, दयानंद सरस्वती ने उन्हें 'घर-वापसी' की राह दिखाई

जनसंख्या समीकरण में बदलाव के नतीजे

गंभीर शोध के बाद इन अहम पुस्तकों में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय किस तरह अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक होते ही अपना रंग बदल देते हैं। इतिहास इसका गवाह है और वर्तमान साक्षी, लिहाजा आपकी एक नजर इस आलेख पर अपेक्षित है।

डॉ. विवेक आर्य

आज से एक सदी पूर्व यानी वर्ष 1912 में आर्य समाज के नेता और हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य स्वामी श्रद्धानंद का कलकत्ता (अब कोलकाता) प्रवास के समय एक भद्र बंगाली पुरुष कर्नल मुखर्जी से वार्तालाप हुआ। कर्नल मुखर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था 'भारत की जनगणना'। इस अंग्रेजी पुस्तक के प्रथम भाग के पृष्ठ 122 पर कर्नल मुखर्जी ने लिखा, 'पिछले 30 वर्षों में भारत में हिंदुओं की जनसंख्या में 5 फीसदी की गिरावट हुई है, जो 74 फीसदी से घटकर 69 फीसदी रह गई है। अगर यह जनसंख्या इसी अनुपात में गिरती रही तो अगले 420 वर्षों में भारत से हिंदू गायब ही हो जाएगा।'

स्वामी श्रद्धानंद जी तब लेखक मुखर्जी के विचार सुनकर बहुत प्रभावित हुए थे। लिहाजा उन्होंने हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए तीन प्रमुख कार्य युद्ध स्तर पर आरंभ कर दिए। इसमें

अंतिम लक्ष्य 100 फीसदी यानी पूरे विश्व का इस्लामीकरण

क्रमशः मुसलमान

शांतिप्रिय 0-2%

अमेरीका 0.6
ऑस्ट्रेलिया 1.5
कनाडा 1.9
चीन 1.8
इटली 1.5
नॉर्वे 1.8

धर्म प्रचारक 2-5%

डेनमार्क 2
जर्मनी 3.7
ब्रिटेन 2.7
स्पेन 4
थाईलैंड 4.6

शरीअत की आवाज 5-8%

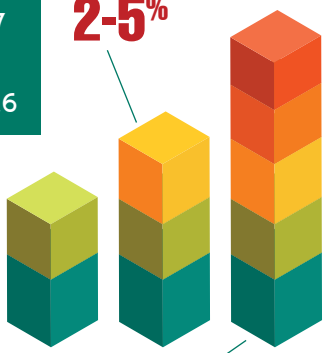

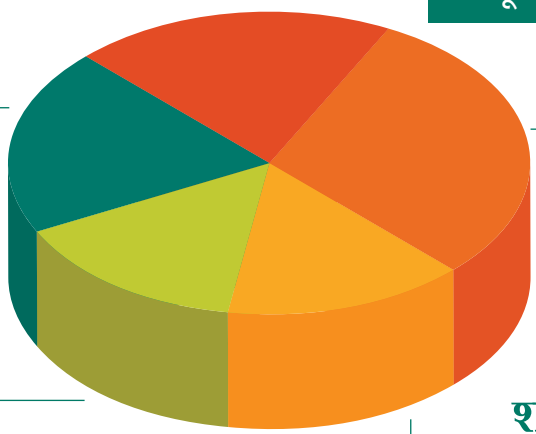

फ्रांस
फिलीपींस
स्वीडन
स्विट्जरलैंड
नीदरलैंड
त्रिनिदाद
टोबैगो

विवादित समुदाय 9-19%

गुयाना 10
इजराइल 16
केन्या 11
रूस 15

जेहादी मांग 20-39%

इथियोपिया 32.8
भारत 22

आतंकी हमलावर 40-59%

बोस्निया 40
चाड 54.2
लेबनान 59

जबरिया मुस्लिम 60-79%

अल्बानिया 70
कतर 78
सूडान 75

शासन प्रायोजित आतंक 80% से आगे

बांग्ला देश 83
मिस्र 90
गाजापट्टी 98
ईरान 98
इराक 97
जॉर्डन 93
मोरक्को 98
पाकिस्तान 97
सीरिया 90
संयुक्त अरब अमीरात 96

पहला कदम था दलित उद्धार, दूसरा वेद आदि धर्मशास्त्रों के स्वाध्याय को बढ़ावा और तीसरा शुद्धि अभियान यानी घर वापसी।

वास्तव में स्वामी जी इस तथ्य को अच्छी तरह से समझते थे कि हिंदू धर्म का त्याग करने वालों में सबसे अधिक संख्या निर्धन अछूत समाज के सदस्यों की होती है। चाहे धन अथवा अन्य प्रलोभन हो, चाहे गरीबी के कारण विवशता अन्यथा अन्य कारण हों, मगर यह सौ फीसदी सच है। इस समस्या के निवारण के लिए स्वामी जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वयं को दलितोद्धार मिशन हेतु समर्पित कर दिया। उन्होंने पहले कांग्रेस के मंच से इस कार्य को करने का मन बनाया, परन्तु कांग्रेस की दलित उद्धार नीति के प्रति बेरुखी के चलते उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। अंत में हिंदू महासभा और आर्य समाज के सामूहिक मंच से स्वामी जी ने इस कार्य को युद्धस्तर पर शुरू कर दिया।

अज्ञानता रूपी समस्या के चलते भी हिंदुओं को न तो अपने महान प्राचीन इतिहास का आत्मबोध रहा और न ही वे विदेशी आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं पर किए गए अनगिनत अत्याचार की याद संजोए रख सके। इस समस्या के समाधान के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने 'हिंदू संगठन' के नाम से पुस्तक की हिंदी और अंग्रेजी में रचना की। साथ ही भारत भर में व्यापक दौरे कर हिंदुओं को जागृत करने का भी प्रयास किया। वास्तव में इसी अज्ञानता के चलते हिंदू समाज के अनेक लोग अपने पूर्वजों के प्राचीन धर्म का त्याग करते रहे हैं।

मुगल-काल और ब्रिटिश युग में हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग अपने परिवार से बिछुड़ गया था। उन्हें तलवार के भय अथवा प्रलोभन के बल पर विधर्मी बनाया गया था। उनकी घर-वापसी के रास्ते के लिए आधुनिक काल में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने देहरादून में एक मुसलमान की प्रथम शुद्धि कर बड़ा अभियान चलाया। यह सदियों के बाद सही दिशा में खोला गया पहला खाता था। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि को अपने जीवन का परम उद्देश्य बनाया। इस क्रम में उनके प्रयत्न से आगरा के समीप रहने वाले हजारों मलकाना राजपूतों को शुद्ध कर वापस हिंदू धर्म में सम्मिलित किया गया। दरअसल वे नाममात्र के ही मुस्लिम थे। स्वामी जी के इस महान तप में जहां हिंदू समाज ने

समस्या का समाधान क्या ?

समस्या का समाधान तलाशना सचमुच बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा उन

1. अपने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर उनकी सभी प्रकार की सब्सिडी, वोट का अधिकार, राशन कार्ड या सरकारी नौकरी आदि का लाभ न मिले हमें चीन से यह नीति सीखने की आवश्यकता है।

2. अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाए। असम की तर्ज पर एनसीआर अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस बने, ताकि पूरे देश में इन कथित शरणार्थियों की पहचान की जा सके। अवैध शरणार्थियों को वोट देने या आधार कार्ड बनवाने का अधिकार कतई नहीं होना चाहिए।

3. मुस्लिम बहुल इलाकों में परिवार नियोजन और नसबंदी को व्यापक प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि जनसंख्या की बेतहाशा बढ़ोतरी पर अंकुश लगाया जा सके।

4. हिंदू समाज में मुस्लिम धर्म की कन्याओं का विशेष रूप से स्वागत नहीं किया जाता। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। समस्त हिंदू समाज को अपनी सोच को विस्तार देना होगा।

5. कोई भी हिंदू समान गोत्र होते हुए भी शुद्ध होकर आए मुस्लिम परिवार से कोई रोटी-बेटी का रिश्ता नहीं रखता। इस तरह

उनका साथ दिया, वहीं देश के मुसलमानों ने उनका पुरजोर विरोध किया। तत्कालीन समाचार पत्रों को देखने से इस विषय पर अधिक जानकारी मिलती हैं। इसी उन्माद के चलते एक मतांध मुस्लिम अब्दुल रशीद ने स्वामी जी की हत्या कर दी। स्वामी जी ने शुद्धि और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।

बावजूद इसके हिंदू समाज ने उनके कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया। आपस में रोटी-बेटी का संबंध बनाने में हिंदू समाज सदा संकोच करता रहा। लिहाजा घर वापसी उस व्यापक स्तर पर संभव नहीं हुई, जो अपेक्षित थी। 1947 के विभाजन के पश्चात मुसलमानों की जनसंख्या घट गई, जबकि हिंदुओं का अनुपात भारत में बढ़ गया। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते देश में अनेक मुसलमान यहीं रुक गए। पर न तो उनकी शुद्धि की गई, न ही पाकिस्तान भेजने के लिए प्रेरित किया गया।

हिंदू समाज एक बार फिर से दशकों के लिए सो गया, मगर मुस्लिम समाज धीरे-धीरे अपनी जनसंख्या को फिर से बढ़ाता रहा। हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया गया, जबकि मुसलमानों पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। नतीजतन वर्तमान में कश्मीर, केरल, असम, बंगाल के सीमांत जिलों और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात हिंदुओं से कहीं अधिक हो गया है। रही सही कसर बंगलादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देकर सेक्युलर सरकारों ने पूरी कर दी। आने वाले कुछ दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात और भी बदलेगा। तब आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी, इन तथ्यों का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

वर्ष 2005 में प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ. पीटर हैमंड ने गंभीर शोध के बाद दुनिया भर में इस्लाम धर्म मानने वालों की प्रवृत्ति पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका शीर्षक है 'स्लेवरी, टैररिज्म एंड इस्लाम-द हिस्टोरिकल रूट्स एंड कंटेमपररी थ्रैट'। इसके साथ ही 'द हज' के लेखक लियोन यूरिस ने भी इस विषय पर अपनी पुस्तक में विस्तार से प्रकाश डाला है। इन पुस्तकों से निकले हुए तथ्य न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि बेहद चिंताजनक भी हैं।

इन शोध पुस्तकों के अनुसार जब तक

तथ्यों पर एक नजर डालें, ये खास सुझाव हिंदू समाज के भविष्य को नई रोशनी की ओर ले जा सकते हैं

के संबंध स्थापित करने वाले परिवारों को हमें प्रोत्साहन देना होगा और पूर्ण सहयोग का भाव रखना होगा। इसी रणनीति से 'घर वापसी' अभियान को गति मिलेगी, जो वर्तमान माहौल में बेहद जरूरी है।

6. हिंदुओं के प्राचीन धर्मग्रंथों के बारे में न मंदिरों में बताया जाता है, न शिक्षा पाठयक्रमों में और न ही मीडिया के माध्यमों से बताने की कोई व्यवस्था है। विशुद्ध धार्मिक ज्ञान के अभाव में भटकाव की स्थिति सदैव बनी रहेगी, इसलिए हिंदू धर्मगुरुओं के सहयोग से धर्मग्रंथों के स्वाध्याय और प्रवचन को बढ़ावा देने की स्पष्ट नीति बने। इसके दूरगामी परिणाम हिंदू समाज के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे।

7. जातिवाद उन्मूलन हिंदू समाज में संगठन के लिए सबसे हितकारी कदम साबित हो सकता है। इस लिहाज से यह कार्य युद्ध स्तर पर शुरू होना चाहिए। ध्यान रहे, एकता में शक्ति है, अन्यथा हम अगर अलग-अलग होंगे तो बहुत आसानी से शत्रु का शिकार बन जायेंगे। हमारे देश की राजनीति में फूट डालने और राज करने की चाल अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। इस सोच में परिवर्तन कर समाज को संगठित करने का पुरजोर प्रयास किया जाना चाहिए।

8. सभी राष्ट्रवादी और देशभक्त संगठनों का एक समन्वय मंच स्थापित होना चाहिए, ताकि परस्पर सामंजस्य से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जरूरी कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। यही समन्वय धर्म और राष्ट्र हित में कारगार सिद्ध होगा।

कुल मिलाकर यह कहना प्रासंगिक होगा कि हिंदू समाज की सुप्तचेतना को जगाना समय की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि हम अब भी नहीं जागे तो संभवतः दोबारा अवसर ही न मिले। इसलिए सावधान 'उत्तिष्ठ, जागृत प्राप्य वरान्निबोधत'।

यह तो शास्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है।

जब मुस्लिम जनसंख्या किसी देश में 10 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तब वे उस देश, प्रदेश, राज्य या क्षेत्र विशेष में कानून-व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा करना शुरू कर देते हैं और साथ ही शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। वे अपनी 'असहाय परिस्थिति' का रोना लेकर बैठ जाते हैं और छोटी-छोटी बातों को लेकर सहिष्णुता से रहने की बजाय दंगे, तोड़-फोड़ आदि गतिविधियों पर उतर आते हैं।

मुसलमानों की जनसंख्या किसी देश-प्रदेश क्षेत्र में लगभग दो फीसदी के आसपास होती है, तब तक वे एकदम शांतिप्रिय, कानूनपसंद अल्पसंख्यक बन कर रहते हैं और किसी को विशेष शिकायत का मौका नहीं देते। जैसे वे अमेरीका में 0.6 प्रतिशत हैं, ऑस्ट्रेलिया में 1.5, कनाडा में 1.9, चीन में 1.8, इटली में 1.5 और नॉर्वे में मुसलमानों की संख्या 1.8 प्रतिशत है। लिहाजा इन देशों में मुसलमानों से किसी को कोई परेशानी नहीं है।

पर जब मुसलमानों की जनसंख्या 2 से 5 प्रतिशत के बीच तक पहुंच जाती है, तब वे अन्य धर्मावलंबियों में अपना धर्मप्रचार शुरू कर देते हैं। यह स्थिति डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और थाईलैंड में देखने को मिलती है, जहां क्रमशः 2, 3.7, 2.7, 4 और 4.6 प्रतिशत मुसलमान हैं।

जब मुसलमानों की जनसंख्या किसी देश या क्षेत्र में 5 प्रतिशत से ऊपर हो जाती है, तब वे अपने अनुपात के हिसाब से अन्य धर्मावलंबियों पर दबाव बढ़ाने लगते हैं और अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करने लगते हैं। उदाहरण के लिए वे सरकारों और शॉपिंग मॉल पर 'हलाल' मांस रखने का दबाव बनाने लगते हैं और कहने लग जाते हैं कि 'हलाल' का मांस न खाने से उनकी धार्मिक मान्यताएं प्रभावित होती हैं। इस कदम से कई पश्चिमी देशों में खाद्य वस्तुओं के बाजार में मुसलमानों की तगड़ी पैठ बन गई है। उन्होंने कई देशों के सुपर मार्केट के मालिकों पर दबाव डालकर उनके यहां 'हलाल' मांस रखने को बाध्य भी किया है। इस तरह दुकानदार भी अपने धंधे को देखते हुए उनके दबाव में आ जाते हैं।

इस तरह अधिक जनसंख्या होने का फैक्टर यहां से मजबूत होना शुरू हो जाता है, जिन देशों में ऐसा हो चुका है, वे फ्रांस, फिलीपींस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो हैं। इन देशों में मुसलमानों की संख्या क्रमशः 5 से 8 फीसदी तक है। इस स्थिति पर पहुंचकर मुसलमान उन देशों की सरकारों पर यह दबाव बनाने लगते हैं कि उन्हें उनके क्षेत्रों में शरीअत कानून के मुताबिक चलने दिया जाए। दरअसल, उनका अंतिम लक्ष्य तो यही होता है कि समूचा विश्व शरीअत कानून के हिसाब से चले।

जब मुस्लिम जनसंख्या किसी देश में 10 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तब वे उस देश, प्रदेश, राज्य या क्षेत्र विशेष में कानून-व्यवस्था के लिए परेशानी पैदा करना शुरू कर देते हैं और साथ ही शिकायतें करना

शुरू कर देते हैं बल्कि अपनी 'असहाय परिस्थिति' का रोना लेकर बैठ जाते हैं और छोटी-छोटी बातों को लेकर सहिष्णुता से रहने की बजाय दंगे, तोड़-फोड़ आदि गतिविधियों पर उतर आते हैं। मसलन, चाहे वह फ्रांस के दंगे हों, डेनमार्क का कार्टून विवाद हो या फिर एम्सटर्डम में कारों का जलाना हो, हरेक विवाद को समझबूझ और आपसी बातचीत के जरिए निबटाने की जगह विवादित बना दिया जाता है। ऐसा गुयाना (मुसलमान 10 प्रतिशत), इजराइल (16 प्रतिशत), केन्या (11 प्रतिशत) और रूस (15 प्रतिशत) में हो चुका है।

इसी तरह जब किसी क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या 20 प्रतिशत से ऊपर हो जाती है तो उनकी विभिन्न 'सैनिक शाखाएं' जेहाद के नारे लगाने लगती हैं और असहिष्णुता का चेहरा नजर आने लगता है, लिहाजा धार्मिक हत्याओं का दौर देखने को मिलता है। इथियोपिया और भारत इस सच के गवाह हैं, जहां मुसलमान जनसंख्या में क्रमशः 32.8 और 22 प्रतिशत हैं। दरअसल यह स्थिति यहीं पर नहीं ठहरती। आगे की तस्वीर पर नजर डालें तो कुछ अन्य उदाहरण लेने होंगे। मसलन, मुसलमानों की जनसंख्या के 40 प्रतिशत के स्तर से ऊपर पहुंच जाने पर बड़ी संख्या में सामूहिक हत्याएं और आतंकवादी गतिविधियां चलने लगती हैं। जैसा बोस्निया, चाड और लेबनान में देखा जा सकता है, जहां मुस्लिम आबादी क्रमशः 40 प्रतिशत, 54.2 और 59 प्रतिशत के आंकड़े को छू रही है।

शोधकर्ता लेखक डॉ. पीटर हैमंड अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब किसी देश में मुसलमानों की जनसंख्या 60 प्रतिशत से ऊपर हो जाती है, तब अन्य धर्मावलंबियों का 'जातीय सफाया' शुरू हो जाता है। यह उदाहरण देश भारत के कश्मीर में देखा जा सकता है, जहां जबरिया मुस्लिम बनाना, अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल तोड़ना या जजिया जैसा अन्य कर वसूलना कोई खास बात नहीं है। यही हालात अल्बानिया (मुसलमान 70 प्रतिशत), कतर (मुसलमान 78 प्रतिशत) व सूडान (मुसलमान 75 प्रतिशत) में देखे गए हैं।

किसी देश में जब मुसलमान बाकी आबादी का 80 प्रतिशत हो जाते हैं, तो उस देश में सत्ता या शासन प्रायोजित जातीय सफाई की जाती है। अन्य धर्मों के अल्पसंख्यकों को उनके मूल नागरिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। सभी प्रकार के हथकंडे अपनाकर जनसंख्या को 100 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाता है। जैसे बंगला देश (मुसलमान 83 प्रतिशत), मिस्र (90 प्रतिशत), गाजापट्टी (98 प्रतिशत), ईरान (98 प्रतिशत), इराक (97 प्रतिशत), जॉर्डन (93 प्रतिशत), मोरक्को (98 प्रतिशत), पाकिस्तान (97 प्रतिशत), सीरिया (90 प्रतिशत) व संयुक्त अरब अमीरात (96 प्रतिशत) में देखा जा रहा है।

इन जमीनी आकंड़ों को एक नजर डालने से किसी के भी दिमाग में सच की तस्वीर अपने आप उभरने लगती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.8 फीसदी रही और मुसलमानों की जनसंख्या दर 24.6 फीसदी। कुछ लोग यह कहकर तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या दर घट रही है। मगर ऐसी समझ रखने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में अविवाहित हैं, जो अगले एक दशक में अनेक संतानों को जन्म देंगे। जहां हिंदू दम्पति अधिकतम एक अथवा दो को जन्म देंगे, वहीं दूसरी ओर अधिकांश मुस्लिम दंपत्ति अनेक बच्चों को जन्म देंगे।

(लेखक आर्य समाज से प्रेरित राष्ट्रवादी लेखन से जुड़े हुए हैं।)

> हमें जनसंख्या पर अंकुश के लिए चीन की तरह अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे

आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं, वह किस भारत का है। दरअसल वह 1947 में विभाजित हुए भारत का है। अगर हम भारत से अलग किए गए हिस्सों पर नजर डालें तो यह वह भारत है, जिसे इतिहास की विहंगम दृष्टि में भारत पर हमला करने वालों ने हमसे छीन लिया।

भारत में जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या

निर्मलेंदु साहा

अपने देश में जनसंख्या में बेतहाशा बढोतरी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, इस तथ्य से किसी की राय जुदा नहीं हो सकती। विशेषज्ञ इस वृद्धि के कई कारण मानते हैं, मसलन- अशिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, बाल विवाह, अंधविश्वास आदि। जनसंख्या वृद्धि से बहुतेरी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। दरअसल, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करना न केवल आवश्यक है, बल्कि इसके लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना जरूरी हो गया है।

यह कहना प्रासंगिक होगा कि दुनिया में सबसे अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि दर भारत में है और शायद यही वजह है कि आज यह भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। क्षेत्रफल के सतुंलन की दृष्टि से भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है।

सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1,21,01,93,422 है, जिसका अर्थ है कि भारत ने एक अरब के आंकड़े को पार कर लिया है। भारत में आबादी बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं। जन्म दर का प्रतिशत मृत्यु दर से अधिक होना। हमने मृत्यु दर के प्रतिशत को तो सफलतापूर्वक कम कर दिया है, पर हम जन्म दर के बारे में यह कह नहीं सकते। विभिन्न जनसंख्या नीतियों और अन्य उपायों से प्रजनन दर कम तो हुई है पर फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि यह दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अधिक है। यह चीन के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अध्ययनों से पता चला है कि जनसंख्या

के मामले में 2025 तक भारत चीन को भी पछाड़ कर विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। सच तो यह है कि अपने यहां सरकार ने जनसंख्या नीतियां, परिवार नियोजन और कल्याण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे प्रजनन दर में लगातार कमी आई है। बावजूद इसके आबादी का वास्तविक स्थिरीकरण 2050 तक ही संभव हो पाएगा। तभी तो भारत का हर कोना, हर नुक्कड़, हवाई अड्डा, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हाईवे, बस स्टॉप, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, मंदिर, बाजार या फिर कोई सामाजिक या धार्मिक समारोह– आप इन सभी जगहों को दिन के किसी भी समय भीड़ से भरा देख सकते हैं।

भारत में पहली बार वर्ष 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। आपातकाल के दौरान हुई कुछ ज्यादतियों के कारण परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण रखना पड़ा। एक अध्ययन के अनुसार, जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है, वहां मातृ मृत्यु-दर और शिशु मृत्यु-दर भी बहुत अधिक होती है। बार-बार जन्म देने से मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उनके जीवित रहने के सवाल पर जोखिम भी बढ़ जाता है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है और विशेषतः ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जहां इस दिशा में कम कार्य किया गया है।.

हमें इसके पीछे के कारण को समझना होगा। आजादी के 70 साल बाद भी बढ़ती आबादी के कारण देश का परिदृश्य कुछ खास अच्छा नहीं है। आम तौर पर प्रचलित अवधारणा है कि जल्दी शादी करने से गर्भधारण करने की अवधि बढ़ जाती है। वैसे तो कानूनी तौर पर किसी लड़की की शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन जल्दी शादी की बात लोगों की मानसिकता में गहराई तक बैठी हुई है। तेज गति से आबादी बढ़ने का एक अन्य कारण गरीबी भी है। पुराने सांस्कृतिक आदर्श को भी एक अवधारणा माना जा सकता है। दरअसल, भारत में बेटे परिवार के लिए पैसे कमाने वाले सदस्य माने जाते हैं। इस दकियानूसी सोच के चलते पति-पत्नी पर बेटा पैदा करने का दबाव बहुत बढ़ जाता है। जानकारों के मुताबिक, इस पिछड़ी समझ का ही नतीजा है जनसंख्या में लगातार भारी वृद्धि।

जनसंख्या का एक कड़वा सच यह भी है कि भारत में शादी को एक पवित्र कर्तव्य और सार्वभौमिक अभ्यास माना जाता है, जहां लगभग सभी महिलाओं की शादी प्रजनन क्षमता की आयु में आते ही हो जाना अनिवार्य है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बुढ़ापे में मां-बाप की देखभाल करने के लिए भी

देश के अपेक्षित विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन होना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा जन जागरुकता बढ़ाने और जनसंख्या नियंत्रण के कड़े मानदंड बनाने से देश की आबादी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

बेटों का होना बहुत जरुरी होता है। यह एक अजीब तरह की सोच है, लेकिन यह भी सच है कि भारत अब भी गर्भ निरोधकों और जन्म नियंत्रण विधियों के इस्तेमाल में पीछे है। इसके अलावा एक कटु सत्य यह भी है कि कुछ लोग इस बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं होते या फिर इससे पूरी तरह अनजान हैं। वैसे, निरक्षरता को भी आबादी बढ़ने का एक अन्य कारण समझा जाता है। भारत जैसे देश में इतनी ज्यादा आबादी के लिए रोजगार पैदा करना बहुत मुश्किल है। संसाधनों के अभाव में अनपढ़ लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, इसलिए बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। भारत में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या के चलते आर्थिक मंदी, व्यापार विकास और विस्तार गतिविधियां धीमी होती जा रहीं हैं।

जनसंख्या नियंत्रण के कड़े मानदंड

देश के अपेक्षित विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन होना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा जन जागरुकता बढ़ाने और जनसंख्या नियंत्रण के कड़े मानदंड बनाने से देश की आबादी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। दुनिया में अलग-अलग क्षेत्रों में भारत की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। चाहे विज्ञान हो या तकनीक, स्वास्थ्य सेवाएं हों, व्यापार-उद्योग, सेना, संचार, मनोरंजन, साहित्य या जीवन का कोई क्षेत्र हो। दुर्भाग्य से बुनियादी ढांचे का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, जितनी तेजी से आबादी में वृद्धि हो रही है। इसका नतीजा परिवहन, संचार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत कमी के तौर पर सामने आता है। इससे झुग्गी बस्तियों, भीड़ भरे घरों या ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं में भारी बढ़ोतरी हुई है।

आबादी पर नियंत्रण पाने के लिए जो बड़े कदम उठाए जा चुके हैं, उन्हें जोर देकर लागू करने की जरुरत है। महिलाओं और बच्चियों की कल्याणकारी योजनाओं को गति देना। साथ ही उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए शिक्षा के प्रसार, गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन के तरीके, सेक्स शिक्षा, पुरुष नसबंदी को बढ़ावा और बच्चों के जन्म में अंतर, कंडोम का मुफ्त वितरण, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा और गरीबों के लिए ज्यादा स्वास्थ्य सेवा केंद्र कुछ ऐसे कदम हैं, जो आबादी काबू पाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज का विश्व बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन-प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती समस्याओं के बोझ तले कसमसा रहा है। इससे न केवल हमारा आर्थिक संतुलन

बिगड़ रहा है, बल्कि पारिस्थितिकीय संतुलन खतरे का निशान पार कर रहा है।

गणितज्ञ बड़वानी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की बातें आज भी प्रासंगिक हैं। कभी माल्थस ने भविष्यवाणी की थी कि मनुष्य जनसंख्या नियंत्रित नहीं करेगा तो प्रकृति अपनी विभीषिकाओं से यह काम खुद कर लेगी। यह सिद्धांत आज के दौर में पूरी तरह से लागू नहीं होता है। अगर हम बढ़ती हुई जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों में स्थापित समुचित संतुलन करें तो विकास हो सकता है।

आज दुनिया का हर देश जनसंख्या विस्फोट से चिंतित है। विकासशील देश अपनी आबादी और जनसंख्या के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं तो विकसित देश पलायन और रोजगार की चाह में दूसरे देशों से आकर रहने वाले शरणार्थियों के कारण परेशान हैं। हमारे कुछ राज्यों की जनसंख्या तो दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। बेशक जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ कमी आई है, उसके बावजूद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। लिहाजा प्रतिवर्ष लाखों लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत कम दंपति ही गर्भ निरोधक का उपयोग करते हैं।

विस्फोटक परिणाम

दरअसल बेरोजगारी और गरीबी दो ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण भ्रष्टाचार, चोरी, अनैतिकता, अराजकता व आतंकवाद जैसे अपराध पनपते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किए बिना इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। विगत दशकों में यातायात, चिकित्सा, आवास इत्यादि सुविधाओं में व्यापक सुधार हुए हैं, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी के कारण सुविधाएं बहुत कम पड़ रही हैं।

दिन-ब-दिन बढ़ रही आबादी की वजह से बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। 1951 में देश में करीब 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे, लेकिन आज बेरोजगारों की तादाद 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन बेहद जरूरी है। हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर भारत में भी लंबे-चौड़े आश्वासनों का पिटारा तो खोला जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन पर अमल के प्रति कोई सरकार गंभीर नहीं रहती, नतीजा वही ढाक के तीन पात।

हालांकि यह बात भी सही है कि जनता की सहभागिता के अभाव में सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाने वाला प्रचार-प्रसार उतना उपयोगी साबित नहीं हो पाता। इसमें कोई दो राय नहीं कि विगत दशकों में देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ी, उस गति से

आज दुनिया का हर देश जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से चिंतित है। विकासशील देश अपनी आबादी और जनसंख्या के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं तो विकसित देश पलायन और रोजगार की चाह में बाहरी देशों से आकर रहने वाले शरणार्थियों के कारण परेशान हैं।

कोई भी सरकार जनता के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की व्यवस्था करने में सफल नहीं हो सकती। बढ़ती आबादी की विस्फोटक परिस्थितियों के कारण ही संविधान में जिस उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह भी गौण होकर रह गया है। हालांकि विगत दशकों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार जुटाने के अनेक कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन ये सभी कार्यक्रम 'ऊंट के मुंह में जीरा' ही साबित हुए हैं।

चीन जैसी सफलता नहीं मिली

भारत रक्षा मंच की इच्छा करनी है इस देश की रक्षा।

भारत में जनसंख्या वृद्धि में हो रही कमी की दर को देखें तो हम जनसंख्या नियंत्रण के मामले में लाख कोशिशों के बाद भी चीन जैसी उपलब्धियां हासिल करने में सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में निरंतर सुधार हुआ है। दरअसल हमारे यहां अब तक प्रायः सभी मामलों में राजनीतिक स्तर पर दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव स्पष्ट झलकता रहा है।

1960 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर 1950 के दशक का आंकड़ा पार कर 24.8 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद के दशकों में जनसंख्या वृद्धि में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 1971-81 के दौरान यह वृद्धि दर 24.66 प्रतिशत, 1981-91 के दौरान 23.86 प्रतिशत और 1991-2001 के दौरान 21.34 प्रतिशत थी। देश में 40 फीसदी आबादी आजादी के बाद से ही गरीबी के आलम में जी रही है।

गरीबी में जीवन गुजार रहे ऐसे बहुत से लोगों की यही सोच रही है कि उनके यहां जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतने ही ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे। मगर यह सोच वास्तविकता के धरातल से बिल्कुल परे है, क्योंकि आज तेजी से बढ़ती महंगाई के जमाने में परिवार के बड़ा होने से कमाने वाले हाथ ज्यादा होने पर जितनी आय बढ़ती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरतें और विभिन्न उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिनकी पूर्ति कर पाना सामर्थ्य से परे हो जाता है। यहां पर अगर यह बात कहें कि यह तेजी से बढ़ती जनसंख्या का ही दुष्परिणाम है, सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक

दबाव पड़ रहा है, जिससे प्राकृतिक एवं मानव जन्य आपदाएं तथा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां सिर उठा कर हमारे लिए बड़ी चुनौती बन चुकी हैं।

रसातल में सार्वजनिक सुविधाएं और पर्यावरण

सवाल यह है कि बढ़ती जनसंख्या के युग में हमारी सरकारें आवास, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भूमि कहां से लाएंगी। इसके अलावा खाद्यान्न या पेयजल की उपलब्धता कैसे बढ़ेगी? यह सब स्वाभाविक उपजने वाले सवाल हैं। साथ ही कृषि पर दबाव बढ़ने से रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे भूमि बंजर हो रही है। जल संसाधनों की दशा किसी से छिपी नहीं है। जल स्तर लगातार रसातल में जा रहा है।

औद्योगिक विकास तथा आर्थिक विकास की चाह में वनों के विनाश के कारण बाढ़, सूखे तथा पारिस्थितिकी विनाश की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या का दबाव निर्धनता, बेरोजगारी, आवास की समस्या, कुपोषण, चिकित्सा सुविधाओं पर दबाव और कृषि पर भार के रूप में भी देखा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर गंभीर प्रभाव देखने में आए हैं, जिससे इस दौर में कई आर्थिक, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

आर्थिक विकास में अवरोध, पर्यावरण प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय समस्याएं, ऊर्जा संकट, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण, यातायात की समस्याएं, रोजगार की समस्याएं आदि जनसंख्या में लगातार वृद्धि के ही दुष्परिणाम हैं। ऐसे में देश का धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वरूप बदलने की आशंका से होने वाले तनावों को नियंत्रित करने के लिए बिना किसी भेदभाव के हर धर्म-संप्रदाय के लिए एक समान कानून बनाए जाने की जबरदस्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। परिवार नियोजन का विरोध करने वालों को तत्काल प्रभाव से नागरिकता से वंचित करते हुए दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए विवाह अधिनियम का कठोरता से पालन, लड़कियों के लिए वैज्ञानिक शिक्षा अनिवार्य करने जैसे उपाय कारगर हो सकते हैं। यह तभी संभव है जब देश का प्रत्येक व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम को समय रहते समझे और इस गंभीर चुनौती से निबटने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों पर चीन जैसे दंडात्मक निषेध लागू किए जाए।

इस तरह के कठोर कदम की शुरुआत सरकारी नौकरियों से लेकर संसद और विधानसभा में प्रवेश से शुरू होनी चाहिए, जहां दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले अपात्र घोषित किए जा सकते हैं। विकास की सबसे बड़ी बाधा बेलगाम बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाने की दिशा में इस कदम को सख्ती से उठाया जा सकता है। प्रश्न है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जनसंख्या वृद्धि में अपेक्षित कमी लाने के साथ-साथ जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में इस बात का ध्यान रखे जाने की भी नितांत आवश्यकता है कि पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात किसी भी सूरत में न बिगड़ने पाए, क्योंकि अगर यह अनुपात इसी कदर गड़बड़ाता रहा तो आने वाले समय में इसके कितने घातक नतीजे सामने आएंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

चीन से सबक

दुनिया की कुल आबादी छह अरब से भी अधिक है। ध्यान देने की बात तो यह है कि इस बढ़ती आबादी का सबसे अधिक हिस्सा विकासशील देशों का है। जहां अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी जैसे विकसित देशो की जनसंख्या वृद्धि की दर 0.1 प्रतिशत है। चीन समेत अन्य विकासशील देशो की औसत जनसंख्या वृद्धि 2.0 प्रतिशत है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या में अधिकांश योगदान अफ्रीकी और एशियाई देशों का है। 1900 से लेकर 1975 तक दुनिया में हुई कुल जनसंख्या वृद्धि का 80 प्रतिशत हिस्सा विकासशील देशो का रहा, जो अब बढ़कर 98 प्रतिशत पहुंच गया है।

जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान स्थिति की भयावहता को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण विशेषज्ञों की इस चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार में अपेक्षित कमी लाने में सफलता नहीं मिली तो निकट भविष्य में एक दिन ऐसा भी आएगा, जब लोगों के रहने के लिए धरती कम पड़ जाएगी। विश्व भर में अभी भी करीब डेढ़ अरब लोग ढलानों, दलदल के करीब, जंगलों और ज्वालामुखी क्षेत्रों जैसे खतरनाक जगहों पर रह रहे हैं। अफ्रीकी देशो में जनसंख्या वृद्धि का औसत दर 2.5 प्रतिशत है।

ईरान, इराक, कुवैत, यमन, ओमान, कतर, सीरिया आदि मुस्लिम देशों में जनसंख्या वृद्धि की औसत दर 2.2 प्रतिशत तो सार्क देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में औसत जनसंख्या वृद्धि की दर 1.9 प्रतिशत है। यही कारण है कि इन देशो में बेरोजगारी, निरक्षरता और भ्रष्टाचार जैसी जटिल समस्याएं हैं। सन 2000 तक भारत की कुल आबादी बढ़कर 1 अरब से ज्यादा हो गई थी। इस दृष्टि से दुनिया का हर 60 वां व्यक्ति भारतीय है। 2007 में भारत की जनसंख्या 1,02,87,37,436 हैं, जिनमें 53,22,23,090 पुरुष और

49,65,14,436 महिलाएं हैं।

जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत दुनिया के कुछ समस्याग्रस्त देशों में से एक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण है। उन्हीं कारणो में से एक यह भी है कि चिकित्सा पद्धतियों, दवाइयों और वैज्ञानिक उपकरणो की खोज व प्रयोगों से विज्ञान ने मृत्युदर पर तो नियंत्रण पा लिया है, परंतु जन्मदर पर नियंत्रण पाने में वह असमर्थ है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने में विज्ञान की काफी बड़ी भूमिका है, फिर भी जनसंख्या वृद्धि पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पाया है। बढ़ती जनसंख्या जहां समूचे विश्व के लिए गहन चिन्ता का विषय बनी हुई है, इसका सर्वाधिक चिंतनीय पहलू यह है कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अब हमें जनसंख्या पर प्रभावी रोक लगाने के मामले में चीन का उदाहरण सामने रखकर ही आगे के लक्ष्य तय करने होंगे। एक दशक से भी अधिक समय से चीन की जनसंख्या स्थिर बनी हुई है, जिसका प्रमुख कारण यही है कि चीन सरकार ने औसत मृत्यु दर के आधार पर ही जन्मदर को भी नियंत्रित करने की व्यवस्था बनाते हुए छोटा परिवार रखने वाले लोगों के लिए विशेष सरकारी लाभों का प्रावधान किया, जिसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं।

यौन शिक्षा जरूरी

जिन क्षेत्रों में महिलाओं का शिक्षा स्तर कम है, वहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई गई है। पढ़ी-लिखी महिलाएं जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक होती हैं। इस तरह महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे अपने बच्चों के खानपान, पोषण तथा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगी, जिससे जनसंख्या पर भी नियंत्रण संभव हो सकेगा। इस तरह एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। हमारे देश में आज भी महिलाओं की शिक्षा का स्तर पुरुषों की अपेक्षा काफी निम्न है। शिक्षित न होने से महिलाएं जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को नहीं समझ पातीं। यही नहीं, वे अपने खान-पान पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पातीं और न ही जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान दे पातीं हैं।

यौन संबंधी जानकारी न होने के कारण लोग असमय तथा अधिक बच्चे पैदा कर देते है। यौन संबंधी जानकारी से जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायता मिल सकती है। आज भी हमारे समाज में यौन संबंधों को छिपाने की चीज समझा ज्ञाता है। लोग यौन संबंधी बातें करने तथा उससे जुड़ी समस्याओं पर खुलकर बातें करने से कतराते हैं।

जनसंख्या वृद्धि रोकने के कई उपाय हो सकते हैं, जिनको आजमाया जा सकता है। मसलन- शिक्षा का प्रसार, विवाह की आयु में वृद्धि, परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, जनसंख्या शिक्षा, महिला शिक्षा, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी, संतानोत्पत्ति की सीमा का निर्धारण, सन्तति सुधार कार्यक्रम, जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रचार-प्रसार, यौन शिक्षा और जन संपर्क या स्वास्थ्य सेवा व मनोरजन के साधन। केवल यही नहीं, जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास भी जरूरी हे।

आज विश्व मे जब कहीं भी विज्ञान के विकास की चर्चा होती है तो भारत का नाम अवश्य लिया जाता है। पर विडम्बना है कि भारत का नाम विकसित देशों की सूची में नहीं आता। कमोबेश आज भी भारत की गिनती विकासशील देशों में ही होती है।

आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि इसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि जैसी जटिल समस्या पर काबू पाया जा सकता है, इससे हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि अपने देश में अत्यधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। पूरे विश्व में हर साल 8 करोड़ की संख्या कुल जनसंख्या में बढ़ जाती है, जिसमें दो करोड़ की वृद्धि अकेले भारत करता है अर्थात पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या वृद्धि का एक चौथाई हिस्सा अकेले भारत के खाते में आता है। भारत में प्रति मिनट 52 बच्चे पैदा होते हैं।

वर्तमान में भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 70 लाख की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में यह तीव्र वृद्धि देश के लिए अभिशाप है, परिणामस्वरूप हमारे यहाँ गरीबी, बेराजगारी व महँगाई आदि समस्याए दिनों-

दिन बढ़ती जा रही हैं। इससे हमारे आर्थिक विकास की सभी योजनाए निष्फल सिद्ध हो रही है। अगर हमें विकास की गति का लाभ उठाना है और उन्नत जीवन स्तर प्राप्त करना है तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है।

जनसंख्या वृद्धि पर लगाम

शिक्षा का प्रसार होना यानी जनसंख्या पर अंकुश होना। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार इस दिशा में बड़ा हथियार साबित हो सकता है। जनसंख्या में तीव्र गति की यह वृद्धि देश के लिए अभिशाप बनती जा रही है। फलस्वरूप गरीबी, बेराजगारी तथा महंगाई आदि समस्यायें दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। गांवों में शिक्षा की कमी, अज्ञानता, शहरों की गंदी बस्तियों में शिक्षा की रोशनी न होने से जनसंख्या नियंत्रण का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है। अतएव लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के बाद ही जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यहां यह

बता देना जरूरी है कि आज भी भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जहां इस मिशन की कामयाबी जरूरी है।

इसी तरह परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा भी बेहद अहम है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार अति आवश्यक है। इस लिहाज से परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन-आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। साथ ही विवाह की आयु में वृद्धि करना भी एक जरूरी कदम है। दरअसल लड़के-लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए। हमारे देश में आज भी बाल विवाह की प्रथा है, इसलिए बाल-विवाह पर सही तरीके से कानूनी रोक लगाना बेहद आवश्यक है। गर्भ-निरोधकों के प्रयोग से जिसमें निरोध, कापरटी, नसबंदी और गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन जैसी जानकारी देने के साथ इनका प्रचार-प्रसार करके जनसंख्या वृद्धि में काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।

संतानोत्पत्ति सीमा निर्धारण

जनसंख्या विस्फोट से बचने के लिए प्रत्येक दम्पत्ति की संतानों की संख्या एक या दो करना अति-आवश्यक है। आज के दौर में परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में संतान की सीमा निर्धारण करना अति आवश्यक है। यह कहना प्रासंगिक है कि चीन में इसी उपाय को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पा लिया गया है। सामाजिक शिक्षा और जनसंख्या सुरक्षा की जानकारी हर लिहाज से जरूरी है।

हमारे देश में वृद्धावस्था, बेकारी अथवा दुर्घटना से सुरक्षा न होने के कारण लोग बड़े परिवार की इच्छा रखते हैं। लिहाजा यहां सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में बेराजगारी भत्ता, वृद्धावस्था, पेंशन, वृद्धा-आश्रम चलाकर लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने की जरूरत है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसे सरकार व स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अपने-अपने स्तर पर चलाया जा रहा है। उसके माध्यम से लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न कठिनाइयां, दुष्प्रभावों, खान-पान, बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी गडबड़ियां, विवाह की सही उम्र आदि विषयों की जानकारी दी जाती है। अब तो जनसंख्या शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, ताकि युवाओं में जनसंख्या को लेकर जागरूकता आ सके और उन्हें जागरूक बनाकर जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया जा सके।

जीवन-स्तर ऊंचा हो

देश में कृषि व औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए जाने चाहिए। जीवन स्तर के ऊँचा उठ जाने पर लोग स्वयं ही छोटे परिवार के महत्व को समझने लगेंगे। देश के नागरिकों की कार्यकुशलता और आर्थिक उत्पादन की क्षमता को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक ही नहीं, बल्कि घरेलू स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सफाई पर खास ध्यान देना बेहद आवश्यक है। डाक्टर, नर्स और परिचारिकाओं आदि की संख्या में जरूरत के मुताबिक वृद्धि की जानी चाहिए। ग्रामीणों को स्वास्थ्यप्रद जीवन व्यतीत करने और मनोरंजन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जानी चाहिए, ताकि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि गांवों में रहने वाले स्त्री-पुरूषों के लिए सेक्स ही एकमात्र मनोरंजन का साधन न रहे।

इन उपायों के अतिरिक्त दूसरे रास्तों से भी जन्म दर में कमी करना संभव हो सकता है। विवाह की अनिवार्यता को ढीला बनाना, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के आर्थिक स्वावलम्बन पर जोर देना, गर्भपात एवं बन्ध्याकरण की विश्वसनीय सुविधाओं का विस्तार, अधिक सन्तान उत्पन्न करने वाले दम्पत्ति को सरकारी सुविधाओं से वंचित करना और एक या दो बच्चे पैदा करने वाले दम्पत्ति को विभिन्न शासकीय लाभ दिए जाने जैसे मुद्दे इस दिशा में सकारात्मक हो सकते हैं। सभी जानते हैं, 1970 के बाद चीन ने 'एक दम्पत्ति एक संतान' का नारा देकर अपनी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है।

(लेखक राष्ट्रीय मीडिया के मुख्यधारा में वरिष्ठ पत्रकार व संपादक की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं।)

बढ़ती जनसंख्या समाधान और जागरूकता

डॉ. कुलदीप मलिक

हम आपको बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि भारत में होती है और शायद यही वजह है कि आज यह भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है।

"नीति आयोग की चेतावनी के बाद जनसंख्या को लेकर हमें हरकत में आना ही होगा"

वर्तमान समय में दुनिया के सभी विकसित देशों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 400 से भी ऊपर है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या यानी करीब 137 करोड़ की आबादी वाला देश हो चुका है और चीन पहले स्थान पर है। भारत के बाद क्रमशः अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और जापान का स्थान आता है। आजादी के बाद 34 करोड़ से बढ़कर हम लगभग 137 करोड़ हो गए हैं। प्रतिवर्ष एक करोड़ साठ लाख लोग बढ़ रहे हैं। जानकार बताते हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत चीन को पछाड़ कर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और अगले 10-12 वर्षों में हमारी आबादी 1.5 अरब को पार कर जाएगी। चीन जैसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश (जिसका क्षेत्रफल हम से तीन गुना से भी ज्यादा है) में 1 मिनट में 11 बच्चे पैदा हो रहे है। हमारे

कई प्रदेशों की जनसंख्या दुनिया के कई देशों के बराबर है। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश,भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी ब्राजील के बराबर है।

दुनिया की लगभग 18 फीसदी जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि दुनिया की केवल 2.4 फीसदी जमीन, 4 फीसदी पीने का पानी और 2.4 फीसदी वन ही भारत में उपलब्ध हैं। इस तरह आसानी से समझा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या-संसाधन अनुपात असंतुलित है, जो एक चिंतनीय विषय है। यह विषय तब कहीं ज्यादा गंभीर हो जाता है, जब हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही हो और संसाधन लगातार कम होते जा रहे हों। आंकड़ों के हवाले से समझा जा सकता है कि चुनौती कितनी बड़ी और गंभीर है। प्रकृति के सभी साधनों की एक तय सीमा है, परंतु भारत की जनसंख्या बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। अगर जनसंख्या बढ़ने की यही गति रही तो यह तय है कि अन्न से लेकर प्राणवायु तक, सब पर संकट आएगा, जिसके फलस्वरूप देश में गृह युद्ध के हालात भी पैदा हो सकते हैं।

विश्व बैंक के अनुसार, करीब 22 करोड़ लोग हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आज देश की 15 फीसदी आबादी कुपोषण की शिकार है और कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक भारत में है। बच्चों में कुपोषण की दर 40 फीसदी है। 65 फीसदी आबादी के पास शौचालय नहीं है, जबकि 26 फीसदी आबादी निरक्षर है। जिस देश में हर साल 1.2 करोड़ लोग रोजगार के बाजार में आ जाते हों, वहां युवाओं का रोजगार पाना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बढ़ती बेरोजगारी की हालत यह है कि पुलिस के सिपाही या चपरासी के पद के लिए लाखों उम्मीदवार अर्जी देते हैं, जिनमें मास्टर और पीएचडी डिग्री पास लोग तक शामिल होते हैं।

देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य शहर गैस चैंबर बनते जा रहे हैं। बच्चों की बीमारियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। पूरे शहर का कूड़ा जिस एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, उससे वहां पहाड़ सा बन गया है। दिल्ली में रोजाना सैकड़ों नई गाड़ियां सड़क पर आ रही हैं।

नीति आयोग ने पानी की समस्या के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देकर इस समस्या की गंभीर होती परिस्थिति से देश को सावधान कर दिया है। अब महत्वपूर्ण दायित्व निभाना हमारा काम है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि साठ करोड़ भारतवासी पीने के पानी की भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं। दो लाख लोग प्रतिवर्ष साफ पानी की कमी के कारण मर जाते हैं। पानी की गुणवत्ता की दृष्टि से विश्व के 122 देशों में भारत बहुत नीचे यानी 120 वें स्थान पर है। 84 फीसदी ग्रामीण घरों में पीने के पानी की व्यवस्था ही नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 21 प्रमुख नगरों में (जिनमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे महानगर भी शामिल है) 2020 तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। इस उच्च स्तरीय संस्था की यह रिपोर्ट भारत के भविष्य की एक डरावनी तस्वीर पेश करती है। खुशहाली की सूची में भी हम अपने पड़ोसी देशों जैसे चीन, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी नीचे चल रहे हैं।

देश की राजधानी दिल्ली सहित अपने अन्य शहर गैस चैंबर बनते जा रहे हैं। बच्चों की बीमारियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं। पूरे शहर का कूड़ा जिस एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, जिससे वहां पहाड़ सा बन गया। दिल्ली में रोजाना सैकड़ों नई गाड़ियां सड़क पर आ रही हैं। लगातार भीड़ बढ़ रही है और यातायात रुक रहा है। भारत आज के विश्व की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। विश्व के छह अमीर देशों में भारत का नाम भी शुमार है। हर वर्ष यहां के अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी ओर दुनिया में सबसे अधिक भूखे लोग भारत में ही निवास करते हैं।

देश की सभी समस्याओं के बहुत से कारण हो सकते हैं, परंतु सभी समस्याओं का सबसे प्रमुख और बुनियादी कारण देश की बढ़ती जनसंख्या का प्रकोप है। भारत में आबादी का बढ़ना कैंसर जैसी बीमारी के समान है, जिसका समय रहते इलाज नहीं हुआ तो यह लाइलाज हो सकती है। यह हैरानी की बात है कि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल है, जिसने सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या और परिवार नियोजन पर नीतियां तैयार कीं, लेकिन वे बुरी तरह फेल हो गईं। करीब चार दशक पहले यानी 43 साल पहले-1975 के आस-पास बढ़ती जनसंख्या देश में एक मुद्दा थी। लेकिन आपातकाल में जबरन नसबंदी अभियान के बाद राजनीतिक दलों और अन्य नीति-नियंताओं के एजेंडे से यह मामला कुछ इस तरह बाहर हुआ, कि फिर इसकी सुध आज तक किसी को नहीं आई। क्या यह अजीब स्थिति नहीं है कि 43 साल

भारत की जनसंख्या 2018 – 1,358,137,719

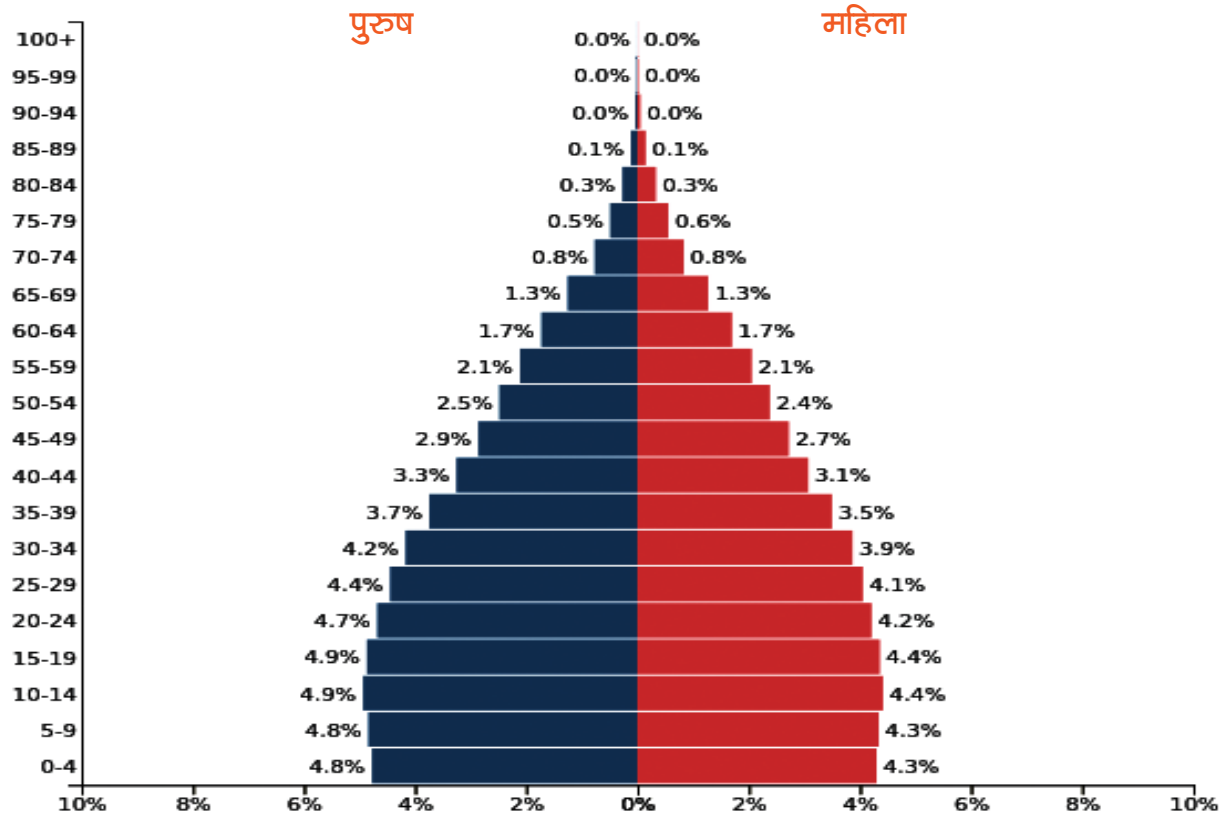

पहले 1975 में जब हिंदुस्तान की आबादी 55-56 करोड़ थी, तब देश की बढ़ती जनसंख्या इस देश के प्रमुख राजनेताओं के लिए एक गंभीर मुद्दा थी, लेकिन आज जब यह बढ़कर लगभग 137 करोड़ हो गई है, तब भी कोई राजनीतिक दल इसके बारे में न तो खुलकर चर्चा करना चाहता है और न ही कोई चिंता दिखती है। इस मुद्दे पर राजनेताओं के ढुलमुल रवैए से लगता है कि उन्हें देश की चिंता कम, बल्कि अपने वोटों की चिंता कुछ ज्यादा ही है। आजादी के 72 साल बीत जाने के बाद भी कोई राजनीतिक दल बढ़ती जनसंख्या जैसे गंभीर मुद्दे को आज तक अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं कर सका है।

इस दिशा में एक शुभ संकेत यह है कि अब देश में कई सामाजिक संगठन बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इसका परिणाम अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है। इसी मुद्दे पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन संगठन की लगातार 4 वर्षों की सघन मेहनत के परिणामस्वरूप 125 सांसदो के हस्ताक्षर किया हुआ एक ज्ञापन जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन की टीम व कुछ सांसदों के संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक भी पहुंच चुका है, जिसमें उन्होंने देश में सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 125 सांसदों में अलग-अलग राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। इस विषय पर अब देश में अलग-अलग जगहों पर लोग अलग-अलग तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। इसी कड़ी में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला देश का मीडिया भी अब इस मुद्दे पर गंभीर नजर आ रहा है, जो आने वाले समय के लिए एक शुभ संकेत है।

अब आवश्यकता है कि देश के सभी वर्गों के बुद्धिजीवी बढ़ती जनसंख्या पर एक बड़ी और निर्णायक चर्चा करें, देश के 137 करोड़ लोगों को बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें और सभी राजनीतिक दल जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में एक सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में मदद करें, जिससे देश की जनता को बेरोजगारी, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और दूसरी अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सके।

(वरिष्ठ समाजसेवी लेखक जनसंख्या फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।)

बांग्लादेशी घुसपैठियों की नब्ज का इलाज

भारत में व्याप्त कट्टर इस्लामी विचारधारा और उसमें भी विशेष तौर पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या की विकराल स्थिति से हम सभी परिचित हैं।

"हिंदुओं का पलायन जारी है और मुस्लिम उनकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं"

आतंकवादी मार भागाओ रोहिंग्या पर रोक लगाओ।

ज्ञानेंद्र बरतरिया

हमारी वर्तमान पीढ़ी जिस भारत के नक्शे को जानती और पहचानती है, दरअसल वह किस भारत का चेहरा है। वही न, जो 1947 में साजिश के तहत हडबड़ी में विभाजित होने के बाद हमारे हिस्से में आया। दूसरे, अगर हम भारत से अलग किए गए हिस्सों पर एक नजर डालें, तो यह वह भारत है, जिसे इतिहास की विहंगम दृष्टि में हमला करने वालों ने हमसे छीन लिया है।

अब विचारणीय प्रश्न उठता है कि क्या इन दिनों वही प्रक्रिया चल रही है, जो भारत को सांस्कृतिक और जनसंख्यागत आक्रमणों के जरिए खंडित करने में जुटी हुई है या वह प्रक्रिया थम गई है अथवा हम भी यूरोप की तरह सांस्कृतिक अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं। आइए, इस तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत में व्याप्त व्यापक इस्लामवादी विचारधारा और उसमें भी विशेष तौर पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या की विकराल स्थिति से हम सभी परिचित हैं।

व्यापक इस्लामी समस्या

यह समस्या सिर्फ इस रूप में नहीं है कि विश्व भर में फैले हुए अपने अलग दृष्टिकोण, भिन्न सांस्कृतिक परिवेश और यहां तक कि मूल्यों में भी पूर्वजों को अलग तरीके से देखने में विश्वास करने वाले इस्लामवादी किस तरह से भारत के शेष समाज की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। समस्या बहुत आसन्न है और हमारे अस्तित्व से सीधे तौर पर जुड़ गई है। चाहे यह बात किसी अन्य वर्ग के हितों के विपरीत हो अथवा उनके लिए आपत्तिजनक प्रतीत हो रही हो। देश मजहब के नाम पर पहले ही

हालांकि बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं ? जनसंख्या वृद्धि में अपेक्षित कमी लाने के साथ-साथ जनसंख्या नियंत्रण इस कदर गड़बड़ाता रहा तो आने वाले समय में इसके कितने घातक नतजी सामने आएंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

एक विभाजन का दंश झेल चुका है। लिहाजा अब वह फिर से इसकी अनदेखी करने की गलती नहीं करेगा। ऐसे में जरूरी है कि हम जनमानस सबसे पहले समस्या को गंभीरता से समझने की एक चेष्टा करें।

अगर हम इस समस्या पर गौर करें तो असम में घुसपैठ के विरुद्ध व्यापक जनांदोलन का उदाहरण दे सकते हैं। इसकी पृष्ठभूमि में बांग्ला देश की सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने का सुझाव आया। समस्या यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बाड़ के दूसरी ओर यानी अपनी सीमा से मिट्टी खोद दिया करते थे, जिससे बाड़ वाला खंभा गिर जाता और घुसपैठ फिर शुरू हो जाती थी। फिर सुझाव आया कि लोहे के खंभे को एक मीटर भीतर एक छड़ से टिका दिया जाए, जिससे वह गिर न सके। बाद में उस सुझाव को खारिज कर दिया गया, क्योंकि खंभे को एक मीटर भीतर टिकाने का अर्थ होता है. अपनी सीमा को एक मीटर कम कर देना। आखिरकार समाधान क्या था? समाधान यही है कि अर्ध-सैनिक बल सक्रिय हों और इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगे। दरअसल समाधान इन्हीं दो बिंदुओं में है। एक, अपनी एक-एक इंच भूमि की रक्षा हो और दूसरे आक्रामक हरकत का जवाब देना। अब देखें कि यह समस्या किस तरह विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है।

सीमा सिकुड़ने की समस्या

इस तरह से आतंकवाद जैसी समस्याएं आईएसआईएस के झंडे तले बलात मोल ले ली गई हैं। उनको मुहैया कराने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं, रियायतें और विशेषाधिकारों के रूप में उठने वाली मांगें प्रतिदिन सामने आती ही रहती हैं। दरअसल इसकी जड़ सिर्फ चंद लोग नहीं होते,बल्कि इनका मूल आधार जनसंख्या का दबाव होता है। वहीं इक्का-दुक्का रहने वाले परिवार शांतिप्रिय नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही मुस्लिम बहुलता पूरे शहर, गांव या कस्बे की जनसंख्या में 10 प्रतिशत के आसपास पहुंचती है तो दृश्य अलग नजर आने लगता है। लिहाजा जल्दी ही अवैध कब्जे, माइक लगाकर मस्जिदों से अजान, हलाल मांस की दुकानें, गोबध की घटनाएं, लव जेहाद के अलावा हत्या, लूट और बलात्कार जैसे अपराधों में भारी बढोतरी होने लगती है, जिसमें इस खास समुदाय की भारी संलिप्तता शुरू हो जाती है।

अक्सर यह भी देखने में आता है कि उनके लिए अलग कॉलोनी भी बनने लगती है, जहां प्रायः पुलिस के लिए भी पहुंच पाना आसान काम नहीं रह जाता। अलग मदरसे, अलग पहनावे, अलग रेस्तरां इनकी पहचान बन जाते हैं। सड़कों पर नमाज का नजारा ही कुछ अलग किस्म का होता है, जहां कई बार प्रशासन और पुलिस प्रबंधन भी खुद को असहाय पाता है। इस तरह धीरे-धीरे गैर-मुस्लिम अपने ही शहर में असुरक्षित हो जाते हैं। इस खास समुदाय का राजनैतिक दबाव इतना गहरा होता है कि इलाके का विधायक और सांसद कौन होगा, यही तय करने लगते हैं। इससे आगे बढ़कर भी इलाके का थानेदार या कलेक्टर कौन होगा. यह फैसला करना भी अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं के हाथों में पहुंच जाता है। जबकि, अन्य समुदायों को हर बार किसी भी तरह से समायोजित करने के लिए बाध्य किया जाता है और अंत में आप खुद समायोजित किए जाने की भीख मांगने लगते हैं।

लगातार सिकुड़ता देश

बांग्ला देश की सीमा पर भारतीय सीमा रेखा केवल एक मीटर पीछे नहीं हटती, बल्कि एक-एक मीटर करके पूरा देश सिमटता जाता है। भिन्न आदतगत कारणों से अपने परिवार और महिलाओं की सुरक्षा के कारणों से उस खास क्षेत्र के हिंदू आमतौर पर उस इलाके को खाली करने लगते हैं, जहां मुस्लिम जनसंख्या क्रमशः बढ़ने लगती है। हिंदू पहले ही अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, सीमांत क्षेत्र, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पूर्वी बंगाल और असम आदि क्षेत्र खाली कर चुके हैं। अभी हाल के दशकों में इस पीढ़ी

की आंखों के सामने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया। आजादी के बाद भी तराई का पूरा क्षेत्र लगभग खाली हो चुका है। हिंदुओं ने ऐतिहासिक तौर पर मुस्लिम जनसंख्या के सामने उन इलाकों को खाली करते जाने की प्रवृत्ति में बढोतरी दिखाई है। अगर हम इस ऐतिहासिक तथ्य को सीमा के संदर्भ में एक मीटर भीतर की ओर पांव खींचने वाली प्रक्रिया के साथ जोड़ कर देखें, तो खतरे की भयावह स्थिति को समझा जा सकता है।

इसी का प्रतिबिम्ब है 'एरिया आकुपेशन टेंडेंसी', जिसके तहत हिंदुओं द्वारा खाली की गई जमीनों पर मुसलमान कब्जा करते चले जा रहे हैं। वे वहां से बचे-खुचे गैर-मुस्लिम समुदाय के लोगों को मार देते हैं, मार कर भगा देते हैं या फिर जबरन मुसलमान बना लेते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इनके इलाकों में हिंदुओं, सिखों और बौद्धों की जनसंख्या का लगभग पूर्ण विलोपन होना इस बात का सीधे तौर पर प्रत्यक्ष प्रमाण है।

आतंकवाद की गहरी जड़ें

आतंकवाद की जड़ों को पनपने के लिए पहली आवश्यकता ऐसे इलाकों की होती है, जहां सघन मुस्लिम जनसंख्या हो और जिसमें उनके मदरसों में दी जा रही शिक्षा से लेकर उनकी विभिन्न हरकतों को टोकने वाला कोई संवैधानकि तंत्र न हो। इसके बाद आतंकवाद अपनी भूमिका निभाना शुरू करता है। यह इलाका खाली कराने या जनसंख्या का चरित्र बदलने में आतंकवाद एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है, इसलिए अगर हम वैश्विक इस्लामी आतंकवाद को एक परदेसी समस्या समझते हैं तो हमसे ज्यादा समझदार कबूतर को माना जा सकता है, जो उस बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है।

चौथा पहलू है पेशबंदी का। यह पेशबंदी शक्ति की भी होती है, साथ ही संख्या, भय, आतंक और दबाव की भी होती है। इसकी अभिव्यक्ति भाषाएं, खानपान, त्यौहारों, पाठ्यक्रमों, पहनावे और फिल्मों की विषयवस्तुओं को उत्तरोत्तर 'धर्मनिरपेक्ष' बनाने में होती हैं और जब यह 'धर्मनिरपेक्षता' संतृप्त हो जाती है तो पलक झपकते ही अपने असली रूप में आकर इस्लामी आतंकवाद में तब्दील हो जाती है, उस स्थिति में इस मानसिकता से धर्मनिरपेक्ष होने की अपेक्षा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामी-राष्ट्र बने और दूसरी ओर स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत के असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर की स्थिति का उदाहरण हमारे सामने है, जहां कई क्षेत्रों में भारत संघ के कानून एक सीमा तक लागू हो पाते हैं यानी स्थानीय मुस्लिम जनसंख्या की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

भयावह समस्या की विकरालता

यह समस्या मात्र सामाजिक नहीं है। वास्तव में यह धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक मात्र भी नहीं है,बल्कि इसका सीधा संबंध सैनिक पहलू है, जिसमें पराजय आपको भौतिक तौर पर गुलाम बना देती है। ध्यान रहे, 1947 में जब मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग की थी और जिसे मानने के लिए शेष भारत के नेता विवश हुए थे, उस समय अविभाजित भारत में मुस्लिम जनसंख्या मात्र 20 प्रतिशत से कुछ ही अधिक थी। इसी तरह इस्लामी राष्ट्र बनने के पहले तक अविभाजित लेबनान में मुस्लिम जनसंख्या भी मात्र 20 प्रतिशत ही थी। वहां भी जनसंख्या संतुलन बिगड़ा, गृहयुद्ध हुआ और फिर ईसाइयों और यहूदियों को खदेड़ा गया। अंततः दक्षिणी लेबनान इस्लामी राष्ट्र बन गया। यही कहानी इंडोनेशिया और मलयेशिया में भी दोहराई गई। यही नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि लगभग पूरे अरब क्षेत्र में अलग-अलग काल में इस तरह की घटनाओं से अन्य समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ।

भारत में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का मुद्दा इस समस्या के लिहाज से एक अतिरिक्त पहलू साबित हुआ है जिनकी बस्तियां अब प्रायः हर नगर में बस चुकी हैं। उनकी सत्ताई पेशबंदी इतनी ताकतवर है कि आज की तारीख में उनकी चर्चा करना भी एक तरह का 'अपराध' है; 'अपराध' क्या है और क्या नहीं, यह फैसला उनकी सुविधा पर निर्भर करता है। जो कोई घुसपैठियों को निकालने की बात करता है, उसे 'घोर सांप्रदायिक' कहा जाता है। 'धर्मनिरपेक्षता' की दुहाई दी जाती है, कहा जाता है कि इस तरह की मांगें देश के 'सौहार्दपूर्ण' माहौल के खिलाफ हैं।

सबसे पहले बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की राजनीति में सत्ताई पेशबंदी देखें। इसके चलते तथाकथित सेकुलर नेता घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं और उनका विरोध करने वालों को सांप्रदायिक करार देते हैं। कई मुस्लिम नेता कहते हैं कि बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए तो भारत में हैं ही नहीं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी कि वे एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए को बाहर निकाल कर दिखाएं। ममता बनर्जी ने कोई नई बात नहीं कही है। वे वास्तव में 'धर्मनिरपेक्षता' से संतृप्त होकर 'इस्लामी' राज्य होने की प्रक्रिया से गुजरते पश्चिम बंगाल में अपनी रोटियां सेंकने वाली एक तुच्छ सी स्वार्थी-लंपट और नितांत दृष्टिविहीन इंसान भर हैं। वे यह भी नहीं जानतीं कि एक बार 'धर्मनिरपेक्षता' के संतृप्त होने के बाद 'इस्लामी' होते ही ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए उन्हें भी वैसे ही किनारे कर देंगे, जैसे उन्होंने असम में कांग्रेस को कर दिया है। वास्तव में ममता से पहले बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गुलाम सरवर, पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री तस्लीमुद्दीन, तारिक अनवर, माकपा के मो. सलीम, ए.यू.डी.एफ. नेता बदरुद्दीन अजमल आदि कह चुके हैं कि देश में कोई घुसपैठिया है ही नहीं। ममता के पहले कांग्रेसी नेता ए.बी.ए. गनी खान चौधरी भी कहते थे कि घुसपैठियों के नाम पर बंगलाभाषी मुसलमानों को देश में कहीं भी परेशान न किया जाए। जब कभी देश के किसी भी हिस्से में बांग्लादेशी मुसलमानों को पकड़ा जाता था तो गनी खान चौधरी सामने आ जाते थे। वास्तव में गनी खान को सांसद बनाने का फैसला बांग्लादेशी घुसपैठिए ही करते थे, जो उनके संसदीय क्षेत्र मालदा में लगभग 35 प्रतिशत थे। आज उसी मालदा का उदाहरण देश के सामने है, जहां पुलिस और अर्धसैनिक बलों के ट्रकों में आग लगा दी जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता।

यह सत्ता की राजनीतिक पेशबंदी का एक उदाहरण है, जिसे आज लगभग हर निर्वाचन

क्षेत्र में देखा जा सकता है। इस पेशबंदी के बलबूते बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए आज एक दूरगामी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में यह राजनीतिक षड्यंत्र साफ दिखाई देने लगा है। असम में लगभग 18 विधानसभा क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुमत है। असम के कुल 24 जिलों में से 12 जिले मुस्लिम बहुल हैं। हालत यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का अपना राजनीतिक दल भी है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ए.यू.डी.एफ. इन घुसपैठियों की ही पार्टी है। उन्हें अब उस कांग्रेस से भी कोई हमदर्दी नहीं है, जो दशकों तक उनकी पालनहार बनी रही।

अनुमान लगाया जाता है कि आज भारत में 3 करोड़ से अधिक मुस्लिम घुसपैठिए बस चुके हैं, जो पूरे देश में बिखर गए हैं और प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के भारत आते जा रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में हुई डकैती, सेंधमारी, लूटपाट आदि वारदातों में सैकड़ों मुस्लिम घुसपैठिए पकड़े गए हैं। इस कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर करने का मामला न्यायालय तक पहुंचा। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के निर्देश भी दिए। किंतु सरकार चुप्पी साधने में ही अपनी भलाई समझती है। चाहे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की वामपंथी सरकारें रही हों या असम, मेघालय या मणिपुर की कांग्रेसी सरकारें या कांग्रेसनीत केंद्र सरकार. ये सभी सरकारें बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती रही हैं। उलटे ये सरकारें घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में चढ़वाती और उनको राशन कार्ड मुहैया कराती हैं।

अब रास्ता क्या बचा

लालकृष्ण आडवाणी के गृह मंत्री रहते भारत सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने का एक प्रतीकात्मक प्रयास किया था, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने उन्हें अपना नागरिक न मानते हुए उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया। इस करम से यह साफ हो गया कि जब तक खुद बांग्लादेश में परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन नहीं लाया जाता, इन घुसपैठियों को वापस भेजने के बारे

में सोचना व्यावहारिक नहीं है। इसी प्रकार इतनी बड़ी जनसंख्या को जेलों में भी नहीं रखा जा सकता है, जो खुद देश के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाएगी।

लिहाजा इसके समाधान के सिर्फ दो आयाम हैं। एक यह कि नई घुसपैठ को चाहे वह किसी भी दिशा से हो, हतोत्साहित किया जाए। दूसरा, भारत भर में जो भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया जहां कहीं भी हो, उसे उसकी 'अवैध' हैसियत से बाहर आने के लिए प्रेरित और बाध्य किया जाए। इन समाधानों का कार्यकारी पक्ष कुछ इस तरह का हो सकता है।

घुसपैठ के प्रति अतिरिक्त सचेत रहने और बांग्लादेश की आंतरिक स्थितियों को भी घुसपैठ के प्रतिकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार पर लगातार नैतिक और राजनैतिक दबाव बनाया जाए। राज्य सरकारों को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए बाध्य किया जाए। इसके लिए एक व्यापक और बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकारें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए बाध्य हों। आधारभूत स्तर पर यह तभी संभव हो सकेगा, जब हर चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को यह घोषणा करने के लिए बाध्य किया जाए कि वह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का विरोध करता है और चुनाव में एक भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए का मत पाने का आकांक्षी नहीं है। इसके लिए हर निर्वाचन क्षेत्र में जन चेतना और जन दबाव निर्मित करना होगा।

साथ ही इसी प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव निर्मित करना होगा कि वे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें विदेशी नागरिक मानते हुए उनके लिए

घुसपैठ के प्रति अतिरिक्त सचेत रहने और बांग्लादेश की आंतरिक स्थितियों को भी इसके प्रतिकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार पर लगातार नैतिक और राजनैतिक दबाव बनाया जाए। राज्य सरकारों को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए बाध्य किया जाए।

'वर्क परमिट' की व्यवस्था को अनिवार्य करें और इसके लिए एक समय सीमा भी निर्धारित करें। इसके बाद जो भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया 'वर्क परमिट' के बिना देश में पाया जाए, उसे और उसके नियोक्ता के साथ कारोबार करने वाले व आश्रय देने वाले तथा उसे कानूनी सहायता देने का प्रयास करने वाले व्यक्ति पर आपराधिक कार्रवाई हो।

इसके अलावा विधिक ढंग से दबाव बनाने के लिए सभी नागरिक अपने क्षेत्र के विधायक पर दबाव बनाएं कि वे विधानसभा से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उनके लिए 'वर्क परमिट' की व्यवस्था को अनिवार्य करने वाला प्रस्ताव पारित कराएं। वहीं हमें ऐसा राजनैतिक परिवेश निर्मित करना होगा, जिसमें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करना राजनैतिक तौर पर खतरनाक हो जाए। तभी 'धर्मनिरपेक्षता' के संतृप्त होकर इस्लामीकरण की प्रक्रिया के विधिक और राजनैतिक पहलू को रोका जा सकेगा। जिस भी प्रदेश या क्षेत्र में ऐसा राजनैतिक परिवेश निर्मित करने में कठिनाई आए, वहां उपयुक्त जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जाए, क्योंकि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिलने वाली कोई भी सुविधा इस देश के मूल नागरिकों के अधिकारों पर डाका डालती है।

सूचना के अधिकार के तहत बार-बार यह जानकारी मांग कर पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाया जाए कि उस क्षेत्र से कितने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की अपराधों में संलिप्तता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों से उन्हें चिन्हित करवाने में सहयोग करने की अपेक्षा की जा सकती है। इसके लिए उनसे बात की जानी चाहिए।

इस भयावह स्थिति के विकराल चेहरे को आम जन के समक्ष लाने और स्वार्थी राजनेताओं द्वारा उसे विवादित बनाने के प्रयासों को विफल करने के लिए संचार माध्यमों को प्रेरित किया जाए। साथ ही समझने की जरूरत है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और टीवी चैनलों का खुला प्रतिरोध किया जाए। इसी प्रकार कई बार कुछ संचार माध्यम जान-बूझकर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठिए के स्थान पर 'शरणार्थी' कहकर मामले को दूसरा ही रूप देने का प्रयास करते हैं। उनके इस षड़यंत्र का सक्रिय ढंग से पदार्फाश किया जाए।

(लेखक राष्ट्रवादी चिंतनधारा के वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

> मुस्लिम शिक्षा मुख्य धारा के मुताबिक शुरु हो, ताकि विघटनकारी ताकतें सफल न हो सकें

यह वृद्धि स्वाभाविक या इस्लामिक साजिश

इस्लाम के नाम पर हम अगले बंटवारे की ओर बढ़ रहे हैं। गाहे-बगाहे यह नारा हम जरूर सुनते रहते हैं, 'हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान'। भारत में मुस्लिम समुदाय का धर्मिक रुप से एक बड़ा ही कट्टर वर्ग आज भी इसी मानसिकता में जी रहा है।

शुकदेव भारद्वाज

भारत फिर से ना बंट पाए चाहे जान भले ही जाए।

कहने की जरूरत नहीं कि आज भारत का हर कोना, गांव, कस्बा या शहर यानी हर जगह आबादी की समस्या से दो-चार हैं। आप कहीं भी चले जाएं, बस टर्मिनल हो या हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन का नजारा हो या फिर मेट्रो स्टेशन अथवा सड़क, हाइवे, अस्पताल, शॉपिंग मॉल या बाजार आपको भीड़ नजर आएगी। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की बात करें तो तथ्य कुछ इस तरह उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहले, जन्म दर का प्रतिशत मृत्यु दर से अधिक होना। इसके अलावा सबसे अहम मुद्दा है धार्मिक आधार पर जनसंख्या वृद्धि कर देश को एक नए बंटवारे का अभियान चलाना। अभी हाल में बांग्ला देशी मुस्लिम घुसपैठ का मुद्दा चर्चा में आया, जो बेहद अहम है।

अब बात करते हैं जन्म दर की। दरअसल अधिक जन्म दर की समस्या को भी उसी खास वर्ग में अधिक देखा जा सकता है, जो इस्लाम का विस्तार करने के लिए ही जनसंख्या वृद्धि का अभियान चलाए हुए हैं। इस समुदाय में ही गरीबी, निरक्षरता और बच्चों को अल्लाह की देन

मानने की रवायत है। इस मानसिकता के चलते ही बेतहाशा आबादी बढ़ रही है। परिवार में जितने ज्यादा लोग होंगे, उतने ज्यादा कमाने वाले सदस्यों की संख्या। मुस्लिम परिवारों में आम तौर पर गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल न होना आम बात है। वास्तव में जन्म दर नियंत्रण की अन्य विधियां इस्लाम विरोधी हैं, इस तरह का प्रचार तंत्र भी जनसंख्या में भारी बढोतरी में योगदान दे रहा है।

दरअसल इस्लाम के नाम पर हम अगले बंटवारे की ओर बढ़ रहे हैं। गाहे बगाहे यह नारा हम जरूर सुनते रहते हैं, 'हंस के लिया

है पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान'। भारत में मुस्लिम समुदाय का धर्मिक रुप से एक बड़ा ही कट्टर वर्ग आज भी इसी मानसिकता में जी रहा है। उसका सीधा-सा गणित है, जब भारत का बंटवारा हुआ, उन दिनों मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत थी और जिस दिन हम 20 प्रतिशत हो जाएंगे,तब इस फिर से देश का बंटवारा कर देंगे। मगर इस बार वे हक मांग कर नहीं, बल्कि छीनकर, लड़ कर और लूटपाट के सहारे देश का बंटवारा करने का मंसूबे पाले हुए हैं। उनके इन विघटनकारी मंसूबों को उस समय अधिक बल मिलता है, जब हमारे सत्तालोलुप राजनेता इनके धर्म-स्थलों और दरबारों में घुटनों के बल रेंगने लगते हैं। दरअसल वे चंद वोटों की खातिर इनकी हर अनुचित, विघटनकारी और राष्ट्र विरोधी मांगों और गतिविधियों के आगे आंखें बंद करके अपनी गरदन झुका लेते हैं।

इसी तरह बांग्ला देशी घुसपैठ का मामला है। हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते, क्योंकि बांग्ला देशी मुसलमानों की लगातार घुसपैठ से भी जनसंख्या घनत्व में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसे रोकने का हमारे देश के सत्ताधीशों ने वोट बैंक के लालच में पिछले 70 साल में कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया।

इसी के चलते भारत जैसे संसाधन सम्पन्न देश मे इतनी ज्यादा आबादी के लिए रोजगार पैदा करना एक बड़ी समस्या बन गई है। बुनियादी ढांचे का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, जिस स्तर पर होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और परिवहन जैसी मूलभूत जरूरतों के साथ झुग्गी बस्तियों की भरमार, अपराध, नशा और ट्रैफिक जाम की भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

देश में जमीन और जंगल लगातार कम होने लगे हैं। पानी का स्तर गिरावट की ओर है, जिससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी पीने के साफ पानी से कोसों दूर है। देश को इस समस्या से बाहर निकालने और सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय बचा है, जिसके लिए कानून बना कर सरकार को सख्ती से उसे लागू करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून लाना चाहिए, जो पूरे देश में हर किसी के लिए बाध्यकारी हो और धर्मावलंबियों पर समान रूप से लागू हो। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय में बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध हो। साथ ही मदरसा शिक्षा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। सीमाओं को सील कर बांग्ला देशी घुसपैठियों को सख्ती से रोका जाए और इसके अलावा जो घुसपैठिए भारतीय सीमा में रह रह रहे हैं, उनकी पहचान कर उन्हें वापिस बांग्ला देश भेजा जाए। यहां कहना अत्यंत प्रासंगिक है कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ हमें उसके धार्मिक असंतुलन को भी नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी भारत एक शांत,सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र के रूप में खड़ा हो पाएगा।

(लेखक संघ प्रचारक और सेवा भारती-दिल्ली प्रांत के संगठन मंत्री हैं।)

> कुछ सीटें बांग्ला-देशी मतों से निकलती हैं, लिहाजा उन्हें वापस भेजने की बात नहीं करते

मुसलमान बहुल जनसंख्या वाले बड़े राज्यों तथा असम में मुसलमानों की वृद्धि दर 29.59 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 21.81 प्रतिशत रही है।

पश्चिम बंगाल का बदला जनसंख्या चरित्र

राजेन्द्र चड्ढा

अपवाद स्वरूप एकाध को छोड़कर शायद ही कोई राजनीतिक दल आज देश की मुख्य राजनीतिक धारा में विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से लगातार हो रही मुसलमानों की अवैध आवाजाही और घुसपैठ से इनकार करेगा, जबकि दूसरी ओर धार्मिक समुदायों की जनसंख्या के जनगणना-2011 के आंकड़े दूसरी ही कहानी बताते हैं। साथ ही देश के पूर्वोत्तर भाग में बांग्लादेशी आबादी की व्यापक स्तर पर हुई अवैध घुसपैठ के कारण राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य ही परिवर्तित हो चुका है। दरअसल असम में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हैरानी के साथ ही व्यापक स्तर पर चिंताजनक भी है। असम में मुसलमान वर्ष 2001 में 30.9 प्रतिशत थे, जो अगले दस साल के बाद बढ़कर 2011 में 34.22 प्रतिशत हो गए, यानी तीन प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

कुछ ऐसे ही पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की हिस्सेदारी 2001 के

दौरान रही 25.2 प्रतिशत की तुलना में 2011 में बढ़कर 26.94 प्रतिशत हो गई।

मुसलमान बहुल जनसंख्या वाले बड़े राज्यों तथा असम में मुसलमानों की वृद्धि दर 29.59 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 21.81 प्रतिशत रही है। अब इस वृद्धि को स्वाभाविक या प्राकृतिक मानना या बताना दरअसल जनसंख्या के सटीक आंकड़ों की बेमानी व्याख्या है। असल सवाल यह है कि आखिरकार इस समुदाय की इतनी अधिक जनसंख्या की बाढ़ कहां से आ गई? आखिरकार यह भीड़ आसमान से तो उतरी नहीं। आज बेशक असम में धार्मिक जनगणना रिपोर्ट के परिणाम एक झटका हों, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार में धार्मिक जनसांख्यिकी परिवर्तन भी उतनी ही चिंताजनक है, क्योंकि यहां पर भी बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ अच्छी-खासी रही है। इन दोनों राज्यों के राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होने के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट बैंक पर निर्भर हैं। दरअसल यह सब अनायास नहीं है, नतीजे बताते हैं कि राजद ने बांग्लादेश के करीबी इलाके की पूर्वी बिहार से ज्यादातर सीटें जीती थीं। जनगणना के आंकड़ों ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंखया की अप्रत्याशित वृद्धि का विषय बहस केंद्र मे है। बांग्लादेश के मुसलमानों के अवैध आगमन के मुद्दे पर भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों में एक तरह की दुरभिसंधि है। इसी का परिणाम है कि सभी सियासी दलों ने इस मसले पर मौन साध लिया हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण में चौबीस परगना जिले के सीमावर्ती हिस्सों में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ के कारण व्यापक तौर पर जनसांष्ख्यिकीय परिवर्तन हुआ है। इन स्थानों पर स्थिति वाकई बेहद खतरनाक है। पश्चिम बंगाल में चुनावों में कई पार्टियों में मुस्लिम वोट के लिए पागलपन के हद तक की होड़ होती है। ऐसा कई स्थानों पर मुसलमानों के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता के कारण ही होता है, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। देश में इस साख समुदाय की बहुलता का परिणाम मुसलमानों की भारी संख्या मतदान करने के लिए ही आगे आती है। साथ ही ध्रुवीकरण की राजनीति की अहम प्रवृत्ति को स्थापित करने में इनकी अहम भुमिका रही है।

देश का विभाजन होने के बाद पहली बार हुई जनगणना यानी 1951 की जनगणना में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की कुल जनसंख्या 49,25,496 थी, जो कि 2011 की जनगणना में बढ़कर 2,46,54,825 यानी लगभग यह संख्या बढकर पांच गुना हो गई। भारत के जनगणना आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 2011 में हिंदुओं की 10.8 प्रतिशत दशकीय वृद्धि की तुलना में मुस्लिम जनसंख्या की दशक वृद्धि दर 21.8 प्रतिशत है। इस तरह हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की दशकीय वृद्धि दर दोगुने से भी अधिक है। 1951 के बाद से हर जनगणना में पश्चिम बंगाल के औसत की तुलना में हिंदुओं की दशकीय वृद्धि दर कम ही रही है। इसी तरह, यह बात ध्यान में आती है कि मुसलमानों की दशकीय वृद्धि पश्चिम बंगाल की औसत वृद्धि दर की तुलना में काफी अधिक रही है। हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर के मुकाबले मुस्लिम जनसंख्या वर्ष 1981 में 8.18 प्रतिशत अंक, 1991 में 15.80 अंक, 2001 में 11.68 अंक और वर्ष 2011 में 11 अंकों की अधिक दर्ज की गई। यही नहीं, वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर प्रदेश की औसत दशकीय वृद्धि की तुलना में 7.87 अंक अधिक थी। अगर जनसांख्यिकीय नजरिए से देखें तो इस तरह लगातार एक लंबे समय तक वृद्धि दर में इतना अधिक अंतर हैरतअंगेज ही नहीं, बल्कि बेहद चिंताजनक भी है।

पश्चिम बंगाल में देश विभाजन के बाद जहां एक ओर प्रत्येक जनगणना के साथ हिंदुओं का संख्या बल क्षीण हुआ है, वहीं दूसरी ओर तुलनात्मक रूप से मुसलमानों का राज्य की धार्मिक जनसंख्या में अनुपात तेजी से बढ़ा है। मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि और आकार में बढ़ोतरी बिना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हुई कि राज्य में ऐसी बढ़ी हुई आबादी को वहन करने की क्षमता नहीं है। इतना ही नहीं, परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा गुणवत्ता वाले जीवन की पूरी तरह उपेक्षा हुई। यह महत्वपूर्ण बात हर जनगणना के बाद साफ होती चली गई है कि मुसलमानों की उच्च वृद्धि दर के दबाव के कारण पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में मुस्लिम समुदाय जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी है।

यहां यह जानना जरूरी है, कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर का अर्थ एक महिला को उसके समूचे प्रजनन काल में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या है। 2001 की जनगणना पर आधारित एनएफएचएस के

ये सेक्यूलरी गद्दार कौन हैं जो घुसपैठ समर्थक मौन हैं ।

अध्ययन के अनुसार, पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में मुस्लिम महिलाओं की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) अत्यंत अधिक पाई गई। जबकि हिंदू महिलाओं के लिए 2.2 टीएफआर (2.1 के स्तर से थोड़ ही अधिक) तो मुस्लिम महिलाओं में यह 4.1 होने का अनुमान लगाया गया था। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या की वृद्धि और विशेष रूप से उनकी धार्मिक आनुपातिक हिस्सेदारी (2001 में यह 25.2 प्रतिशत थी) के बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारक मुस्लिम महिलाओं का अधिक टीएफआर होना था। वर्ष 2001 में राज्य के कुछ जिलों जैसे मुर्शिदाबाद (63.67 प्रतिशत), मालदा (49.72 प्रतिशत), उत्तर दिनाजपुर (47.36 प्रतिशत), बीरभूम (35.08 प्रतिशत) और दक्षिण चौबीस परगना (33.2 प्रतिशत) में मुसलमानों का प्रतिशत अप्रत्याशित था। पश्चिम बंगाल के जिलों में लगभग एक समान सामाजिक पर्यावरण को देखते हुए केवल महिलाओं की प्रजनन क्षमता ही इस अभूतपूर्व वृद्धि का एक मात्र कारण नहीं हो सकती, क्योंकि यह प्राकृतिक मानव उत्पत्ति के सभी तर्क खारिज करती है। लिहाजा यह बात स्पष्ट है कि इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी घुसपैठ यानी बांग्लादेश के मुसलमानों का भारतीय क्षेत्र में अवैध आगमन है।

दुर्भाग्य से पूरे भारत, कह सकते हैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में जनसंख्या वृद्धि का विषय वोट बैंक की राजनीति के साथ सीधे तौर पर जुड़ गया है और इसी का परिणाम है कि यह जनसांख्यिकीय हमला किसी भी सार्वजनिक प्रतिरोध के बिना बेरोकटोक जारी है। जानकारों का मानना है, इस तरह जनसंख्या का यह मौन हमला देश के लिए बड़ा खतरा है, जिसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के कुछ समाजशास्त्री इस अस्वाभाविक वृद्धि यानी मुसलमानों की उच्च जन्म दर का कारण सामाजिक भेदभाव और गरीबी बताते हैं। जबकि मुसलमानों की उच्च जन्म दर के लिए गरीबी को जिम्मेदार ठहराने का तर्क अर्धसत्य ही है, पूर्ण नहीं। केरल में जहां मुसलमान किसी भी भारतीय मानक के हिसाब से गरीब नहीं है, वहां 2011 के दशक में मुस्लिम अनुपात 24.7 प्रतिशत से काफी अधिक 26.6 प्रतिशत दर्ज किया गया। दूसरी ओर, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही भारत के मुकाबले बहुत गरीब देश हैं, लेकिन फिर भी उनकी जन्म दर काफी कम है। भारत में मुसलमानों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 24 प्रतिशत की तुलना में पाकिस्तान में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 20 प्रतिशत और बांग्लादेश में सिर्फ 14 प्रतिशत रही है। ऐसे हालात में भारतीय मुस्लिम जनसांख्यिकी पर विचार के लिए सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यक है।

पश्चिम बंगाल के जिलों में लगभग एक समान सामाजिक पर्यावरण को देखते हुए केवल महिलाओं की प्रजनन क्षमता ही इस अभूतपूर्व वृद्धि का एक मात्र कारण नहीं हो सकती, क्योंकि यह प्राकृतिक मानव उत्पत्ति के सभी तर्क खारिज करती है।

इतना ही नहीं, देश में हिंदुओं की 14.5 प्रतिशत दशकीय वृद्धि की तुलना में मुसलमानों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार, देश की जनसंख्या में मुसलमानों के प्रतिशत में 2001 और 2011 के दशक में 0.8 प्रतिशत अंक (14.23 प्रतिशत या 17.22 करोड़) की वृद्धि हुई है। पिछले दशक में 1991 और 2001 के बीच कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी (1.73 प्रतिशत अंक से 13.43 प्रतिशत) अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। मुसलमान एकमात्र ऐसा धार्मिक समुदाय है, जिसकी कुल आबादी में हिस्सेदारी में जबरदस्त ईजाफा हुआ है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश (24.29 प्रतिशत) को छोड़कर, सभी बड़े राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.6 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वहीं 2001-2011 के दशक में हिंदुओं के प्रतिशत में 0.7 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई है। यही बड़ा कारण है कि देश में पहली बार हिंदुओं की जनसंख्या 80 प्रतिशत से कम हुई है। अब देश की कुल आबादी का 79.8 प्रतिशत हिंदू हैं। भारत के 1971 के जनसंख्या मानचित्र की 2011 के जनसंख्या मानचित्र के साथ तुलना करने पर मुसलमानों की जनसंख्या का सच स्पष्ट हो जाता है। जहां 1971 के भारतीय जनसंख्या मानचित्र में जम्मू-कश्मीर के अलावा देश में केवल दो मुसलिम बहुल जिले थे, केरल में मल्लापुरम और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद। वहीं 2011 के भारतीय जनसंख्या मानचित्र को देखने से पता चलता है कि भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में 10 से 15 ऐसे जिले हैं, जहां मुसलमान बहुमत में हैं। इस बहुमत का एक बड़ा कारण मुसलिम महिलाओं की अधिक प्रजनन क्षमता से अधिक बांग्लादेश से हो रही मुसलमानों की अवैध घुसपैठ भी है। इस हिसाब से मुसलमानों की वृद्धि दर को बांग्लादेश के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में देश विभाजन के बाद जहां एक ओर प्रत्येक जनगणना के साथ हिंदुओं का संख्या बल क्षीण हुआ है, वहीं दूसरी ओर तुलनात्मक रूप से मुसलमानों का राज्य की धार्मिक जनसंख्या में अनुपात तेजी से बढ़ा है। मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि और आकार में बढ़ोतरी बिना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हुई कि राज्य में ऐसी बढ़ी हुई आबादी को वहन करने की क्षमता नहीं है।

(संघ के वरिष्ठ प्रचारक लेखक प्रज्ञा प्रवाह की राष्ट्रीय टोली के सदस्य हैं।)

बेमिसाल 4 साल रखा सबका ख्याल

विकास को रफ्तार हर पल सुधार ...

हरियाणा देश का पहला कैरोसिन मुक्त राज्य

श्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा

हरियाणा सरकार ने किया कमाल

एल.पी.जी. कनेक्शन

उज्ज्वला से उज्ज्वल हुए 7,85,324 गरीब परिवार

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा | www.prharyana.gov.in

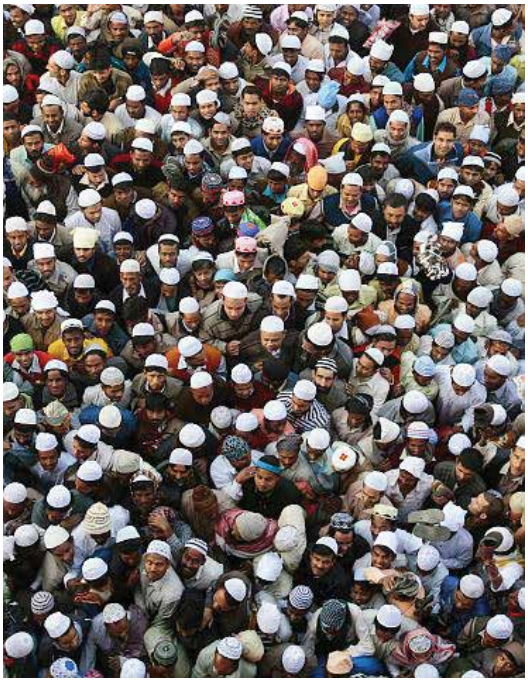

POPULATION VERSUS PROGRESS & PROSPERITY

Isn't India caught in MALTHUSIAN TRAP?

Harsha Vardhan

We seem to be not knowing or may be just indifferent to the critical problem which has already engulfed us that we, the Indians, are caught in the 'Malthusian Trap' that is to say in simpler words in some sort of a suicidal whirlpool. It is said suicide is the role one writes for oneself – one inhabits it and enacts it oneself. One must know the darkness to appreciate the light.

But before delving deep into the subject it is necessary to explain what is 'Malthusian Trap'. All political academicians know that the first original thoughtful exercise on layman's economic problems was done by Thomas R. Malthus, an English clergyman. His Essay on the Principle of Population known as "Malthusian doctrine" was written in 1798. It had declared that population ought to be controlled for survival of human race.

Even the scientific icon

Stephen Hawking had on June 17, 2017 expressed doubts over the long feasibility of life on earth ("inevitable that nuclear confrontation or environmental catastrophe will cripple earth") and had suggested that scientists should set a deadline for humanity to save itself. Within the next 100 years we need to colonize Mars and other planets. If we don't, we may not survive climate change, disease, and other versions of doom we're bound to inflict on ourselves this century.

The rapidly increasing population of England indirectly supported by the indifference of the government and the absence of intelligence on the part of the common man resulting in chaos distressed Malthus. He feared that England was heading for a disaster. England did indeed feel the shortage of land and food.

Malthus deplored "the strange contrast between over-care in breeding animals and carelessness in breeding men."

The Malthusian Theory of Population is a theory of exponential population growth and arithmetic growth of food supply. It was realized that the unbridled growth in human population would soon outstrip food supply which may result in 'food riots'.

THEORY OF POPULATION

Reflecting over the factors concerning the improvement of the living standards of the average man in the society Malthus decided to investigate the causes which impede the progress of mankind towards happiness and the probability of total or partial removal of them. One chief cause intimately linked with the very nature of man was his constant tendency to increase far beyond the food stock available for survival.

Nature is full of paradoxes – self-contradictory realities. It sees to it that the seeds of life both in the animal and vegetable kingdoms are scattered most profusely but also restrains them within prescribed bounds. However, its check on man is a bit complicated.

The Malthusian Theory of Population is a theory of exponential population growth and arithmetic growth of food supply. It was realized that the unbridled growth in human population would soon outstrip food supply which may result in 'food riots'.

Impelled by the all-powerful sex instinct he falls into the unforeseen trap of bringing in the world new mouths to feed for whom he cannot provide the means of support, very often at regular annual intervals. *If he is not controlled by the government or does not discipline himself the human race will be constantly endeavoring to increase beyond the means of subsistence.*

Malthus wrote : "By nature human food increases in a slow arithmetical ratio; man himself increases in a quick geometrical ratio…. The increase in numbers is necessarily limited by the means of subsistence. Population invariably increases when the means of subsistence increase, unless prevented by powerful and obvious checks."

Malthus based his reasoning on the biological fact that every living organism tends to multiply to an unimaginable extent. A single pair of *thrushes* (a small songbird) multiplies into 19,500,000 after the life of the first pair and 20 years later into 1,200,000,000,000,000,000,000.

"Men multiply like mice in a barn", says Richard Cantillon (1680-1734), Irish-French economist and author of *Essai sur la Nature du Commerce en Général* (Essay on the Nature of Trade in General), considered as the "cradle of political economy".

According to Huxley "Human beings are supposed to double every 25 years….."

When food supply increases family size also increases. More mouths need more food. And since

the grain production will either remain static or may decrease as a result of agrarian land turning into urban localities due to rise in population, food supply per person will decrease resulting in malnourishment and fall in the standard of living. Production of food is subject to the law of diminishing returns. Malthus asserted that population would ultimately outstrip food supply. If preventive checks like avoidance of marriage, late marriage or less children per marriage, are not exercised, then positive checks like war, famine and disease will operate.

CONFLICTING EQUATIONS

In India the existing population equations give an alarming signal about the coming times. To cap the chaos they contradict each other blatantly. Facts are stubborn things which speak for themselves and cannot be denied or altered.

India is the second most populated country in the world with nearly a fifth of the world's population. As on September 17, 2018 India's 2018 population was estimated at 1.35 billion based on the most recent UN data. According to the 2017 revision of the World Population Prospects India's population stood at 1,324,171,354. During 1975–2010 it doubled to 1.2 billion. The Indian population had reached the billion mark in 1998. India's population is projected to touch 1,469,603,953 figure by 2030.

One must take note of the fact that India's population in 1950 was 376,325,205 which rose to 1,342,512,706 in 2017 registering the yearly increase of 15,751,130. The density of population per square km rose alarmingly to 451.54 in 2017 as against 126.57 in 1950.

The population figures religion-wise at present stand at :

Hindu : 1,031,958,408 (80.5 %),
Muslim : 171,779,412 (13.4 %),
Christian : 29,484,526 (2.3%).

In India though the government had established the first National Family Planning Programme in 1952 and the condoms had come into use but it was limited to a very limited elite class only because it did cost 25 paise per piece, unaffordable by the middle and the lower middle class where the birth rate was highest.

CONDOMS

A very significant point which must be taken note of is that Malthus Doctrine was written in 1798 – 41 years before Charles Goodyear invented the rubber vulcanization process in 1839 and got it patented in 1844. The first rubber condom was produced in 1855 primarily to check spread of venereal diseases and prevent unwanted pregnancies.

In India though the government had established the first National Family Planning Programme in 1952 and the condoms had come into use but it was limited to a very limited elite class only because it did cost 25 paise per piece, unaffordable by the middle and the lower middle class where the birth rate was highest. Subsequently the government had decided to import 400 million condoms in 1968 and sell them at 5 paise per piece. However, their sale and availability at this price always remained under the shadow of doubt. To improve access to condoms the government had launched the Nirodh Marketing Program in 1968 and by 1972 their monthly average use had gone up to 7 milllion pieces.

Later the government had started distributing condoms free of cost through family planning clinics and community workers, and at subsidized prices through community-based distributors and post offices under the depot holder scheme. It would not be inappropriate to say that condoms have played a very significant role in meeting hitherto the food demand by keeping birth rate under control. But still India's population is rising at a very fast and alarming pace.

A progressive shift noted from the late 1970s onward was the change in educated parents attitude towards their children. They preferred not to have more children than they could attend to properly. They felt it their prime duty to do as much as they could for each child. They also started caring to live life more comfortably than to have a large family.

But still the population continued to increase at the wrong end – the poor who can ill-afford to bring up and educate children are multiplying. The Malthusian Theory is still relevant in India where grinding poverty, lack of education, religious fanaticism and communal quarrels are the order of the day.

FOOD SHORTAGES

Failure to increase food production in India at a faster rate than has prevailed in the past could engender serious economic difficulties, with possible explosive political consequences. Present trends in the Indian economy raise the spectre of a growing shortage of food, a shortage which would be all the more acute if, as is expected, the population increases more rapidly than it has in recent years. Consideration of future food requirements is particularly appropriate at this time when the Third Five Year Plan is in the process of formulation", had written Rodney H. Mills Jr. long back on page 145 of his Far Eastern Survey conducted by the American Institute of Pacific Relations under the title 'India's Food Crisis'.

The food situation in India had always been serious since I940s and was marked by severe shortages. Consequently, strict measures of price control and rationing were imposed and food grains imported on a large-scale. The controls were gradually relaxed in March 1955.

To add to the misery famine had been a recurrent feature of life in the Indian sub-continent most notoriously during British rule resulting in more than 60 million deaths in the 18th, 19th, and early 20th centuries the severest being the Bengal famine of 1943. A famine occurred in Bihar in 1966. Then occurred a drought in Maharashtra in 1970–1973.

Despite a good agricultural growth of 3% per annum during 1956-65 India faced grim shortages as demand kept on rising with population rising at 2.2% per annum from earlier 1%. During this very period occurred two major wars straining the stocks further – India-China war in 1962 and Indo-Pak war in 1965.

SABKA SAATH, SABKA VIKAS

Circumstances had compelled India to import wheat from U.S from 1956 under PL-480 scheme swallowing the humiliation by President Johnson but it made Prime Minister Lal Bahadur Shastri and his successor Indira Gandhi to turn to Green Revolution. It was during these critical times that PM Shastri had made that historic call to the nation "Jai Jawan, Jai Kisan".

Thereafter only Prime Minister Narender Modi raised the call for "Sabka Saath, Sabka Vikas" seeking everyone's support for the comprehensive wellbeing of everyone in the country. All round progress and prosperity is not possible sans the cooperation and contribution of all. To help him turn his dream of a sound and progressive India into reality we all have to contribute in our own

individual ways. Mere wearing 'Modi masks' and vociferous supportive slogans won't change the scenario; the entire nation will have to change and give up its lazy and careless approach to every aspect of life and become industrious not wasting any man-hour in the interest of our future generations. In other words, coining a new word, we all need to become **'Modiized'** i.e. becoming one with him – thinking and working like him.

But and there is always an unwanted 'BUT' springing up in the path of one's designed progress. Unfortunately the socio-political equations in our country are not very conducive. Ours is not a one united nation. We still stand divided in separate religious communities bounded in shallower brains controlled by centuries-old dogmas and liturgies having very little faith in others. Some believe that children are born as per the will of the God and therefore it is their duty not to hamper Him and keep on mating to produce children. They believe that since God produces children, He will also look after their needs for sustenance. The consequent result is disastrous not only for the family but for the entire society. And some even sanction polygamy as a religious right.

Excepting the religions which originated in India the others with foreign roots believe in converting people to their faith offering various types of temptations financed from abroad. Ironically, they don't know, this step nullifies their faith in their own God because by conversion they try to rectify His error in not making all believe in their faith from birth. They think it was a 'divine error' and needs be set right -- Correcting the Creation of the Creator.

Some fanatic motor-mouths openly call their fellow-believers to convert at least five persons annually to their faith and thus enlarge their numbers to be able to have the political reins of the country in their hands. Such anti-progress head-winds need to be checked because they pretend to be responding to the Prime Minister's call for all-round transformation but in reality just keep on circling their mental wagons around their outdated beliefs. One living example of it is Khadim Hussain Rizvi, Chief of Tehreek-i-Labaik Pakistan, who on November 1, 2018 "called for the assassination of the chief justice who acquitted the Christian woman Asia Bibi sentenced to death by hanging under Pakistan's blasphemy laws". An unlimited number of his tribe lay silent in our country.

PRIORITIES OF THE TIME

The country can no longer afford to waste time over parochial issues and must adhere to its development

India is the second most populated country in the world with nearly a fifth of the world's population. As on September 17, 2018 India's 2018 population was estimated at 1.35 billion based on the most recent UN data.

agenda keeping scope for the grim reality that there cannot be a uniform change in national mentality and that 'progress' cannot keep on running a parallel or losing race with the constant rise in population. It must stop. The Central Government should immediately attend to the following vitally important targets :

Controlling population explosion by limiting family size through two children per couple norm;

Persuading the couples of reproductive age group to postpone conception for at least two-three years;

Ensuring universal access to cheap and reliable contraception means/devices;

Generating more grain at lower cost through improved latest agricultural discoveries and inventions making the poor's footpath food prices its judging parameter;

Protecting the environment by creating more green spaces and making harmonious changes in lifestyles, and therefore, putting brakes on the haphazard increase in construction of high-rise buildings devouring agricultural land;

Bringing the entire populace under one common Civil Code governing every aspect of every citizen irrespective of his community and caste for Hindus are divided into astronomically large number of separate entities everyone being a minority in itself, and lastly

Paying immediate attention to the school education system in the country destroyed by the Congress Education Minister Kapil Sibbal producing uneducated generations one after another for several years.

The political brains running the country should not ignore the fact that every progressive plan is subject to time's scrutiny which will point out its inherent flaws. They must realize that nature has not made all men equal except in their basic requirements like food, clothing and housing.

The food situation in India had always been serious since I940s and was marked by severe shortages. Consequently, strict measures of price control and rationing were imposed and food grains imported on a large-scale. The controls were gradually relaxed in March 1955.

The concept of universal high school education is flawed and can never be achieved and better be very silently curtailed. However, universal primary education in one's mother tongue up to fifth standard and thereafter for another three years for successful students with English as an additional language be made compulsory. Promotion to ninth class should be strictly on competency basis and not automatic. Primary education should be provided in every village.

Housing for all? It is all very humane and justified. But should houses be kept on being built to meet the ever-rising demand. It will invariably adversely affect agriculture which means slow starvation. If population growth is not controlled and curtailed immediately the days are not far ahead when town-planners will be designing 'Coffin Homes' – 1 meter by 2 meter covers.

"Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide", had warned John Adams, the second U.S. President (1735-1826).

If… and if, we as a nation fail to achieve these targets at a quick pace within a reasonable limited time-frame we are bound to doom because our own limitless resultant hunger emerging from our senseless population growth will devour us caring not for our castes, communities and creeds.

(The author is a senior English journalist and worked for a lot of leading media houses in India.)

> धर्मांतरण से हिंदू धर्म का ह्रास जारी है, इस पर गंभीर होना सरकार का अहम दायित्व है

हरेंद्र प्रताप

धर्म की राजनीति यानी धार्मिक बढ़ावा

महात्मा गांधी ने कहा था, "जो लोग मानते हैं कि धर्म और राजनीति आपस में जुड़े नहीं हैं, वह नहीं जानते कि धर्म क्या है।"

यह बात जितनी सत्य है कि धर्म और राजनीति अलहदा चीजें हैं और इनका घालमेल भारत जैसे उदार और पंथनिरपेक्ष राष्ट्र और समाज के लिए कतई उचित नहीं है, उतनी ही बड़ी सच्चाई इस बात में भी है कि भारत का सामाजिक तानाबाना बेहद मजबूत और सुदृढ़ है। कुछ फिरकापरस्त लोग भले ही अपने लाभ के लिए समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हों, लेकिन आज भी यात्रा आदि के दौरान मिल-बांटकर खाने-खिलाने की रवायत जिंदा है। तब हम यह बिल्कुल नहीं पूछते या सोचते कि सामने बैठा व्यक्ति किस संप्रदाय, जाति या धर्म का है। ऐसे सौहार्दपूर्ण समाज में कोई कथित धर्मगुरु 'अशांत' माहौल के लिए चिंतित दिखाई दे तो कई तरह के सवाल पैदा होना लाजिमी है। पहली बात तो धर्मगुरुओं का काम राजनीति करना नहीं है और वे समाज को हमेशा से दिशा दिखाने का काम करते रहे हैं या कहें, अपने धर्म की बातें समाज को बताना-सिखाना, नेकी के रास्ते पर चलने की शिक्षा देते रहे हैं। शायद इसीलिए रोमन कैथोलिक के आर्कबिशप अनिल कुटो ने जब नई दिल्ली में बैठकर देश भर के पादरियों को इस आशय का पत्र लिखा कि इस समय देश के राजनीतिक माहौल में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और देश की पंथनिरपेक्ष पहचान के लिए खतरा पैदा हो गया है तो विवाद खड़ा होना लाजिमी है।

कैथालिक चर्च का राष्ट्रवादी विरोध

दिल्ली के कैथोलिक आर्कबिशप अनिल कुटो के बयान की तरह ही कई अन्य बिशप भी मिलता-जुलता बयान देते रहते हैं। नवंबर 2017 में उन्होंने कहा था कि अगर राष्ट्रवादी चुनाव जीत जाएंगे तो देश की पंथनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में पड़ जाएंगे, मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, लोगों का संवैधानिक अधिकार कुचला जाएगा,

अपनाने की संस्कृति

इस मुद्दे पर 53 फीसद भारतीय मानते हैं कि अलग पृष्ठभूमि, संस्कृति और विचारों के लोगों के बीच घुलने-मिलने से आपसी समझ और सम्मान बढ़ता है।

समाज में तनाव की वजह

विश्व भर में बहुतायत लोगों के मुताबिक, राजनीतिक विचारों में मतभेद होना तनाव की बड़ी वजह है। अमीर और गरीब का अंतर होने के साथ दूसरी ओर देश के मूल निवासी व प्रवासियों के मध्य मतभेद होना तीसरी सबसे बड़ी वजह है। भारत के 49 फीसदी लोग मानते हैं कि राजनीतिक विचारों में भिन्नता तनाव की बड़ी वजह है। 48 फीसदी अलग-अलग धर्मो और 37 फीसदी सामाजिक-आर्थिक हैसियत के अंतर को इसका कारण मानते है।

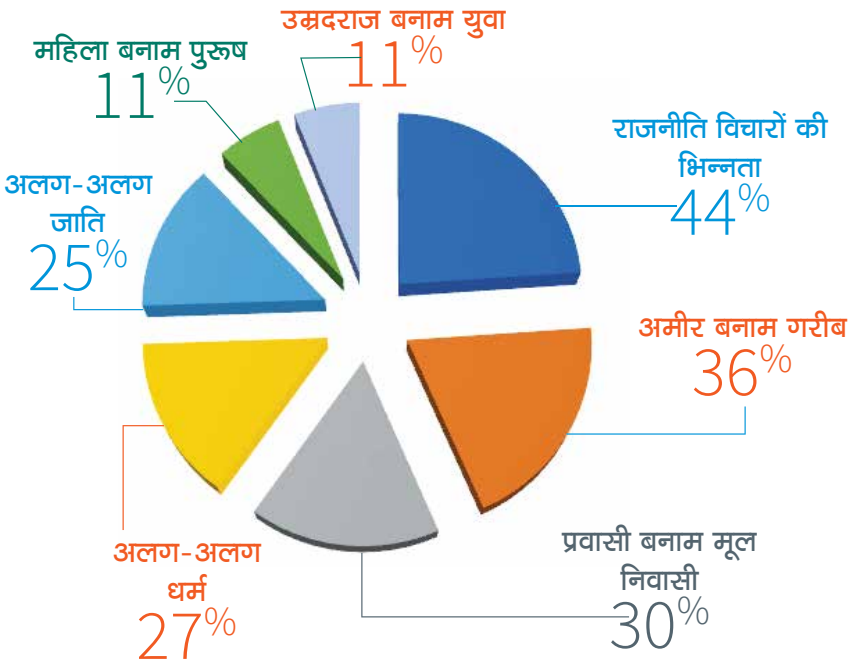

अल्पसंख्यक, पिछड़ा और अति-पिछड़ा वर्ग पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगा। साथ ही ये खतरनाक राष्ट्रवादी ताकतें देश को गलत रास्ते पर ले जाएंगी।

राजनीति का घालमेल

दूसरी ओर नगालैंड विधानसभा चुनाव के समय भी कुछ ऐसी ही वारदात हुई, जब 9 फरवरी, 2018 को बैपटिस्ट चर्च काउंसिल के कार्यकारी निदेशक डॉ. वी अटसी डोली ने आरोप लगाया कि हिंदुत्ववादी ताकतें प्रलोभन देकर नागा समाज में प्रवेश कर रही हैं। 1998 में ईसाई बहुल नगालैंड के विधानसभा चुनाव में कुल 60 सीटों में से 53 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गईं। कहना अहम होगा कि उन 53 में से 43 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज हुई, क्योंकि असली कारण यह था कि कोई दूसरा प्रत्याशी नामांकन करने का साहस ही नहीं जुटा पाया।

भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति महोदय हिंदी में संबोधित कर सकते हैं, पर मेघालय के राज्यपाल ने विधानसभा

कौन कितने पानी में

सहिष्णुता का पैमाना

कुल औसत	46
कनाडा	74
चीन	65
मलेशिया	65
भारत	63
सऊदी अरब	60
ऑस्ट्रेलिया	60
स्वीडन	58
मैक्सिको	55
रूस	55
पेरू	55
यूके	54
सर्बिया	52
यूएएस	47
जर्मनी	47
द0 अफ्रीका	44
अर्जेन्टीना	42
तुर्की	40
बेल्जियम	39
जापान	37
स्पेन	37
फ्रांस	36
चिली	36
इटली	34
पोलैंड	30
ब्राजील	29
द0 कोरिया	20
हंगरी	16

को हिंदी में संबोधित किया तो उसका भारी विरोध हुआ। हिंदी भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद कर सदस्यों में वितरित किया गया था, फिर भी कुछ विधायकों ने यह कह कर सदन का बहिष्कार किया कि भाषण हिंदी में क्यों दिया गया?

सहिष्णु देशों में से भारत एक

अभी हाल के वर्षों में ही देश भर में सहिष्णुता बनाम असहिष्णुता के मुद्दे पर जोरदार बहस छिड़ी। हर कोई यह मानकर चल रहा था कि देश में अब लोग दिनोंदिन बहुत असहिष्णु होते जा रहे हैं। इस सोच के इतर सामाजिक समरसता की तस्वीर पेश करती एक रिपोर्ट सुकून देती है। 27 देशों में इप्सोस मोरी का अध्ययन भारत को चौथा सबसे सहिष्णु देश बताता है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 63 फीसद लोग मानते हैं कि यहां एक दूसरे के प्रति लोग बहुत सहिष्णु हैं। इस गंभीर अध्ययन के लिए इप्सोस मोरी ने 27 देशों में 20 हजार लोगों से बातचीत की।

इस बातचीत के दौरान लोगों से पूछा गया कि उस व्यक्ति का समाज और देश कितना बंटा हुआ है। कहां खड़े हैं हम? नतीजा आया तो पता चला कि सबसे सहिष्णु देशों की सूची में हम चौथे स्थान पर हैं। 63 फीसद भारतीय मानते हैं कि अलग तरह की पृष्ठभूमि, संस्कृति और विचारों के प्रति यहां के लोग सचमुच बहुत ही अधिक सहिष्णु होते हैं। 27 देशों के बारे में किए गए इस अध्ययन से पता चलता है कि हंगरी को सबसे असहिष्णु पाया गया। यहां सिर्फ 16 फीसदी लोगों ने माना कि उनका देश सहिष्णु है। कनाडा में सर्वाधिक 74 फीसदी लोग इस तरह की राय रखते हैं।

लोकतंत्र में धर्म का हस्तक्षेप

लोकतंत्र में धर्म या पंथ का हस्तक्षेप बिल्कुल उचित नहीं है। चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद या गुरुद्वारा हो, चर्च हो या डेरा। इनका काम व्यक्ति और चरित्र निर्माण करने के साथ समाज को सुधारना है। जरूरी है कि ये संस्थाएं व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को जगाएं। आपातकाल में हुई नसबंदी से नाराज जामा मस्जिद के इमाम ने 1977 के चुनाव में कांग्रेस को हराने हेतु फतवा जारी किया था। 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई तो कुछ समाजवादी नेताओं ने वाहवाही में जीत का सारा श्रेय इमाम साहब को दे दिया। यह बात अलग है कि 1977 का चुनाव लोकतंत्र बनाम तानाशाही था, जिसमें लोकतंत्र विजयी हुआ था। उस समय से लेकर अब तक तो लगभग हर चुनाव के समय किसी न किसी इमाम का फतवा किसी के पक्ष या विपक्ष में आ ही जाता है।

इमामों की देखा-देखी अब ईसाई मिशनरी के बिशप भी चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने लगे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के समय रोमन कैथोलिक मिशनरी गुजरात के

आर्कबिशप थॉमस मैकवॉ ने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव में अगर राष्ट्रवादी जीतते हैं तो वे देश को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। यहां गुजरात के आर्कबिशप की नाराजगी को समझना होगा। पूर्वोत्तर राज्यों की तरह गुजरात में भी ईसाई मिशनरी सेवा के नाम पर धर्मांतरण के काम में लगी हुई है। उसे सफलता भी मिल रही थी। 1971-81 में ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 प्रतिशत और गुजरात में 21.36 प्रतिशत थी। 1981-91 में यह दर राष्ट्रीय स्तर पर 17 प्रतिशत और गुजरात में 36.96 प्रतिशत हो गई। 1991-2001 में वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर पर 22.1 प्रतिशत तो गुजरात में 56.30 प्रतिशत थी।

आर्कबिशप की नाराजगी का मुख्य कारण है पंथ परिवर्तन में आई गिरावट 2001-2011 में राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर 15.52 प्रतिशत थी, पर गुजरात में ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 11.29 हो गई। गुजरात गांधीनगर के आर्कबिशप थॉमस मैकवॉ के राष्ट्रवादियों के खिलाफ प्रसारित पत्र से एक बात और प्रमाणित है कि उनके मुताबिक साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद और विस्तारवाद की राह में राष्ट्रवाद सबसे बड़ी बाधा है। भारत के बाहर विकसित दुनिया के तीनों प्रभावी विचार ईसाईयत, इस्लाम और साम्यवाद या समाजवाद अंतरराष्ट्रवाद को मानते हैं। उन्होंने दुनिया को दो किस्सों में बांटकर अपने विस्तार का सपना देखा है।

पूर्वोत्तर के राज्य नगालैंड, मेघालय और मिजोरम तो ईसाई बहुल हो गए हैं और जल्द ही मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश भी ईसाई बहुल होने वाले हैं। नगालैंड के आतंकवादी संगठन एनएससीएन का भय अरुणाचल प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिला। एनएससीएन के प्रभाव वाले क्षेत्र के प्रत्याशी प्रत्येक दो दिन पर अपने मोबाइल का सिम बदल देते थे, क्योंकि उनसे धन उगाही की मांग होती रही है। चर्च के

वास्तविक चेहरे को देखना हो तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जाकर जमीनी स्तर पर उन्हें समझना होगा। माना जाता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय अधिकतर अलगाववादी संगठनों का संचालन वहां के कुछ चर्च ही करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने किस संगठन को कितना पैसा दिया, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करने पर यह तथ्य खुलकर सामने आ जाता है।

इन अहम बातों के मद्देनजर अगर ये ईसाई मिशनरियां सेवा के कार्य में सक्रिय हैं तो राष्ट्रवादी संगठन भी अपने सीमित साधन के बल पर देशव्यापी सेवा कार्यों का संचालन कर रहे हैं। राष्ट्रवादी संगठनों के सेवा कार्य के नतीजों से उनके लिए पंथ परिवर्तन कराना लगातार कठिन होता जा रहा है, लिहाजा विरोध स्वाभाविक है। उनकी कथित सेवा के एकाधिकार की मानसिकता कितनी हिंसक है, यह बात 1997 में ही जगजाहिर हो चुकी है। पूर्वोत्तर में राष्ट्रवादी संगठनों के द्वारा भी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अनेक प्रकल्प चलते हैं, जिसको लेकर ईसाई मिशनरी नाराज होते हैं। उन्हें अनेक बार इन प्रकल्पों को बंद करने की धमकी भी मिलती रहती है। 6 अगस्त, 1999 को त्रिपुरा के दलाई जिला बैपटिस्ट चर्च द्वारा संचालित उग्रवादी संगठन एनएलएफटी के उग्रवादियों

पूर्वोत्तर भारत में भी अब लोकतंत्र खुली हवा में सांस लेने लगा है। वहां सात में से छह राज्य ईसाई मिशनरी के चंगुल से मुक्त हो गए हैं। अब उन्हें मिजोरम के भी हाथ से निकलने का खतरा सताने लगा है।

ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह श्यामल कांति दास गुप्ता और बनवासी कल्याण आश्रम के दीनेंद्रनाथ डे, सुधामय दत्ता तथा सुहंकर चक्रवर्ती का अपहरण कर लिया, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई।

गुजरात, नगालैंड और अब दिल्ली में ईसाई मिशनरियों की बढ़ रही नाराजगी का कारण यह भी है कि 1991 से 2001 की जनगणना के मुकाबले 2001 से 2011 की गणना में ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में कम हो गई। दूसरे, कश्मीर की तरह ही पूर्वोत्तर के चर्च द्वारा संचालित आतंकवाद के खिलाफ 2015 में म्यांमार जाकर भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक। बताते हैं, इस नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण के मकसद से उन्हें मिलने वाले अकूत विदेशी धन और उसके उपयोग पर सरकारी एजेंसियों की पैनी नजर होना।

पूर्वोत्तर भारत में भी अब लोकतंत्र खुली हवा में सांस लेने लगा है। वहां सात में से छह राज्य ईसाई मिशनरी के चंगुल से मुक्त हो गए हैं। अब उन्हें मिजोरम के भी हाथ से निकलने का खतरा सताने लगा है। लोकतंत्र की राह में पंथ का हस्तक्षेप चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च अथवा डेरा, उसे कदापि ठीक नहीं कहा जा सकता। धर्म के इन रास्तों का काम व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना है। अगर ये लोग लोगों की अध्यात्मिक शक्ति को जगाएं, तभी समाज का बेहतर हित होगा। अच्छे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है, पर अपने निहित स्वार्थ के लिए अगर कोई भी धर्मगुरु देश की राजनीतिक दशा-दिशा को बिगाड़ना चाहता है तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है।

एक नजर विदेशी वित्तीय सहायता पर

2015-16 में विदेश से सबसे ज्यादा फंडिंग पाने वाले भारतीय एनजीओ में ईसाई मिशनरी सबसे आगे थीं। शीर्ष पांच संस्थाओं में से तीन संस्थाएं मिशनरी कार्य से जुड़ी थीं। पहले स्थान पर केरल का अयाना चेरिटेबल ट्रस्ट रहा। इस संस्था को 826 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। अमेरिका के टेक्सास स्थित संस्था गोसपेल फॉर एशिया की हांगकांग शाखा इसकी प्रमुख दानदाता थी। दूसरे स्थान पर साध्वी ऋतंभरा का परम शक्ति पीठ संस्थान रहा। इसे 417 करोड़ रुपए का दान मिला। तीसरे स्थान पर केरल की ही बिलीवर्स चर्च इंडिया संस्था को 342 करोड़ रूपए की फंडिंग मिली। चौथे स्थान पर चेन्नई स्थित वर्ल्ड विज इंडिया को 319 करोड़ का दान मिला।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं।)

अंग्रेजी ईसाइयत के निशाने पर पंजाबी हिंदू-दलित

राजेंद्र चड्ढा

वर्ष 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया और उसके साथ ही मतांतरण करने के लिए आक्रामक तेवर में ईसाइयत की शुरुआत हो गई। वैसे तो पंजाब में ईसाई मिशनरियों की आमद 1800 के शुरुआती दशक में ही हो गई थी, लेकिन उत्तर-पश्चिम भारत में 1800-1857 के दौरान सात प्रोटेस्टेंट सोसाइटियों के आने पर ईसाई मिशनरी यहां मतांतरण करने लगे। दीपांकर गुप्ता की संपादित पुस्तक 'सिख धर्म और जाति का सवालः पहचान या पदानुक्रम' इस बात का खुलासा करती है कि किस तरह से अंग्रेजी उपनिवेशवादी शासन ने पंजाब सूबे के दरवाजे ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के लिए खोल दिए थे। दरअसल इन मिशनरियों का यहां आने का इरादा ही मतांतरण था। कुछ समय बाद ही हालत यह हो गई कि यहां हिंदू, मुस्लिम और सिख पंथ पर खतरा मंडराने लगा।

भारत में तीन राज्यों-उत्तर में पंजाब और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही बहिष्कृत जातियों का सामूहिक धर्मांतरण हुआ, जबकि अविभाजित पंजाब में ईसाइयत की जड़ें, 1881 के बाद हुए सामूहिक धर्मांतरण के बाद जम सकीं। '1800 के पश्चात उत्तर-पश्चिम भारत में ईसाइयत का सामाजिक इतिहास' पुस्तक में जॉन सी बी वेबस्टर कहते हैं कि इस अवधि में 1881 की जनगणना रिपोर्ट, पंजाब में कुल 3912 भारतीय ईसाई होने की बात दर्ज करती है, जबकि 1855 में पंजाब सरकार की जनगणना रिपोर्ट में एक भी भारतीय ईसाई नहीं था। जबकि 'दक्षिण एशिया में धार्मिक परिवर्तनः औपनिवेशिक पंजाब में मतांतरण का अर्थ' पुस्तक में क्रिस्टोफर हार्डिंग बताते हैं कि बीसवीं शताब्दी के अंत तक पंजाब में तीस से अधिक ईसाई समूह सक्रिय थे, जिनमें अमेरिकी यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन और बैपटिस्ट, मेथोडिस्ट, स्कॉटलैंड चर्च, बेल्जियम कैपचिन और साल्वेशन आर्मी प्रमुख थे।

> ईसाई मिशनरी और भारतीय चर्च को ईसाइयत के ऊंची जातियों से निचली जातियों में फैलने की उम्मीद थी, जबकि हुआ इसके ठीक विपरीत। ईसाइयत ने मतांतरण के लिए हिंदू धर्म की अस्पृश्य जातियों को अपने निशाने पर ले लिया।

ईसाई मिशनरी और भारतीय चर्च को ईसाइयत के ऊंची जातियों से निचली जातियों में फैलने की उम्मीद थी, जबकि हुआ इसके ठीक विपरीत। ईसाइयत ने मतांतरण के लिए हिंदू धर्म की अस्पृश्य जातियों को अपने निशाने पर ले लिया। लाहौर से 1938 में प्रकाशित 'पंजाब में ग्रामीण चर्च' पुस्तक के लेखक ईडी लुकास और एफ ठाकुर दास ने लिखा हैं कि 1860 के बाद मिशन को ग्रामीण क्षेत्र में ईसाइयत के प्रति झुकाव की बात ध्यान में आई। इससे जल्दी यह भी साफ हो गया कि ईसाइयत के साथ किसी तरह का नाता रखने वाले अधिकांश सामाजिक समूह निचले स्तर यानी चुहड़ा जाति से थे। ऐसा माना जाता है कि 1930 के दशक तक ग्रामीण पंजाब में ईसाइयत अपनाने वाले 95 फीसदी लोग चुहड़ा जाति के ही थे।

'सामाजिक दृष्टि के रूप में धर्मः 20वीं शताब्दी के पंजाब में अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन' पुस्तक में मार्क जुर्गेन्स मेयर लिखते हैं कि 1873 में पहला ईसाई मतांतरण सियालकोट में डिट नामक व्यक्ति के बपतिस्मा से हुआ। उसके बाद, निचली जातियों में से सैकड़ों और फिर हजारों ने डिट का अनुसरण किया। इस तरह पंजाब में ईसाइयत ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। अविभाजित पंजाब में दलितों, खासकर चुहड़ा और चमार जातियों के ईसाइयत को अपनाने के कारण यह संभव हुआ। उस समय सबसे तुच्छ समझी जाने वाली चुहड़ा जाति मुख्य रूप से साफ-सफाई, रात की मिट्टी को हटाने, सार्वजनिक सड़कों को साफ रखने, खेतिहर मजदूरी और मृत पशुओं को हटाने का काम करती थी। जबकि सामाजिक स्तर में चुहड़ों से ऊपर माने जाने वाले चमार

20 वीं शताब्दी के पंजाब में अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन' पुस्तक में मार्क जुर्गेन्स मेयर ने लिखा है कि 1873 में पहला ईसाई मतांतरण सियालकोट में डिट नामक व्यक्ति के बपतिस्मा से हुआ। उसके बाद, निचली जातियों में सैकड़ों और फिर हजारों ने डिट का अनुसरण किया।

चमड़ा मजदूरी, बुनाई और खेतिहर मजदूर थे। ईसाई मिशनरियों के लिए चुहड़ों से वास्ता एक अनुभव था। डेनिल इब्बेटसन ने अपने विशद् अध्ययन 'पंजाब कॉस्ट' में उनका उल्लेख पंजाब में बढ़िया सफाई करने वालों के रूप में की है।

'इंपीरियल फाल्ट लाइंस: क्रिश्चियनिटी एंड कोलोनियल पॉवर इन इंडिया, 1818-1940' में जेफरी कॉक्स लिखते हैं कि पंजाब की 1931 की जनगणना रिपोर्ट में चौदह पिछड़े और डिप्रेस वर्गों में से पांच– चुहड़ा, चमार, धोबी, दागी/कोली और जुलाहा-में से प्रत्येक की आबादी के 4 प्रतिशत से अधिक थी। इन पांच बड़े पिछड़े और डिप्रेस समूहों में से केवल चुहड़े और चमारों में ही ईसाई मतांलबी होने की बात थी और केवल चुहडों की ही संख्या महत्वपूर्ण थी। 1931 तक हिंदू जाति में से कुछ ब्राह्मणों, जाटों, खत्रियों, मिरासियों और राजपूतों ने भी ईसाइयत अपनाई थी, लेकिन अधिकांश ईसाई चुहड़ा समुदाय से ही मतांतरित हुए थे। 1870 के आरंभिक दशक में चुहड़ों के ईसाई मतांतरण का सिलसिला लगभग पचास साल यानी 1930 के दशक के आरंभ तक सिलसिलेवार ढंग से चला।

1881 तक ईसाई मतांतरितों की संख्या 3912 तक पहुंच चुकी थी। इस आबादी का घनत्व लाहौर, अमृतसर, सियालकोट और दिल्ली तक था। अगले दस वर्षों के भीतर, पंजाब में ईसाइयत को मानने वालों की संख्या 19750 तक पहुंच गई। 1901 में यह आंकड़ा 37980 और फिर अगले दशक तक बढ़कर 163994 हो गया। 'पर्सपेक्टिवस ऑन सिख गुरुद्वारा लेजिसलेशन' पुस्तक में सुरजीत सिंह गांधी लिखते हैं कि वैसे तों पंजाब की कुल आबादी के हिसाब से एक छोटा हिस्सा ही ईसाइयत में मतांतरित हुआ, फिर भी उसे जबरदस्त प्रचार मिला। इसे पूरी तरह संख्या बल का मामला न मानते हुए भविष्य में सभी देशी धर्मों के घटने के रुझानों के संकेत के रूप में लिया गया। यह उन मतावलंबियों के लिए एक चिंताजनक बात थी। जेफरी कॉक्स के अनुसार, 1931 तक गुजरांवाला, सियालकोट और शेखुपुरा जिलों में ईसाइयों की आबादी 7 प्रतिशत से अधिक थी।

नवधर्मांतरित ईसाइयों में से अधिकांश एक ही जाति या समुदाय से थे, जिन्हें जनगणना रिपोर्ट में चुहड़ा बताया गया था। लिंडा वालब्रिज अपनी पुस्तक 'द क्रिश्चियन ऑफ पाकिस्तान: द पैशन ऑफ बिशप जॉन जोसेफ' में लिखती है कि पंजाब में ईसाइयत के फैलाव का अंग्रेजी राज में नहरों के विकास और उसकी बसाई खेतिहरों की कॉलोनियों से निकटता का संबंध है। उल्लेखनीय है कि ईसाई मिशनरियों ने मतांतरितों के लिए कॉलोनियां बनाने का तरीका भी अपनाया। इसके लिए अंग्रेज सरकार ने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिशनरियों के उन्हें नए सिंचाई वाली भूमि के छोटे क्षेत्रों को आवंटित करने की बात को मान लिया। इसे उन्होंने 'चयनित ईसाइयों' को बसाने का नाम दिया। ऐसी कई ईसाई कॉलोनियां बसाई गईं, जिनमें से कुछ कैथोलिक थीं।

1868 में लाहौर की चर्च मिशनरी सोसाइटी ने इस जिले की चुनिया तहसील में 1935 एकड़ जमीन पट्टे में मिलने पर

ऐसी पहली कॉलोनी बसाई। बसावट वाली कॉलोनियां, स्कूलों, प्रकाशन और मजहबी प्रचार ईसाई मिशन प्रणाली के मूलभूत घटक थे, जिन्हें आशातीत सफलता मिली। जबकि क्रिस्टोफर हार्डिंग ने अपनी पुस्तक में उदाहरण के तौर पर क्लार्कबाद के सीएमएस गांव और मरियाबाद के कैपचिन गांव का उदाहरण देते हुए मिशनरियों के आदर्श ईसाई समुदायों को बनाने के दोनों प्रयोगों को असफल होने की बात को रेखांकित किया है। यहां तक कि क्लार्कबाद में किरायेदारी अधिकारों को देने से इनकार करने पर 1906 में वहां बसे नवधर्मांतरित ईसाइयों ने सीएमएस के खिलाफ विद्रोह का परचम लहरा दिया था। इतना ही नहीं, मरियाबाद में ईसाई बनने से पहले की प्रथाएं यानी विवाह के हिंदू रीति-रिवाज मतांतरण के बाद भी प्रचलित थे।

ईसाई मिशनरी पंजाब की गैर-ईसाई जनसंख्या के मतांतरण के लिए अपने साथ नए तौर-तरीके और संगठनात्मक हथकंडे लाए। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके संपर्क में आने वाले दूसरे धर्मों ने भी ईसायत का मुकाबला करने के लिए उन्हीं रास्तों को अपनाया। ईसाइयत में मतांतरण हथकंडों में भाड़े के मिशनरी, प्रचार साहित्य और सार्वजनिक रूप से गली-नुक्कड़ पर मजहबी प्रचार का उपयोग शामिल था। दूसरे धार्मिक विचारों के समर्थक भी अपनी मान्यताओं की रक्षा करने और ईसाइयत को अस्वीकार करने में लग गए। केनेथ डब्ल्यू जोन्स 'स्वामी दयानंद सरस्वतीज क्रिटिक ऑफ क्रिश्चियनिटी' में लिखते हैं कि यह अपने विचारों को फैलाने और दूसरों की झूठी अवधारणाओं को अस्वीकार करने के लिए खंडन-मंडन का संघर्ष था।

'द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ सिख स्टडीज' में जे.एस. ग्रेवाल लिखते हैं कि इस तरह से औपनिवेशिक जनगणना कार्य ने धार्मिक समुदायों को संख्या-बल के बारे में संवेदनशील बना दिया। ऐसा इसलिए था, क्योंकि आम तौर पर संख्या बल को खासकर सरकारी नौकरियों में मिलने वाले फायदे की ताकत से जोड़ा जाता था। मार्क जुर्गेन्समेयर की पुस्तक के अनुसार, 1881 से 1911 के दौरान मुस्लिम आबादी का आंकड़ा लगभग 51 प्रतिशत पर स्थिर रहा और सिख तथा ईसाई आबादी बढ़ी। जबकि हिंदू आबादी में 1881 की 41 प्रतिशत से 1911 में 36 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि जो निचली जातियां ईसाई बनीं, वे पहले अंग्रेजों की जनगणना में हिंदुओं के रूप में दर्ज थीं। लिहाजा उच्च जाति के पंजाबी हिंदुओं को हिंदू आबादी के घटने से चिंता हुई। आर्य समाज के आक्रामक सुधारवादी दृष्टिकोण ने इस आसन्न संकट के उत्तर में पारंपरिक मूल्यों के आधार पर एक प्रगतिशील विचारधारा प्रस्तुत की।

1877 में स्वामी दयानंद पंजाब गए, जहां उनके वैदिक हिंदू धर्म को पूरे उत्साह के साथ स्वीकार किया गया। पूरे पंजाब में आर्य समाज की स्थानीय शाखाओं का तेजी से फैलाव हुआ। 'सत्यार्थ प्रकाश' के 13वें अध्याय में उन्होंने ईसाइयत और उसकी त्रुटियों की चर्चा पर सतहत्तर पृष्ठ दिए हैं। वे कुछ हद तक ईसाई मिशनरियों को जवाब दे रहे थे, जिन्होंने उनके हिंदू

1877 में स्वामी दयानंद पंजाब गए, जहां उनके वैदिक हिंदू धर्म को पूरे उत्साह के साथ स्वीकार किया गया। पूरे पंजाब में आर्य समाज की स्थानीय शाखाओं का तेजी से फैलाव हुआ। 'सत्यार्थ प्रकाश' के 13 वें अध्याय में उन्होंने ईसाइयत और उसकी त्रुटियों की चर्चा पर सतहत्तर पृष्ठ दिया है।

धर्म के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि ईसाई मिशनरी अपनी सभी त्रुटियों और अंधविश्वासों के साथ वाले समकालीन हिंदू धर्म से उसे अलग देख पाने में नाकाम रहे थे। 'पंजाबी ईसाई' शीर्षक पर्चे में जॉन वेबस्टर ने यह माना है कि तत्कालीन पंजाब में अमृतसर सिंह सभा के गठन और पंजाब में आर्य समाज की तीव्र वृद्धि के लिए ईसाई खतरे यानी ईसाई धर्मांतरण को सीधे जिम्मेदार माना गया।

जुर्गेन्समेयर के अनुसार, जब 19 अक्तूबर 1892 को 'ट्रिब्यून' अखबार में छपे एक लेख में बताया गया कि जिस रफ्तार से ईसाई मतांतरण हो रहा है, उससे पंजाब एक ईसाई क्षेत्र में बदल जाएगा, इससे उच्च जाति के हिंदुओं और सिखों के अभिजात वर्ग को गहरा झटका लगा। तभी आक्रामक सुधारवादी हिंदू संगठन आर्य समाज ने अविभाजित पंजाब में प्रवेश किया। 1903 में आर्य समाज ने उनके यानी भारतीय ईसाइयों के परावर्तन हेतु शुद्वि संस्कार की शुरूआत की। 1909 में मुसलमानों और फिर 1919 में सिखों को भी पृथक निर्वाचन देने की व्यवस्था के साथ ही धर्मांतरण के मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि धर्मांतरण से न केवल धार्मिक निष्ठा और संबद्धता परिवर्तित होती थी, बल्कि राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र में भी बदलाव हो जाता था।

आर्य समाज ने इस बात को समझ लिया कि उसे दलित जरूरतों को समझते हुए स्वयं को दलित संघर्षों से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़कर धर्मांतरण के ज्वार को रोकना होगा या फिर उसे सही दिशा देनी होगी। इस संबंध में आर्य समाज की भूमिका 1906 में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, जब आगा खान ने वाइसराय से न केवल मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की मांग की, बल्कि इस आधार पर दलितों को भी कुल हिंदू आबादी में शामिल न करने का अनुरोध किया, क्योंकि साथी हिंदू, दलितों को हिंदू समाज का हिस्सा मानते ही नहीं है। इसी कारण आर्य समाज ने भारतीय ईसाइयों को मूल धर्म में लाने के लिए 1911 में अखिल भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की। आर्य समाज ने ईसाइयत के विस्तार को चुनौती देने के लिए अपने स्कूल, बोर्डिंग, अनाथालय और दूसरे संस्थानों की स्थापना की।

आर्य समाज ने इस बात को समझ लिया कि उसे दलित जरूरतों को समझते हुए स्वयं को दलित संघर्षों से अर्थपूर्ण ढंग से जुड़कर धर्मांतरण के ज्वार को रोकना होगा या फिर उसे सही दिशा देनी होगी। इस संबंध में आर्य समाज की भूमिका 1906 में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई।

उत्तर-भारत और पाकिस्तान में मसीह धर्म बिशप दीनदयाल हिंदी थिओलॉजिकल लिटरेचर कमेटी जबलपुर चूड़ा जन-आदोंलन उत्तर भारत में सबसे सफल आंदोलन माना जाता है, क्योंकि उसने पंजाब में एक प्रभावशाली कलीसिया स्थापित किया। पंजाब में सीएमएस के मजहबी सिखों की दिलचस्पी देखते हुए पेशावर के निकट खैराबाद में जुलाई 1860 में मिशन स्टेशन स्थापित किया गया। रुहेलखंड में मजहबी को हीन समझा जाता था, उनमें बहुत से लोग चोर-डकैत थे। दरअसल वे बहुत ही भ्रष्ट अशिक्षित लोग थे। इसी तरह मिशनरीज ने परावर्तन करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा सजाए गए वीर खालसा सिखों को मजहबी चोर-डकैत बताया था।

(संघ के वरिष्ठ प्रचारक लेखक प्रज्ञा प्रवाह की राष्ट्रील टोली के सदस्य हैं।)

परिवार को असीमित करने की प्रवृति रोकने के लिए अब कठोर कानून की दरकार है

सेवा की आड़ में धर्मांतरण

गांधीजी के इस कथन की सत्यता की पुष्टि डॉ0 वाल्टर ब्रूस डेविड विलियम कैरी के कथन से भी होती है, जिन्होंने अपनी जीवनी के पृष्ठ संख्या 51 पर साफ तौर पर लिखा है-''नए मसीहियों को बपतिस्मा होने के बाद नौकरी मिलने में कठिनाई हुई, क्योंकि अब वे उस जाति के सदस्य नहीं रह गये थे।''

राजेंद्र चड्ढा

अब आंकड़ों का गणित खंगालने के बाद यह साबित हो चुका है कि जनसांख्यिक असंतुलन का एक बड़ा कारण धर्मांतरण है। वास्तव में ईसाई मिशनरी गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य धर्मांतरण ही होता है। इस सम्बन्ध में यहां महात्मा गांधी के कथन की चर्चा करना महत्वपूर्ण है। गांधीजी कहा करते थे, ''सामाजिक सेवा की आड़ में धर्मांतरण करना, संक्षेप में कहा जाये तो वास्तविक सेवा नहीं है। धर्मांतरण भी अन्य व्यवसायों की भांति एक व्यवसाय हो गया है। मुझे स्मरण है, मैंने एक मिशनरी का प्रतिवेदन पढ़ा, जिसमें धर्मांतरण में होने वाले व्यय का ब्यौरा देते हुए नववर्ष की फसल के लिए बजट प्रस्तुत किया गया था।''

गांधीजी के इस कथन की सत्यता की पुष्टि डॉ. वाल्टर ब्रूस डेविड विलियम कैरी के कथन से भी होती है, जिन्होंने अपनी जीवनी के पृष्ठ संख्या 51 पर साफ तौर पर लिखा है-''नए मसीहियों को वपस्तिमा होने के बाद नौकरी मिलने में कठिनाई हुई, क्योंकि अब वे उस जाति के सदस्य न रह गये थे। वे प्रत्येक को बपतिस्में के बाद कुछ रुपए व नई पोशाक भी दिया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इन नए मसीहियों के लिए मकान भी खरीदा।''

डॉ. डेविड बी वैस्ट द्वारा सम्पादित पुस्तक 'वर्ल्ड क्रिश्चियन ट्रेंड्स- ईस्वी 30-ईस्वी2200' के अनुसार भारतवर्ष में एक बपतिस्मा पर लगभग 9803 डॉलर खर्च होता है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन द्वारा सम्पादित पुस्तक 'भारत में राज्यों का विकास' पृष्ठ 213-214 में 'केरल की विकास उपलब्धियां' के अनुसार आधुनिक शिक्षा के सूत्रधार में मिशनरियों के दो वर्ग कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट ने धार्मिक स्कूलों की स्थापना की। कहीं-कहीं मछुआरों के लिए भी स्कूल खोले। इतिहासकार एच. वाल्टर का मत रहा है कि ये स्कूल वास्तव में धर्मांतरण के लिए लोगों को फंसाने के केंद्र थे। इसके कारण उस काल में साक्षरता स्तर में शायद ही कुछ सुधार हुआ हो।

उन्नीसवीं शताब्दी में केरल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना लंदन मिशनरी सोसायटी की स्थापना रही। इन दोनों वर्गों का वास्तविक उद्देश्य तो त्रावणकोर में व्यापक धर्मांतरण करना ही था, परंतु व्यवहार में ये शैक्षिक व सामाजिक सुधारों के ध्वजवाही बने रहे। मिशनरियों ने शिक्षा

एवं हिंदू समाज की अन्य विशेषताओं के विरुद्ध अपने अभियान को धर्मांतरण का माध्यम बना लिया था। आज तो चर्च इससे भी आगे बढ़कर अन्य हथकंडे अपना रहा है। अब वह चर्च न कहकर, आश्रम व मंदिर शब्दों का प्रयोग गरीब, अशिक्षित, अनुसूचित जाातियों एवं जनजातियों के बीच धोखा देने हेतु कर रहा है। पादरी

चर्च के संवाद को धर्मनिरपेक्षतावादियों द्वारा बड़ा तूल दिया जाता है, लेकिन मिशनरी विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि यह फसल कटाई का एक साधन है, औजार है। लोगों तक पहुंचने में सेवा के प्रयोग पर साावधानी से विचार करना चाहिए। यह तरीका अनुभवों में साझेदारी का मार्ग प्रस्तुत करता है।

भगवा वस्त्र व नन भगवा गुलाबी साड़ियां पहन कर हिंदू पद्धति द्वारा आरती, पूजा, तिलक-चंदन, दीप आदि हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों पर क्रास का चिन्ह लगाकर ईसाइयत का प्रचार आदि करती हैं।

चर्च के संवाद को धर्मनिरपेक्षतावादियों द्वारा बहुत तूल दिया जाता है, लेकिन मिशनरी विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि यह फसल कटाई का एक साधन है, औजार है। लोगों तक पहुंचने में सेवा के प्रयोग पर साावधानी से विचार करना चाहिए। यह तरीका अनुभवों में साझेदारी का मार्ग प्रस्तुत करता है। वार्ता आदान-प्रदान के अवसर के साथ निष्कर्ष भी प्रदान करती है। यह एक ऐसा महौल प्रदान करती है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के पास आ सकते हैं। आगे की बात महत्वपूर्ण है, जो मिशनरियों की पोल खोलती है। 'यद्यपि यह संवाद यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। इसे यीशु को ईश्वर मानने और घोषित करने की ओर ले जाना चाहिए।' इससे आगे चिकित्सा के क्षेत्र में भी 'मिशन मैंडेट' नाम की पुस्तक में डॉ. हंसया जय कुमार कहती हैं- ''आज प्रत्येक भाषायी व जनजाति के बीच ईसा का संदेश पहुंचाने की दृष्टि से मिशन अस्पताल कार्यरत हैं और हमारे देश में इन्हें अलग से नजर आना आवश्यक है।''

ये अस्पताल किस तरह से लोगों का धर्मांतरण करने में सफल हो रहे हैं, इसका उदाहरण देकर वे कहती हैं- 'जहां भी मेडिकल मिशन काम कर रहें हैं, वे भी अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि अस्पताल खोलने के पीछे मूल उद्देश्य भारत के भोले-भाले लोगों के सामूहिक धर्मांतरण के नकारात्मक उद्देश्य को प्राप्त करना है।'

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मिशनरियों की मानव सेवा 'तालाब में चारा डाल कर मछलियों को पकड़ने जैसी है।' हमें इन मिशनरी रूपी शिकारियों की चालाकी व चालों को समझना चाहिए। मुझे लोकमान्य तिलक की बात स्मरण आती है। तिलक ने कहा था– ''आंखों के सामने अपने बाल-बच्चों का मतांतरण देखकर आप शांत कैसे बैठ सकते हैं? फुसलाकर भ्रष्ट किए गए लोगों को पुनः अपने धर्म में वापस लाने के उपाय आपको सूझते नहीं हैं क्या? इस तरह अने धर्म का एकतरफा ह्रास हो रहा हो तो लुप्त हो जाने का भय भी है। इतना होने पर भी यदि आप चुप बैठते हैं तो धन्य है आपकी विद्वता और अभियान।''

हमें इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर स्थान-स्थान पर अपनी दूरदर्शिता से ढूंढना होगा, जब तक एक-एक भटका बच्चा पुनः हिंदू नहीं बन जाता, तब तक मिशनरी लोगों की चालें चलती रहेंगी। इसके लिए आगे आकर कोई न कोई व्यवस्था करनी ही होगी। हिंदू धर्म से अलग हुए लोगों को पुनः अपने धर्म में वापस लौटने के प्रयास तेज करने होंगे तथा नए लोगों को हिंदू धर्म में आने-अपनाने के रास्ते खुले रखने होंगे, तभी जनसांख्यिकीय संतुलन बना रह सकेगा।

(संघ के वरिष्ठ प्रचारक लेखक प्रज्ञा प्रवाह की राष्ट्रीय टोली के सदस्य हैं।)

रिखब चन्द जैन

यह सोच काफी हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों का बोझ बढ़ने के बाद बच्चा बड़ा होने पर उसका अपना खर्चा बहुत बढ़ जाता है। लिहाजा इस वर्ग को परिवार सीमित रखने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

जनगणना के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में बिगड़े जनसांख्यिकीय संतुलन पर ध्यान गया

आनुपातिक असंतुलन के लिए नियंत्रण कानून

कहने की जरूरत नहीं कि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। प्रकृति ही सृष्टि की सृजनकर्ता है, संरक्षक है और विध्वंसक भी। प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। जब-जब प्रकृति किसी भी तरह का असंतुलन देखती है तो भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अकाल, महामारी, सुनामी, भूस्खलन और अग्नि इत्यादि माध्यमों से संहार कर समवन्य स्थापित करती है।

सृष्टि में जितनी भी जीवों की प्रजातियां हैं, मनुष्य के अलावा पशु-पक्षी, जीव-जंतु सब प्राकृतिक तरीके से ही जन्म लेते है, जीते हैं और मरते हैं। सिर्फ मानव प्रजाति

ही प्रकृति के दोहन में प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करती है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अनेक विधाएं हासिल कर मनुष्य प्रकृति का दोहन ही नहीं, बल्कि विनाश भी करता है। मगर प्रकृति इस कृत्य का बदला लेती है और अप्राकृतिक तरीके से लाए गए बदलाव से मानव जाति और प्रकृति के अन्य जीव-जंतु, पशु-पक्षी भी परेशानी में पड़ते हैं।

जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण का भयंकर स्वरूप, जनसंख्या अभिवृद्धि से संसाधनों की कमी जैसे जल, भूमि, वायु आदि संसाधनों की बर्बादी और घटती हुई उपलब्धता से जन जीवन, पशु जीवन या प्रकृति सभी दुष्प्रभावित हो रहे हैं। अप्राकृतिक कार्य अधर्म है, पाप है। प्रकृति सहमत कार्य ही धर्म है। जब अधिक जनसंख्या का भार प्रकृति के संसाधनों पर पड़ता है तो उसका दुष्प्रभाव मानव जीवन के लिए भयंकर होता है। पृथ्वी के अनेक भू-भागों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जो विपरीत दिशा में अग्रसर

हो रही है। इसका एक प्रमुख कारण मनुष्य का विज्ञान द्वारा प्रकृति को संतुलित करने वाले उपायों जैसे अकाल, बाढ़, सुनामी और महामारी पर अंकुश लगाना भी है।

करीब 100 वर्ष पहले तक युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से भी जनसंख्या का संतुलन कार्य समय-समय पर प्रकृति स्वयं करती रही है। यह सत्य है कि ये प्राकृतिक तरीके अब ज्ञान-विज्ञान के सामने काफी हद तक बेअसर हो चुके हैं। एक कमरे, घर, किसी वाहन कार या ऑटोरिक्शा में जैसे ही उसकी क्षमता से अधिक लोग होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ असुविधा जरूर होती है। यही बात एक भू-भाग, गांव, शहर या देश पर भी लागू होती है। जब जनसंख्या का बोझ बहुत बढ़ जाता है तो हर तरह के साधन यानी भोजन, पानी, वायु, रहन-सहन, शिक्षा और चिकित्सा सब कुछ कम पड़ने लगते हैं या उनका स्तर काफी गिर जाता है। जिस गाँव, शहर या देश में जनसंख्या भार बढ़ता हैं, वहां हर जगह साधन प्राप्ति के लिए लाइनें बढ़ने लग जाती हैं और प्रदूषण भी बढ़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति ये समझ रहा है कि जनसंख्या के बोझ से जीवन स्तर गिरता है, तकलीफे आती हैं, असुविधाएं बढ़ती है। जिस परिवार में ज्यादा बच्चे हों, वहां पर तो जीवन नारकीय सा हो जाता है। गरीबी बढ़ती है और खुशहाली घटती है।

व्यक्ति, घर-परिवार और देश की खुशहाली बढ़ाने, जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण और अनुपात संतुलन कानून की जबरदस्त आवश्यकता है। धनी और शिक्षित वर्ग ने तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है और इस दिशा में निरंतर परिवार को सीमित रखने में जागरूक रहा है। मगर निचले स्तर पर खड़ा हमारा मध्यम और गरीब तबका अभी भी यही सोचता है कि परिवार में ज्यादा बच्चे होने से प्रतिदिन मजदूरी से होने वाली आमदनी कुछ ही वर्षों बाद बढ़ सकती है। यह सोच काफी हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों का बोझ बढ़ने के बाद बच्चा बड़ा होने पर उसके स्वयं का खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। लिहाजा इस वर्ग को सीमित परिवार रखने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

नसबंदी या गर्भ निरोधक औषधियां इत्यादि संसाधन के सहारे सीमित परिवार रखने के लिए जानकारी देना और उपलब्ध कराना, साथ ही उनके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना सरकार और समाज का अहम दायित्व बनता है। घर-परिवार या जनसंख्या को सीमित रखने में कई बार परंपराएं और लोगों को धार्मिक सोच गर्भपात जैसे साधनों को स्वीकार नहीं कर पाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में अन्य साधन और उपाय अपनाने को प्रोत्साहित करना भी जरूरी रास्ते के रूप में देखा जा सकता है।

धर्म के नाम पर परिवार को सीमित न रखना और सभी नागरिकों पर एक समान जनसंख्या नियंत्रण कानून या नियमावली न लागू होना कदापि ठीक नहीं है। एकतरफा जनसंख्या वृद्धि अंततः विभिन्न धर्मों, जातियों या समूहों के बीच असंतुलन की विकट स्थिति उपस्थित करती ही है। इससे 10-20 साल में किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी शहर में, किसी चुनाव क्षेत्र में विभिन्न धर्मों की भागीदारी असहज हो जाती है। जनसंख्या सीमित न करने वाले वर्ग का अनुपात बढ़ जाता है, लिहाजा उस वर्ग की मतदान शक्ति अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। इस तरह हमें राजनैतिक समीकरण भी बिगड़ जाते हैं। यहां तक कि उस क्षेत्र की पहचान भी धीरे-धीरे बदलने लगती है।

इतिहास गवाह है कि जब तक मुस्लिम 10% से कम जहां भी होते हैं, भाईचारा व समन्वय बना रहता है। जैसे ही यह अनुपात 15 फीसदी से आगे बढ़ता है, वहीं से दिक्कत शुरू होने लगती है और हिंदू-मुस्लिम झगड़े बढ़ने लगते हैं। धार्मिक उत्सवों में बाधाएं आती हैं। कुछ मुस्लिम इलाकों से हिंदू पलायन चालू हो जाता है। यही नहीं, जैसे ही मुस्लिम आबादी 30 फीसदी से अधिक

बढ़ती है,वहां परेशानियां व दंगे बेकाबू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देश के अनेक जिले इस स्तर पर पहुंच चुके हैं। वहां से हिंदू पलायन बढ़ता है और साथ ही इस्लामीकरण या शरिया कानून लागू करने की आवाजें उठने लगती हैं।

दरअसल आज के दौर में पूरा विश्व मुस्लिम समुदाय के जनसंख्या अनुपात असंतुलित होने के खतरे से परेशान है। यूरोप खासकर दक्षिणी भाग, एशिया, कुछ क्षेत्र में इंग्लैंड और अमेरिका का बड़ा हिस्सा भी इससे प्रभावित है। इस्लामी देशों में आपसी संघर्ष भी कम नहीं है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया। चीन ने अपने पश्चिम में इस्लामिक क्षेत्रों में बढ़ रही अशांति से तंग आकर नमाज एवं अन्य इस्लामी रिवाजों पर ही पाबंदी लगा दी है।

किसी भी लोकतंत्र में इन कारणों से जरूरी हो गया है कि जब संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे में हर किसी पर राज्य के सारे नियम एक समान तरीके से लागू होने चाहिए। धर्म, परंपरा या जातिगत सोच आदि एक समान नागरिक संहिता में किसी भी तरह की बाधा उपलब्ध न करें। इसका कानूनी तौर पर सुनिश्चित होना जरूरी है।

कुछ धर्मों एवं वर्गों के लोग अधिकार तो सब वर्गों की तरह प्राप्त करना चाहते हैं परंतु धार्मिक रूढ़ियों और परंपरा की आड़ लेकर जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई नियम-कानूनों का उलंघन करते हैं।

चीन के उदाहरण से स्पष्ट है कि एक मात्र जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर उसे सख्ती के साथ लागू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे अपने देश को शक्तिशाली व सुपर पॉवर बनाया जा सकता है। चीन अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पाता तो शायद ही वह आज की तारीख में इतनी बड़ी ताकत बन पाता। चीन के मुकाबले भारत के जनसंख्या नियंत्रण प्रयास या कहें, परिवार नियोजन

आज के दौर में पूरा विश्व मुस्लिम समुदाय के जनसंख्या अनुपात असंतुलित होने के खतरे से परेशान है। यूरोप खासकर दक्षिणी भाग, एशिया, कुछ क्षेत्र में इंग्लैंड और अमेरिका का बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित है।

की कोशिशें नाकाम रहीं और आज विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जनसंख्या भारत में है। भारत में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या औसत दर से काफी अधिक तेजी से बढ़ रही है। पिछले 30-40 साल के दौरान अनेक राज्य और शहर मुस्लिम बहुल हो गए हैं। नतीजतन ऐसे राज्य, जिले, शहर और गांव खासतौर से परिलक्षित हुए हैं। अगर अभी भी ऐसा होता रहा तो लगभग 2030 तक भारत मुस्लिम बहुल हो जाएगा। इसका दुष्प्रभाव भारतीय संस्कृति और भारत के धर्मों पर कुठाराघात ही होगा। बिना देर किए देश जागे और एक समान नागरिक संहिता लागू हो।

उतर-पूर्व (नॉर्थ-ईस्ट) में असम, सीमावर्ती क्षेत्र पश्चिम बंगाल, तटवर्ती केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में मुस्लिम आबादी हिंदुओं के अनुपात से अधिक तेज गति से बढ़ रही है। मुसलमान समुदाय में बहु-विवाह जारी है और एक दम्पति के 8-10 बच्चे होते हैं। अगर चार बेगम हों तो 30-40 बच्चे हो जाते हैं। इनके सामने एक हिंदू दम्पति के एक या दो बच्चे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह नितांत आवश्यक है कि मुस्लिम वर्ग में बहुविवाह कानूनन बंद हो और हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन और बौद्ध किसी भी परिवार को कानूनन दो से अधिक बच्चे पैदा न करने के लिए कानून प्रोत्साहित किया जाए और वह इस सीमा का उल्लंघन करे तो उनको सरकार और समाज द्वारा मिलने वाली छूट, मदद, सब्सिडी आदि कतई न दी जाए। इस

बारें में कुछ चीन की तरह अनुकरण करना भी जरूरी हो सकता है। सो हर हालत में सभी धर्म के नागरिकों पर एक तरह से लागू होने वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और प्रभावी रुप से सभी भारतीयों पर लागू हो। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।

उधर, इस्लाम एक सैनिक अभियान के रुप से उपजा हुआ संगठन हैं, जिसे गलती से धर्म का नाम दे दिया गया है। धर्म व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। हिंसा, नफरत, जिहाद किसी भी तरह से धार्मिक हो ही नहीं सकता। ऐसा समुदाय जो किसी दूसरे समुदाय से नफरत करे, उसे काफिर समझे और काफिर को मारना अपना कर्तव्य समझे या धर्म समझे, उसको धार्मिक तो कदापि नहीं कह सकते। ऐसे समूह की जनसंख्या का सामान्य औसत से कई गुना बढ़ना किसी एक शहर, जिले, राज्य या देश में अन्य वर्ग के लोगों के लिए आफत पैदा करता है। इसकी वजह से आपसी दंगा-फसाद प्रायोजित होते हैं। इस्लाम का जन्म किसी तापस की तपस्या या कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के रास्ते नहीं हुआ। मात्र सैनिक चक्रव्यूह की तरह कबीलों की आपसी कलह, युद्ध और संघर्ष मिटाकर उन सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास मात्र ही रहा। इसके सारे नियम इसी उदेश्य से रचे गए हैं। मुक्ति, स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं।

लिहाजा सभी धर्म, वर्ग एवं जाति का जनसंख्या संतुलन अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावित न हों, उसके उपाय बेहद आवश्यक है और वह एकमात्र उपाय एक समान नागरिक संहिता ही हो सकती है। राजनैतिक वर्ग अपनी संकुचित सोच और सत्ता के लोभ में समान नागरिक संहिता का विरोध न करें। उनका दायित्व है कि देश की विभिन्न धर्म संस्थाओं, धार्मिक संस्कृति एवं जाति समूह को एक समान बढ़ने का अवसर दें। उसके लिए एक मात्र उपाय एक समान नागरिक संहिता ही है।

इस्लाम एक सैनिक अभियान के रुप से उपजा हुआ संगठन हैं, जिसे गलती से धर्म का नाम दे दिया है। धर्म व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। हिंसा, नफरत या जिहाद किसी भी तरह से धार्मिक हो ही नहीं सकते।

जनसंख्या नियंत्रण एवं आनुपातिक असंतुलन निवारण कानून बने और भारत के सभी नागरिकों पर एक सा लागू हो। पंथ-निरपेक्षता इसमें कहीं भी बाधा उपस्थित नहीं करती है। भविष्य उज्जवल हो, नागरिकों की समान अधिकार मिलें और सभी खुशहाल हों। भारत भी अग्रिम पंक्ति में दूसरे-तीसरे नंबर का सुपरपावर बने। धर्म और आस्था अड़चन न बनें। छोटा परिवार सुखी परिवार का सत्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी सबको एक समान ही प्रतीत होता है। लिहाजा परिवार को छोटा रखने से प्रत्येक मुसलमान भाई भी अधिक खुश, अधिक समर्थ और अधिक शिक्षित ही नहीं होगा, बल्कि पारिवारिक अशांति जो बहुविवाह और अधिक संतानों से उत्पन्न होती है, उससे भी बचेगा। छोटा परिवार तो जन्नत साबित होगा। जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों में मुस्लिम समाज बढ़कर सहभागी बने, उसे अपने और अपने परिवार के लिए आवश्यक समझे। सभी भारतीय इन प्रयासों में स्वेच्छा से जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन करे, स्वागत करें। अपना और देश का भविष्य तभी सुहाना होगा। इसे मुस्लिम स्वयं के लिए हितकारी ही समझे कि उनका परिवार नियोजन से हर तरह लाभ है। इससे उनकी आने वाली औलादों का भविष्य सुनहरा भी होगा और शांति के साथ ही खुशहाली भी आएगी।

मुस्लिम जनसंख्या औसतन ही रहे उसके लिए मुस्लिम लड़कियों और स्त्रियों को सही मायने में आधुनिक शिक्षा और उच्च-शिक्षा प्राथमिकता से प्रदान की जाए। मुस्लिम युवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें, उनकी आमदनी बढ़ें, ताकि उन परिवारों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए। व्यावहारिक तौर पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शिक्षित और धनी वर्ग के लोग ज्यादा बच्चों की भीड़ से परहेज करते हैं और यह कुछ मुस्लिम परिवारों में भी दिखाई देता है। इस तरह के प्रयास सरकार, समाज (खासकर समझदार उदारवादी मुस्लिम वर्ग) द्वारा शुरू हों तो सकरात्मक परिणाम आएंगे। ऐसा मुस्लिम समाज के ही हित में भी होगा। यही उनकी और उनकी अगली नस्लों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। यही प्राकृतिक समझ की पुकार है और वक्त की जरूरत भी।

(लेखक वरिष्ठ समाजसेवी, उद्योगपति और स्तंभकार हैं।)

हजारिका आयोग की रिपोर्ट के बाद देश में इस पर एक तरह की नई बहस छिड़ गई है

आज के इस खतरनाक दौर में कुछ सियासी दलों को बेतहाशा दौड़ती हुई आबादी वोट बैंक ही नजर आती है, यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है। दरअसल संसाधनों की आपाधापी में अगर हम अपने आपको संतुलित नहीं कर सके तो यह हमारी जनसंख्या ही विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी।

कहीं राह का रोड़ा न बन जाए जनसंख्या वृद्धि

संजय राय

यह एक सर्वमान्य सच है कि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान में वहां की आबादी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। वस्तुतः राष्ट्र का निर्माण वहां रहने वाले लोगों के मूल्यों, विचारों, उनकी संस्कृति और सभ्यता के आधार होता है। भारतीय राष्ट्र की अवधारणा भी इन्हीं मूल्यों पर आधारित है, जिससे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कटक से लेकर अटक तक पूरा देश विविधताओं के साथ अपने मूल जीवन मूल्यों के सहारे लगातार आगे बढ़ता रहा है।

हमारे पूर्वजों के हृदय की विशालता और मानव मूल्यों के प्रति असीम श्रद्धा ने इस भूमि को मानव सभ्यता के पालने के रूप में विश्व स्तर पर प्रति प्रदान की है। यही कारण है कि भारत भूमि तमाम मतावलंबियों के लिए हमेशा से उर्वर रही है। अपनी भौगोलिक विशिष्ठता के कारण भारत की भूमि आबादी के फलने-फूलने में

काफी सहायक रही है। आजादी के समय हमारी कुल आबादी मात्र 33 करोड़ थी, जो अब बढ़कर सवा सौ करोड़ से ऊपर हो गई है। इस आबादी ने जहां पूरे विश्व को एक विशाल बाजार के रूप में आकर्षित किया है, वहीं इसकी वजह से कई तरह की समस्याएं भी पैदा हुई हैं। जहां एक तरफ संसाधनों पर बोझ बढ़ा है तो दूसरी ओर बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। बढ़ती आबादी ने भ्रष्टाचार, बेईमानी, घूसखोरी सहित कई अपराधों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इसकी वजह से सरकार की अच्छी नीतियां भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

तमाम प्रयासों के बावजूद देश की आबादी पर काबू पाने में सरकार और समाज के हाथ अभी तक विफलता ही लगी है। इस बढ़ती आबादी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनीसेफ के अनुसार 1 जनवरी, 2019 को भारत में करीब 70 हजार बच्चे पैदा हुए। यह नववर्ष के दिन दुनिया में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या का 18 फीसदी है। बेतहाशा बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ यह इशारा कर रहे हैं कि अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर सके तो यह जल्दी ही राष्ट्र के लिए एक गंभीर समस्या बन जाएगी। अगर हम भारतीयों के भोजन में आवश्यक तत्वों की तुलना विकसित देशों से करें तो स्पष्ट हो जाता है कि इस बढ़ती आबादी के इस दौर में वह दिन दूर नहीं जब भारत की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होने लगेगी।

आंकड़े बताते हैं कि भारतीयों के दैनिक भोजन में प्राणिजन्य प्रोटीन केवल 5.6 ग्राम होता है, जबकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित देशों में यह 60 ग्राम से भी अधिक होता है। भारत में केवल 1620 कैलोरी का औसत दैनिक भोजन होता है, जबकि अमेरिका में यह औसत 3117, इंग्लैंड में 3080, ऑस्ट्रेलिया में 3280 और न्यूजीलैंड में 3380 है। दुनिया के विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति कितने एकड़ भूमि का अनाज आए, इस दृष्टि से भी भारत अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है। इंग्लैंड में 6 व्यक्तियों को 100 एकड़ उत्पादन का लाभ मिलता है, लेकिन भारत में इतनी ही भूमि को 148 लोगों का पेट भरना पड़ता है। जाहिर है, अपर्याप्त भोजन के चलते देश में शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल आबादी भी काफी बड़ी संख्या में मौजूद है।

जानेमाने अर्थशास्त्री माल्थस के मुताबिक, जिस गति से जनसंख्या का प्रवाह बढ़ता है, उसी गति से उत्पादन की वृद्धि संभव नहीं है। लिहाजा समझदार लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि वे अनावश्यक जनसंख्या न बढ़ने दें। फिलहाल अपने देश में भी राष्ट्रीय विकास को हासिल करने में जनसंख्या वृद्धि बड़ी बाधा के रूप में खड़ी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर सरकारी प्रयासों की विफलता ने यह साबित कर दिया है कि अब इस समस्या से निपटने के लिए समाज को आगे आना

होगा। देश में कई संगठनों ने इस दिशा में सार्थक पहल की है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण कई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से डरते हैं। दरअसल बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या उन्हें विकराल समस्या नहीं, बल्कि वोट बैंक नजर आती है।

वर्ष 2011 की जनगणना के बाद देश के कई जिलों में जनसांख्यिकीय संतुलन में गड़बड़ी की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी प्रयासों को समाज के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम का लगातार विरोध झेलना पड़ रहा है। जनसंख्या एक राष्ट्रीय समस्या है, इसे धर्म से जोड़कर इस समस्या के समाधान में आजादी के बाद से ही बाधा पैदा की जाती रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से सटे भारत के सीमावर्ती राज्यों की आबादी के स्वरूप में व्यापक बदलाव हो चुका है। पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से लगातार हो रही घुसपैठ ने सिर्फ सीमावर्ती इलाकों ही नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई, महानगर कोलकाता सहित देश के कई शहरों और कस्बों की जनसंख्या के स्वरूप में चिंताजनक बदलाव को और आगे बढ़ाने का काम किया है। सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि यह खास आबादी भारत को उसके वर्तमान स्वरूप में स्वीकार नहीं करती है। वह अपने नियम-कानून से चल रही है और भारत को सांस्कृतिक-धार्मिक रूप से बदलने का प्रयास करती है। भारतीय मूल्यों, परंपराओं, संस्कृति और सभ्यता से इनका कोई सरोकार नहीं है। भयंकर गरीबी और जहालत का जीवन जी रही यह आबादी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर जनसंख्या बढ़ाने में जुटी हुई है। राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों और नीतियों से इनका सिर्फ इतना ही सरोकार है कि इनका फायदा अपने हित में कैसे लिया जाए। इस तरह की सोच का समूल सफाया किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इससे भारत राष्ट्र की मूल अवधारणा पर खतरा मंडरा रहा है।

वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हिंदुओं की कुल प्रजनन दर 2.13 और मुसलमानों में 2.61 प्रति महिला है। आजादी के बाद भारत में 1951 की जनगणना के अनुसार हिंदू 84.1 प्रतिशत थे और मुसलमानों की आबादी 9.93 फीसदी थी। 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 79.8 प्रतिशत और मुसलमानों की जनसंख्या 14.2 प्रतिशत हो गई। इसके पीछे प्रमुख कारण मुस्लिम समाज में अशिक्षा, गरीबी, अंध विश्वास और कठमुल्लों के प्रभाव में रहने वाले इस समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा राष्ट्रीय हितों से जुड़े सरोकारों की सीधी अनदेखी है।

वर्तमान में भारत आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचने का रास्ता साफ दिखाई देने लगा है। आर्थिक मंदी के इस दौर में पूरे विश्व की नजर आज भारत पर टिकी हुई है। हमारे पास कुल आबादी की 60 फीसदी युवा शक्ति है। यह देश का सौभाग्य है कि गठबंधन राजनीति के दौर से हम बाहर आ चुके हैं और देश की कमान एक ऐसे दूरदर्शी नेता के हाथों में है, जो राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर परंपरागत राजनीति को तोड़ते हुये देश को एक नई दिशा देने के लिए प्रयासरत है। वक्त का तकाजा है कि जनसंख्या वृद्धि जैसी गंभीर राष्ट्रीय समस्या पर सरकार ठोस कदम उठाए। सरकार के उपायों में सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण ही नहीं, बल्कि उसके स्वरूप में आए बदलाव को भी ध्यान देना होगा, जिससे कि भारत राष्ट्र की मूल अवधारणा में आई कमजोरी को पूरी तरह से पुष्ट किया जा सके।

(लेखक एक वरिष्ठ राजनैतिक पत्रकार एवं लेखक हैं।)

बेमिसाल 4 साल रखा सबका ख्याल

सक्षम हरियाणा
शिक्षित युवा-सम्मानित हुआ

सक्षम युवा योजना

100 घण्टे काम
दिलाए मानदेय और मुस्कान

श्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा

₹ 7,500	₹ 9,000
स्नातक व समकक्ष पास	स्नातकोत्तर व समकक्ष पास

मासिक भत्ता एवं मानदेय

अधिक जानकारी के लिए
नज़दीकी रोज़गार कार्यालय से सम्पर्क करें

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा www.prharyana.gov.in

डॉ. विजय सोनकर शास्त्री

सनातन हिंदू धर्म ही पूरे विश्व का सबसे प्राचीन और एकमात्र ऐसा धर्म है, जो सह-अस्तित्व की विचारधारा को लेकर चलता है। परम्परागत सनातन वैदिक हिंदू धर्म वह धर्म है, जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है।

हिंदुओं के लिए घातक

इन दिनों भारत में चल रहे धर्मांतरण के लिए वे लोग भी जिम्मेदार हैं, जो हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर पूरे हिंदू समाज को भ्रमित करने में लिप्त हैं? पढ़कर अजीब-सा लग सकता है, पर यह एक कटु सत्य है कि पूरे भारत में धर्मांतरण का बाजार फैल चुका है। धर्मांतरण का यह बाजार ईसाई मिशनरियों के माध्यम से देश भर में फलफूल रहा है। ईसाई धर्म के कथित प्रचार-प्रसार के लिए चलाये जा रहे इस बाजार का सबसे आसान शिकार जहां गरीब, दलित और पिछड़ी जाति के लोग बन रहे हैं, वही ईसाई शिक्षा माध्यमों के जरिए उच्च जाति के लोगों का भी मानसिक और धार्मिक धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण के इस गोरखधंधे में ईसाई मिशनरियों की सहायता के लिए हिंदू धर्म का छद्म आवरण ओढ़े हुए वे लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, जो ईसाई धर्म तो अपना चुके हैं, पर सामाजिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया है। ऐसे तत्वों को क्रिप्टो-क्रिश्चियन का नाम दिया गया है।

सनातन हिंदू धर्म ही पूरे विश्व का सबसे प्राचीन और एकमात्र ऐसा धर्म है, जो सह अस्तित्व की विचारधारा को लेकर चलता है। परम्परागत सनातन वैदिक हिंदू धर्म, वह धर्म है, जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। वेदों पर आधारित सनातन धर्म अपने अन्दर कई अलग-अलग उपासना पद्धतियां, मत, सम्प्रदाय और दर्शन समेटे हुए है। यही कारण है कि हजारों साल के दौरान भारत में अनेक धर्मों के लोग आये और यहां बसकर फले-फूले। इसी क्रम में ईसाई धर्म को भी देखा जा सकता है। लेकिन भारत में ईसाई धर्म ने धर्मांतरण के जिस गोरखधंधे को शुरू किया, अब वह भारत और हिंदू धर्म के लिए एक बड़े खतरे का

क्रिप्टो-क्रिश्चियन

रूप लेता जा रहा है।

प्रश्न उठता है कि आखिर भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश कैसे हुआ और इसके कथित ठेकेदार धर्मांतरण के धंधे में कैसे सक्रिय हो गया? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। किसी भी ईसाई ग्रन्थ में ईसा मसीह के जीवन के बारे में पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भारत में बताया जाता है कि 13 से 29 वर्ष की उम्र और उसके बाद 33 से 112 वर्ष की उम्र तक ईसा मसीह भारत में रहे थे। इसी तरह यह भी प्रचारित किया जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर से हुई जहां ईसा के बारह प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस ईस्वी सन 52 में पहुंचे थे। ऐसा प्रचारित किया जाता है कि सेंट थॉमस ने तत्कालीन समय में सर्वप्रथम कुछ ब्राह्मणों का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया और फिर आदिवासियों को धर्मान्तरित करने लगे।

यहां पर विचार करने लायक बिंदु यह है कि ईसा मसीह का जन्म जब इजराइल के एक गांव बेथलेहम में हुआ तो वे फिर कश्मीर कैसे पहुंच गए? इसी तरह उनके शिष्य सेंट थॉमस धर्म प्रचार के लिए केरल कैसे और किस तरह आये? इन प्रश्नों का कोई सटीक जवाब किसी भी धर्मग्रन्थ में नहीं मिलता। ऐसे में इन तमाम दावों की सत्यता संदेह के दायरे में आती है और कई प्रश्न पैदा करती है। आधिकारिक रूप से भारत में 1542 में ईसाई प्रचारक सेंट फ्रांसिस जेवियर के गोवा आगमन के साथ भारत में रोमन कैथोलिक धर्म की स्थापना हुई और फिर भारत के गरीब हिंदू और आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को धर्मांतरित करने का काम शुरू हुआ। सेवा की आड़ में गरीब, दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को ईसाई बनाया गया और इस काम में अंग्रेजों की सत्ता ने अपनी भूमिका निभाई। भारत में जब अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ, तब ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ। अंग्रेजों के काल में दक्षिण भारत के अलावा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में ईसाई धर्म के लाखों प्रचारकों ने धर्मांतरण कराकर हिंदू धर्म को चोट पहुंचने का काम किया। वर्तमान में भारत के प्रत्येक राज्य में बड़े पैमाने पर ईसाई धर्मप्रचारक मौजूद है जो मूलतः ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

चंगाई सभा और धन के बल पर भारत में ईसाई धर्म तेजी से फैल रहा है। अरूणालच प्रदेश में वर्ष 1971 में ईसाई समुदाय की संख्या 1 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह नगालैंड में ईसाई जनसंख्या 93 प्रतिशत, मिजोरम में 90 प्रतिशत, मणिपुर में 41 प्रतिशत और मेघालय में 70 प्रतिशत हो गई है। भारत सरकार ने 2015 में छह धर्मों– हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन की जनसंख्या के आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में भारत की कुल आबादी 121.09 करोड़ थी। जनगणना के मुताबिक देश में ईसाइयों की आबादी 2.78 करोड़ है, जो देश की कुल

आबादी का 2.3% है। ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि दर 15.5% रही, जबकि सिखों की 8.4%, बौद्धों की 6.1% और जैनियों की 5.4% है। देश में ईसाई जनसंख्या हिंदू और मुस्लिम के बाद सबसे अधिक है।

अंग्रेजों के काल में कॉन्वेंट स्कूल और चर्च के माध्यम से ईसाई संस्कृति और धर्म का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ और यह सिलसिला स्वतंत्र भारत में भी जारी रहा। आज भी अधिकतर मां-बाप अपने बच्चो को ईसाई शिक्षा केंद्रों माने कान्वेंट स्कूल में शिक्षा दिलाने के लिए उतावले रहते हैं। पर वे यह नहीं जानते कि कान्वेंट स्कूल में बच्चे को शुरू से ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, जो उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धर्मांतरण के इस माध्यम के कारण आज भारत में हिंदू नामधारी क्रिप्टो-क्रिश्चियन अर्थात छुपे हुए ईसाइयों की एक बड़ी संख्या मौजूद है और यह सभी कही न कही भारत और हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं।

क्रिप्टो-क्रिश्चियन ईसाई धर्म की वह छुपी हुई इकाई है, जो जिस देश मे रहते हैं, वहां वह दिखावे के तौर पर तो उस देश के ईश्वर की पूजा करते है, वहां के धर्म को मानतें हैं, पर वास्तव में अंदर से वह ईसाई होते हैं और निरंतर ईसाई धर्म का प्रचार करते रहते है। जिस देश में क्रिप्टो-क्रिश्चियन 1 प्रतिशत से कम होते है, तब वह उस देश के ईश्वर को अपना कर अपना काम करते रहतें हैं और जब अधिक संख्या में हो जातें हैं तो उन्ही देवी-देवताओं का अपमान करने लगतें हैं। वर्तमान में भारत मे भी क्रिप्टो-क्रिश्चियन ने पकड़ बनानी शुरू की तो यहां भी हिंदू देवी-देवताओं, ब्राह्मणों को गाली देने और हिंदू धर्म, संस्कृति एवं परंपराओं को गलत बताने का काम शुरू कर दिया गया। मतलब, जो काम यूरोप माने रोम में 2000 साल पहले हुआ वह भारत मे आज हो रहा है।

भारत मे ऐसे बहुत से क्रिप्टो-क्रिश्चियन हैं जो सेक्युलरवाद, वामपंथ और बौद्ध धर्म का मुखौटा पहन कर हमारे बीच हैं। भारत मे ईसाई आबादी आधिकारिक रूप से 2 करोड़ है और अचंभे की बात नहीं होगी अगर भारत मे 10 करोड़ ईसाई निकलें। बहुत से क्रिप्टो-क्रिश्चियन आरक्षण लेने के लिए हिंदू नाम रखे हुए हैं। इनमें कइयों के नाम राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि भगवानों पर होतें है, जिसमें कोई भी उन्हें सपने में गैर-हिंदू नहीं समझ सकता है। राम को काल्पनिक बताने वाले कांग्रेसी नेता हो या मीडिया में हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचार-प्रसार करने वाले मीडियाकर्मी या फिर वे तथाकथित लेखक जो हिंदू धर्म की अमर्यादित आलोचना करने में सबसे आगे रहते हैं, या फिर शिक्षा संस्थानों में भारत के टुकड़े करने के नारे लगाने वाले, सोशल मीडिया में हिंदू धर्म को गाली देने वाले, हिंदू त्योहारों के खिलाफ एजेंडे चलाने वाले, देवी दुर्गा को वेश्या बोलने वाले हजारों लोग क्रिप्टो-क्रिश्चियन हैं। ऐसे तत्वों के कारण भारत में धर्मांतरण का बाजार रोक की तमाम कोशिशों के बावजूद फल फूल रहा है।

नया एजेंडा : शबरीमला

भारत में क्रिप्टो-क्रिश्चियन के नए एजेंडे के रूप में शबरीमला मंदिर को लेकर पैदा किये गए विवाद को देखा जा सकता है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर है। यह भगवान अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्वभर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह-रहकर यहां एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनियाभर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। शबरीमला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है। वही शबरी जिसने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे और राम ने उसे नवधा-भक्ति का उपदेश दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर में दस वर्ष से लेकर पचास साल की आयु वाली महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने पर रोक है, लेकिन सुनियोजित रूप से गैर हिंदू धर्म वालों की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश करने का आदेश दे दिया, जो कि पूरे राज्य में एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है। इस फैसले के विरोध में लाखों हिंदू अनुयायी सड़कों पर उतर आये। आखिर ऐसा क्या कारण हैं जो गैर हिंदुओं माने ईसाई धर्म के निशाने पर यह मंदिर और यहां की परम्पराएं आ गयी हैं।

केरल के शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के नाम पर चल रहे विवाद के बीच लगातार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है कि ईसाई

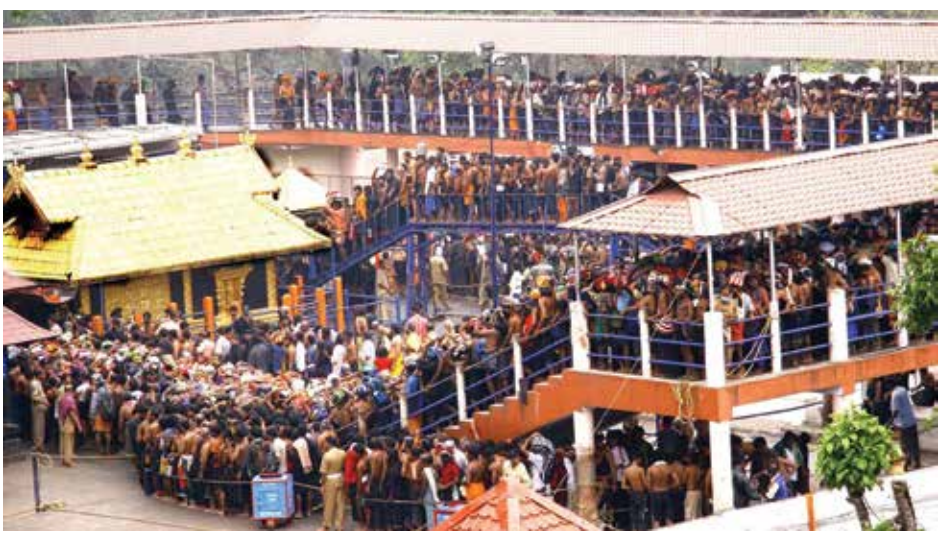

और इस्लाम धर्म को मानने वाले तथाकथित क्रिप्टो-क्रिश्चियन एक्टिविस्ट भी कम से कम एक बार यहां घुसने को बेताब हैं। यह बात समझने के लिए केरल में पिछले कई दशक से चल रही ईसाई धर्मांतरण की कोशिशों को भी समझना होगा। केरल में चल रहे धर्मांतरण अभियानों में शबरीमला मंदिर बहुत बड़ी रुकावट बनकर खड़ा है।

जानकारी के अनुसार 1980 से पहले तक शबरीमला के स्वामी अयप्पा मंदिर के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। केरल और कुछ आसपास के इलाकों में बसने वाले लोग यहां के भक्त थे। 70 और 80 के दशक का यही वो समय था जब केरल में ईसाई मिशनरियों ने सबसे मजबूती के साथ पैर जमाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने सबसे पहला निशाना गरीबों और अनुसूचित जाति के लोगों को बनाया। इस दौरान बड़े पैमाने पर यहां लोगों को ईसाई बनाया गया। इसके बावजूद लोगों की मंदिर में आस्था बनी रही। इसका बड़ा कारण यह था कि मंदिर में पूजा की एक तय विधि थी जिसके तहत दीक्षा आधारित व्रत रखना जरूरी था। शबरीमला उन मंदिरों में से है जहां पूजा पर किसी जाति का विशेषाधिकार नहीं है। किसी भी जाति का हिंदू पूरे विधि-विधान के साथ व्रत का पालन करके मंदिर में प्रवेश पा सकता था। यह यहां भी पूजा में जाति विहीन व्यवस्था का नतीजा है कि इलाके के दलितों और आदिवासियों के बीच मंदिर को लेकर अटूट आस्था है। यह मंदिर एक तरह से जाति-पाति को तोड़कर भगवान के हर साधक को वह उच्च स्थान देने का काम कर रहा था जो कोई दूसरी संवैधानिक व्यवस्था कभी नहीं कर सकती।

शबरीमला मंदिर में समाज के कमजोर तबकों की पहुंच और वहां से हो रहे सामाजिक बदलाव ने ईसाई मिशनरियों के कान खड़े कर दिए। उन्होंने पाया कि जिन लोगों को उन्होंने धर्मांतरित करके ईसाई बना लिया वो भी स्वामी अयप्पा में आस्था रखते हैं और कई ने ईसाई धर्म को त्यागकर वापस शबरीमला मंदिर में 'स्वामी' के तौर पर दीक्षा ले ली। यही कारण है कि यह मंदिर ईसाई मिशनरियों की आंखों में लंबे समय से खटक रहा था। ईसाई संगठनों की साजिशों से शबरीमला मंदिर के आसपास चर्च में भी मकर संक्रांति के दिन फर्जी तौर पर 'चंद्र दर्शन' कार्यक्रम आयोजित कराए जाने लगे। ईसाई धर्म के इस फर्जीवाड़े के बावजूद शबरीमला मंदिर की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। यह याचिका उन गैर हिंदुओं ने डाली, जिनका हिंदू धर्म से कोई सरोकार नहीं है।

वो सभी ईसाई मिशनरियों के करीबी क्रिप्टो-क्रिश्चियन हैं, जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना-देना नहीं हैं। जबकि जिन हिंदू महिलाओं की बराबरी के नाम पर यह अभियान चलाया जा रहा है, वे खुद ही उन्हें रोकने के लिए मंदिर के बाहर दीवार बनकर खड़ी होकर अपनी परंपराओं को बचाने के लिए एकजुट हैं।

यह जानकर हैरत होगी कि 1980 में शबरीमला मंदिर के प्रांगण में ईसाई मिशनरियों ने रातों रात एक क्रॉस गाड़ दिया था और दावा किया कि यह 2000 साल पुराना सेंट थॉमस का क्रॉस है। इसलिए यहां पर एक चर्च बनाया जाना चाहिए। उस वक्त आरएसएस के नेता जे शिशुपालन ने इस क्रॉस को हटाने के लिए आंदोलन छेड़ा था और वे इसमें सफल भी हुए। इस आंदोलन के बदले में राज्य सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया।

केरल के हिंदुओं के लिए यह इतना बड़ा मसला इसलिए है क्योंकि वे समझ रहे हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ में छुपी नीयत क्या है? राज्य में हिंदू धर्म को बचाने का उनके लिए यह आखिरी मौका है। केरल में गैर-हिंदू आबादी तेजी के साथ बढ़ते हुए 35 फीसदी से भी अधिक हो चुकी है। अगर शबरीमला की पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया गया तो ईसाई मिशनरियां यह प्रचार करेंगी कि भगवान अयप्पा में कोई शक्ति नहीं है और वो अब अशुद्ध हो चुके हैं। ऐसे में 'चंद्र दर्शन' कराने वाली उनकी नकली दुकानों में भीड़ बढ़ेगी। नतीजा धर्मांतरण के रूप में सामने आएगा। यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि जिन तथाकथित महिला एक्टिविस्टों ने अब तक मंदिर में प्रवेश की कोशिश की है वो सभी ईसाई मिशनरियों की करीबी और क्रिप्टो-क्रिश्चियन हैं, जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना-देना नहीं हैं। जबकि जिन हिंदू महिलाओं की बराबरी के नाम पर यह अभियान चलाया जा रहा है वे खुद ही उन्हें रोकने के लिए मंदिर के बाहर दीवार बनकर खड़ी होकर अपनी परम्पराओं को बचाने के लिए एकजुट हैं।

केरल की वामपंथी राजनीति

स्वतंत्र भारत में केरल राज्य का गठन 1 नवम्बर, 1956 को हुआ था। राज्य के गठन व निर्माण के समय राष्ट्रपति शासन था। लेकिन पहले ही आम चुनाव में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी कई हिस्सों में बंट गयी जो कि वर्तमान में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के रूप में एकजुट होकर सत्ता में है। केरल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वामपंथी ही सत्ता को संभालते रहे हैं। वामपंथी सत्ता के सूत्र वाक्य 'सत्ता बंदूक की नाल से' के सिद्धांत पर राज्य में वामपंथी शासकों ने भय की राजनीति

करने करने में किसी भी तरह का संकोच नहीं किया। इसी भय की राजनीति के कारण राज्य में विरोधी दलों के नेताओं और कार्यकताओं की हत्या का एक रक्तरंजित इतिहास हैं तो वामपंथी शासन के दौरान राज्य में ईसाई और कट्टर मुस्लिम तत्वों को वामपंथी शासन में फैलने-फूलने का मौका भी मिला।

भारत में एकमात्र केरल ही ऐसा राज्य बताया जाता है, जहां सबसे पहले ईसाई धर्म और बाद में मुस्लिम धर्म पहुंचा। देश के कथित इतिहासकारों के अनुसार भारत में पहला चर्च और पहली मस्जिद केरल में ही बनी एवं राज्य में दोनों ही धर्मों द्वारा शुरू की गई धर्मांतरण की दुकानदारी का शिकार हिंदू आबादी ही बनी। हिंदू आबादी को धर्मान्तरित करने का काम अब तक जारी है। राज्य में हिंदू आबादी के विघटन के बाद यहा जिस मिश्रित संस्कृति का निर्माण हुआ, उसने राज्य में वामपंथी वर्चस्व को बढ़ावा दिया।

दुर्भाग्य यह है कि जिस केरल राज्य में लगभग तीन सौ वर्ष पहले तक 99 प्रतिशत हिंदू रहते थे, वहां अब कुल 3.50 करोड़ आबादी का 54.7 प्रतिशत भाग ही हिंदू हैं जबकि 26.6 फीसदी मुस्लिम और 18.4 प्रतिशत ईसाई हैं। केरल में आबादी के संतुलन को खासकर ईसाई मिशनरियों ने बिगाड़ा। उन्होंने हिन्दुओं का धर्मांतरण कर वहां की आबादी में कट्टरपंथी मुस्लिमों और वामपंथियों को वर्चस्व की भूमिका में ला खड़ा किया। 2011 की धार्मिक जगनणना के आंकड़ों के अनुसार हिन्दुओं की आबादी 16.76 प्रतिशत की दर से तो मुस्लिमों की आबादी 24.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी। पहली बार हिन्दुओं की आबादी वहां 80 प्रतिशत से नीचे आ गई। 2001 में हिंदू 80.5 प्रतिशत थे, जो घटकर 79.8 प्रशित रह गए जबकि मुस्लिमों की आबादी 13.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.2 प्रतिशत हो गई। राज्य की वामपंथी सरकार की नीति के तहत अरब और खाड़ी देशों का दखल

राज्य में वामपंथियों द्वारा अपने कुख्यात 'केरल-मॉडल' का बखूबी प्रयोग किया जाता रहा है जिसमें हिंसा 'राजनीतिक-उपकरण' की तरह प्रयोग हो रही है। 'विरोध-प्रदर्शन' को लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा बताने वाले कॉमरेड, अपनी सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर किसी प्रकार की 'सहिष्णुता' नहीं दिखा पाते।

ज्यादा है। बाहरी दखल के चलते केरल के शांतिप्रिय मुस्लिम भी अब कट्टरता की राह पर चल पड़े हैं।

राज्य में वामपंथियों द्वारा अपने कुख्यात 'केरल-मॉडल' का बखूबी प्रयोग किया जाता रहा है जिसमें हिंसा 'राजनीतिक-उपकरण' की तरह प्रयोग हो रही हैं। विरोध- प्रदर्शन' को लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा बताने वाले कॉमरेड, अपनी सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर किसी प्रकार की 'सहिष्णुता' नहीं दिखा पाते। सवाल यह है कि आखिर क्यूं इस तरह की घटनाओं के बावजूद दिल्ली-केंद्रित बुद्धिजीवी, भाजपा सरकार के खिलाफ अवार्ड वापसी अभियान चलाने वाला गिरोह, हिन्दुओं के आचार-विचार पर उंगली उठाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों को वामपंथी तत्वों के कुचक्र और कुकर्म क्यों नहीं नजर आते हैं? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है।

भारत और हिंदू धर्म विरोधी ऐसे तत्वों को उन तत्वों के द्वारा बड़ी सहायता मिल रही है, जिन्हें क्रिप्टो-क्रिश्चियन की श्रेणी में रखा जा सकता है। हिंदू धर्म के आवरण में छिपे यह क्रिप्टो-क्रिश्चियन भारतीय समाज के हर हिस्से में अपनी पकड़ बना चुके हैं और हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए हर स्तर पर सक्रिय हैं। इसलिए समय आ गया है कि अब ऐसे क्रिप्टो-क्रिश्चियन की पहचान करके भारतीय सनातन हिंदू धर्म को इनके चंगुल से बचाया जाए। इसमें अगर देरी की गयी तो वह समय दूर नहीं होगा जब भारत में हिंदू समाज और हिंदू धर्म को ईसाइ मिशनरियों द्वारा जारी धर्मांतरण की दुकानदारी पूरी तरह लील लेगी, तब पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा।

(लेखक पूर्व सांसद और दलित लेखन के प्रतिष्ठित चेहरा हैं।)

बढ़ती मुस्लिम आबादी के दौर में देश का भविष्य

1947 में भारत में 3.4 करोड़ मुसलमान थे, जो 2018 में बढ़कर 17.2 करोड़ अर्थात 5 गुना से भी अधिक हो गए। यदि मुसलमानों की जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो 2090 तक भारत में इनकी आबादी 90 करोड़ के आसपास होगी। कह सकते हैं कि आज पूरे भारत में इस्लामिक आतंक विभिन्न रूप में विद्यमान है।

संगम लाल

वर्तमान दौर में दुनिया भर में फैले मुसलमानों की आबादी कुल जनसंख्या का 24.1 प्रतिशत है। भारत में 16.2 करोड़ मुसलमान हैं। भारत में 1991 से 2001 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या में 29.52 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या 19.92 प्रतिशत ही बढ़ी। मुसलमानों की जनसंख्या वैसे तो चिंता का विषय न होती, परंतु इस्लाम एक ऐसे मजहब का नाम हैं, जिसमें सहिष्णुता, सह-अस्तित्व और लोकतंत्र की भावना जैसी बात सोचना भी असंभव है।

आज सारा संसार इस्लामिक आतंक से हर रोज लहुलुहान हो रहा है। अविभाजित भारत के जो क्षेत्र आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए हैं, कभी ये पूरी तरह हिंदू आबादी वाले क्षेत्र होते थे। 1946 में विभाजन के समय पाकिस्तान में लगभग 6 करोड़ हिंदू थे, जिसमें से साढ़े चार करोड़ हिंदू और सिख शरणार्थी के रूप में भारत आ गए, जबकि 1.5 करोड़ हिंदू-सिख पाकिस्तान में रह ही गए। इनमें से अब महज 25 लाख हिंदू ही बचे रह गए हैं। कहना प्रासंगिक होगा कि पाकिस्तान में बचे हिंदुओं की जनसंख्या के करीब 85 प्रतिशत लोगों को या तो मार दिया गया अथवा उन्हें जबरन मुसलमान बना लिया गया।

इसी प्रकार पूर्वी बंगाल में भी हिंदुओं की जनसंख्या 20 प्रतिशत से अधिक थी। अब यह संख्या घटकर नाम मात्र की रह गई है, क्योंकि इस्लाम की घोषणा है कि गैर-मुसलमान काफिर हैं और काफिर को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे मार दो। एक जमाने में अफगानिस्तान ही नहीं,बल्कि ईरान भी हिंदू संस्कृति से ओत-प्रोत होता था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब भी हिंदू जनसंख्या घटी, भारत का आकार छोटा हुआ। चीन कभी भारत को अंधा कुआं कहता था और डरता था, परंतु तिब्बत को हड़पने के बाद 1962 के युद्ध में चीन ने कश्मीर का बहुत बड़ा भाग घेर लिया। भारत की ओर से कोई आक्रामक कार्यवाही न होने से चीन की धारणा बलवती हो गई है कि भारत ऐसा देश है, जो अपना भू-भाग खोकर भी शांत बना रहता है। तभी तो चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने कहा कि जहां हमारे पुरखों ने शासन किया था, वहां की एक इंच भूमि भी हम नहीं छोड़ेंगे।

1946 में भारत में 3.4 करोड़ मुसलमान

थे, जो 2018 में बढ़कर 17.2 करोड़ अर्थात 5 गुना से भी अधिक हो गए। यदि मुसलमानों की जनसंख्या इसी गति से बढती रही तो 2090 तक भारत में इनकी आबादी 90 करोड़ के आसपास होगी। कह सकते हैं कि आज पूरे भारत में इस्लामिक आतंक विभिन्न रूप में विद्यमान है। उधर हिंदू जनसंख्या को कम करने के प्रयास मुसलमान और ईसाई दोनों ही समुदाय अपने-अपने स्तर पर कर रहे हैं।

इस तथ्य का स्पष्ट बोध मुझे 1980 में इटावा के एक आर्य समाज के संत ने कराया था। उनके अनुसार, हिंदू समाज एक रस्सी है, जिसे मुसलमान और ईसाई नामक दो चूहे दोनों ओर से काट रहे हैं। 1980 में ही तमिलनाडु के रामनाथपुरम में हिंदुओं को सामूहिक रूप से मुसलमान बनाने की घटना ने सारे देश को चौंका दिया था। उस समय विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में अभियान चलाकर संस्कृति रक्षा निधि एकत्र की थी, जिससे सारे देश में प्रचारक भेजकर हिंदू समाज के धर्मांतरण को रोका जा सके। फिर भी कहा नहीं जा सकता कि हिंदुओं का ईसाई या मुस्लिम होना बंद हो गया है। आए दिन समाचार पत्रों में हिंदुओं के मुसलमान या ईसाई होने के समाचार आते रहते हैं। कभी-कभी तो पूरे गांव के धर्मांतरण की खबर मीडिया में आती है।

देश में अकबरूद्दीन ओवैशी जैसे नेता भी हैं, जो कहते हैं कि अगर सेना और पुलिस हस्तक्षेप न करे तो 15 मिनट की छूट मिलने पर हम हिंदुओं को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बना देंगे। ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण का कुचक्र कभी बंद नहीं होता तो देश में लगातार हिंदू ही मुसलमान बनता जा रहा है। इस तरह ईसाई और मुसलमान मिलकर हिंदू समाज को निगल रहे हैं। मुसलमान युवक नकली हिंदू बनकर हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाते हैं, उनसे विवाह कर के उनका धर्मांतरण कराकर मुसलमान बना देते हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं और फिर तलाक देकर बेसहारा छोड़ देते हैं। मुसलमान युवक सेना में कभी-कभी स्वयं भी आतंकवादी बन जाते हैं। इस तरह देश में हिंदुओं की जनसंख्या निरन्तर घट रही है और ईसाई, मुसलमान बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं।

अपने देश में हिंदुओं की जनसंख्या के अल्पसंख्यक होने का दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना पड़े, उसके पहले ही हिंदुओं को सचेत होकर अपने समाज की रक्षा के लिए प्रयत्न करने होंगे। इस काम में सरकार दूरदर्शिता भी अपेक्षित है। लिहाजा सरकार ऐसे कानून बनाए, जिसमें प्रावधान हो कि जिन जोड़ो के दो से अधिक बच्चे हों, उन्हें सरकारी सेवाओं और सहायता-सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। कोई भी मुसलमान अगर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों, धर्मांतरण, लव-जेहाद या आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाएगा तो उसको वैधानिक दंड और उसके परिवार को देश से निष्कासित कर दिया जायेगा। आतंकवादियों और मुस्लिम घुसपैठियों या देश में अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त मुसलमानों को अपने घर में शरण और संरक्षण देने वालों की नागरिकता समाप्त कर उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाएगी।

अपने देश की युवा पीढ़ी का धर्मांतरण रोकने के लिए अत्यन्त प्रतिभावान युवकों-युवतियों को ईसाई या मुसलमान होने से रोकना होगा। 2016-17 में भारतीय प्रशासनिक सेना परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली टीना डाबी ने मुस्लिम युवक से विवाह किया और हाल ही में फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी युवक निक जोनास से विवाह किया। इस प्रकार के विवाह उच्च-परिवार की युवतियों को ईसाई और मुसलमान युवकों के प्रति आकर्षित होने की मानसिकता विकसित करने में सहायक होते हैं। लिहाजा हमारे देश में कुलीन हिंदुओं के ईसाई या मुसलमान बनने में तेजी आती है और कुलीन हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घटती है।

ऐसे हालात में सरकार एक ऐसा कानून बनाए, जो राष्ट्रीयता की भावना वाले

जनसमूह अर्थात हिंदुओं की जनसंख्या को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने वाले सभी कारणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। सर्वोच्च न्यायालय का वह कानून भी अत्यंत आपत्तिजनक है, जो वयस्कों को मनमानी करने की छूट देता है। दूसरे शब्दों में कहें, उन्हें मनचाहे व्यक्ति से वैवाहिक संबंध और मनचाही धार्मिक आस्था को अंगीकार करने की छूट देता है। यह छूट भविष्य में देश की हिंदु जनसंख्या को न केवल घटाएगी, अपितु हिंदू धर्म, संस्कृति और भारतीय अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा करेगी। लिहाजा हिंदू परिवार में पाले गए युवक-युवतियों के हिंदू परविार में ही वैवाहिक संबंध स्थापित करने की वैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इन दिनों कुछ ऐसे कानून बना रहा है, जो भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक नियमों के विरूद्ध है और मानव समाज में असहाय, भ्रष्टता और विकृति को स्थापित करने का वैधानिक प्रयास है। जैसे समलैंगिक संबंधों को मान्यता प्रदान करना इसमें से एक है।

मुस्लिम परिवारों में तो यह चरित्रहीनता पराकाष्ठा की सीमा भी लांघ जाती है। स्त्री पर कोई भी अत्याचार करने की छूट शरिया कानून में ढूंढ़ ली जाती है। इस तरह इस्लाम एक राक्षसी व्यवस्था को प्रेरित करने वाली उपभोगवादी अनैतिक विचारधारा है।

इस्लाम और ईसाइयत का उद्देश्य

इस्लाम और ईसाईयत दोनों का उद्देश्य ही पूरे विश्व पर अधिकार करने के लिए अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों को नष्ट करना है। ये लोग किसी तरह का उच्च विचार या आध्यात्मिक सिद्धि नहीं देना चाहते। ये तो इनसान को महज लैंगिक सुख पाने हेतु चरित्रहीनता के खुले पक्षधर हैं। मुस्लिम परिवारों में तो यह चरित्रहीनता पराकाष्ठा की सीमा भी लांघ जाती है। स्त्री पर कोई भी अत्याचार करने की छूट शरिया कानून में ढूंढ़ ली जाती है। इस तरह इस्लाम एक राक्षसी व्यवस्था को प्रेरित करने वाली उपभोगवादी अनैतिक विचारधारा है।

बीती कुछ सदियों के भीतर ही संसार की कई सभ्यताओं को इस्लाम और ईसाईयत निगल गईं। केवल भारतवर्ष ही एक देश बचा है, जो अपने उच्च-ज्ञान और आध्यात्मिक संरक्षण के कारण बचा रहा। यहां मानवता की ही नहीं, अपितु जीव मात्र की रक्षा के बारे में चिंता करना प्रत्येक हिंदू अपना नैतिक दायित्व मानता है। इसलिए भारतीयों को इस दिशा में गंभीरता के साथ सोचना प्रारम्भ करना होगा कि वे अपना देश और धर्म बचाना चाहते हैं कि नहीं। यदि देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है तो समस्त हिंदू समाज को एकजुट होकर अमीर, गरीब, ऊंच-नीच, अवर्ण-सवर्ण सारे भेदों को मिटाकर एक शक्तिशाली समाज के रूप में एकजुट बनकर खड़ा होना होगा, ताकि हम अपने समाज को प्रगतिशील दुनिया के साथ आगे गढ़ाने में कामयाब हो सके।

तय हों लोकतंत्र की सीमाएं

अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईसाइयों और मुसलमानों को आज जिस तरह की छूट दी गई है, उसका दुरुपयोग कर वे हमारे समाज को क्षति पहुंचाते हैं, अपमानित करते हैं और राष्ट्रघाती तंत्र स्थापित करते हैं। लिहाजा सरकार ऐसा कानून जरूर बनाए कि ईसाई और मुसलमान अपनी-अपनी आस्थानुसार जीवन बिताएं, परंतु उन्हें हिंदुओं की आस्था पर आक्रमण करने का अधिकार न हो। आशय यह है कि ईसाईयों और मुसलमानों को धर्मांतरण की छूट न हो। धर्मांतरण कराने वाले और करने वाले दोनों को कठोर दंड की वैधानिक व्यवस्था

सुनिश्चित हो।

अपराध और आतंक के माध्यम से मुसलमान और ईसाई धनोपार्जन कर धर्मांतरण में लगे लोगों की सहायता करते हैं ओर धर्मांतरित हुए लोगो को भी संरक्षण देते हैं। वे उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजते हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सहायक बनाने हेतु प्रशिक्षण भी देते रहते हैं। इसलिए आतंकवादियों और अपराधियों की इस विष बेल को जड़ से उखाड़कर जलाने का हठ ठानना होगा। किसी भी अपराधी और आतंकी को बचाने के लिए राजनीतिक पदों का दुरुपयोग न होने पाए, इस बात की व्यवस्था करनी होगी।

मुसलमानों और ईसाइयों को सेना, प्रशासन और शासन में महत्वपूर्ण पदों से दूर रखा जाए। इनको शस्त्रास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थों के व्यापार और निर्माण दोनों की अनुमति न दी जाए, क्योंकि यह अपराधियों और आतंकवादियों की सहायता करने में जरा भी संकोच नहीं करते। जिन राज्यों में मुस्लिम या ईसाई जनसंख्या बहुमत में हो गई हो वहां का पूरा शासन और प्रशासन देश भक्त और हिंदू मानसिकता का होना चाहिए। इससे हिंदुओं का धर्मांतरण रोकने में सुविधा होगी तथा हिंदुओं को सम्मानजनक जीवन जीने की सुविधा उपलब्ध कराने की चिंता की जा सकेगी। धर्मांतरण कराने वाले लोगों को नियंत्रित और दण्डित करने में सुविधा होगी। सरकार मुस्लिम और ईसाई लड़कियों को हिंदू युवकों से विवाह करने हेतु प्रोत्साहन की व्यवस्था कर सकती है, उसके लिए विवाह करने वाले जोड़े को योग्यतानुसार सरकारी सेना या किसी सरकारी योजना से आर्थिक लाभ दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है।

मुस्लिम जनसंख्या भविष्य में समस्या न खड़ी कर सके, लिहाजा इस दृष्टि से शिक्षित मुसलमानों को इस्लामिक देशों में सेवार्थ भेजकर उनको वहां नागरिक बनवाने की कोई युक्ति सोची जानी चाहिए। इस तरह शिक्षित मुसलमान विश्व में अपनी पहचान बनाकर अन्य भारतीय मुसलमानों को आकर्षित कर सकते हैं। मुसलमानों के कब्जे में वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत बहुत अधिक भूसम्पत्ति कब्रिस्तान, दरगाहें या मजारें के रूप में पड़ी हुई है। वास्तव में भूसम्पत्ति कब्जा करने के लिए मुसलमान कहीं भी दरगाह या मजार बनाने की रणनीति अपनाते हैं।

इस मकसद से ये लोग किसी भी बीमार या पागल व्यक्ति को इच्छित स्थान पर योजनापूर्वक छोड़ देते हैं और उसके मरने के बाद वहीं पर उसकी समाधि बनाने की जिद करते हैं। इस तरह ये किसी की व्यक्तिगत या सार्वजनिक भूमि पर अवैध अधिकार जमाते हैं, फिर मुकदमा लड़ते हैं और मुकदमा वक्फ बोर्ड लड़ता है तो सरकार और प्रषासन वक्फ बोर्ड के पक्ष में निर्णय करने में देर नहीं लगाते। इसलिए वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की सूक्ष्म जांच पड़ताल करके उसे देशहित में अधिग्रहण करने हेतु कानून बनाना चाहिए। दरअसल सड़क या चौराहों, बाजार के बीच, पुल के नीचे मजार बनाने के पीछे इनका असली उद्देश्य हिंदू समाज का आर्थिक शोषण करना ही होता है।

इसके साथ ही झाड़फूंक के बहाने फकीर बाबा लोग हिंदू समाज का इस्लामीकरण करने की कोशिश करते हैं। बाद में मजार धीरे-धीरे मस्जिद का रूप ले लेती है। आम तौर पर देखने को मिलता है कि चोरी-छिपे मस्जिदें मुस्लिम अपराधियों को शरण देने के साथ संरक्षक भी बनी रहती हैं। लिहाजा नई मजार, दरगाह या मस्जिद बनाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

यही नहीं, अगर हिंदू समाज मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करे तो मुसलमानों की आर्थिक समृद्धि को रोका जा सकता है। इसके लिए मुसलमानों से किसी प्रकार की सेवा न तो लेनी है और न ही इनकी किसी प्रकार की सेवा करनी है। इनकी सम्पत्ति खरीद ली जाए, परंतु इनके हाथ अपनी सम्पत्ति कदापि बेची न जाए। घर में कोई भी मुसलमान नौकर कदापि न रखा जाए। इस्लामिक देशों में भारतीय मुसलमानों को मरणोपरांत दफनाने हेतु कब्रिस्तान के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। भारत में मुसलमानों को भारतीय परंपरा का पालन अर्थात शवदाह करने के लिए वैधानिक बाध्यता उत्पन्न की जाए, क्योंकि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को हर तरह की सुविधाएं देने हेतु भूमि की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ रही है। देश एक बार हिंदू मुसलमान के प्रश्न पर बंट चुका है और इसकी पुनरावृत्ति न हो।

(लेखक संघ प्रचार व दीनदयाल उपाध्याय शोध पुस्तकालय में कार्यरत हैं।)

कहने की आवश्यकता नहीं कि तीन प्रक्रिया के माध्यम से जनसंख्या का तंत्र बदल सकता है: प्रजनन दर, मृत्युदर और प्रवासी रुझान। इस बात को समझने के लिए हमें वर्तमान धार्मिक आकार का आकलन करते समय इसके वैश्विक स्वरूप को समझना होगा।

जनसंख्या असंतुलन से बाहर निकलने की दिशा

भारत की जनसांख्यिकी

भारत में जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या :- 1,326,801,576 (2016 अनु.)

घनत्व:-382 लोग प्रति वर्ग किमी (2011 अनु.)

वृद्धि दर :- 1.19% (2016 अनु.)

जन्म दर:- 19.3 जन्म/1,000 (2016 अनु.)

मृत्यु दर :-7.3 निधन/1,000 (2016 अनु.)

शिशु मृत्यु दर :- 40 निधन/1,000

प्रजनन दर :- 2.3 बच्चे पैदा/नारी (2013 अनु.)

जीवन प्रत्याशा 68.89 वर्ष (2009 अनु.)
नर:- 67.46 वर्ष
मादा :- 72.61 वर्ष

जीवित जन्म (2013 अनु.)
0–14 वर्ष :- 31.1%
(नर 190,075,426/ नारी 172,799,553)
15–64 वर्ष :- 63.6%
(नर 381,446,079/ नारी 359,802,209)
65 और ऊपर :- 5.3%
(नर 29,364,920/ नारी 32,591,030)

नर/नारी अनुपात (2013 अनु.)
जन्म पर :- 1.10 नर/नारी
15 के नीचे :- 1.10 नर (s)/ नारी
15-64 वर्ष :- 1.06 नर/ नारी
65 और ऊपर :- 0.90 नर/ नारी

कैलाश चंद्र

जनसंख्या के वर्तमान धार्मिक आकार का आकलन करते समय हमें इसके वैश्विक स्वरूप को समझना होगा। इस संदर्भ में भारतीय और उसके भीतर भी राज्य के साथ मत-पंथ का आशय समझना चाहिए, जिससे इसके यथार्थ रूप से हम अवगत हो सकें। इससे हमारे जनसंख्या असंतुलन की समस्या का वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा, ताकि उसका निदान ढूंढ़ निकालना संभव हो सके।

अमेरिका के जनगणना ब्यूरो के मुताबिक, 24 नवम्बर, 2018 के दिन विश्व की जनसंख्या अनुमानित तौर पर 7.492अरब रही। जनगणना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पत्रों में कहा गया कि विश्व की जनसंख्या 24 फरवरी 2006 को 6.5 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई थी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने 12 अक्टूबर 1999 को सबसे करीबी दिन के तौर पर नामित किया है, जिस

जनसंख्या अनुमान

विश्व के सबसे जनाकुल राष्ट्र के रूप में भारत अब चीन को 2030 तक लांघ जाएगा। भारत की जनसंख्या वृद्धि ने इन चिंताओं को जन्म दिया है कि इससे व्यापक स्तर पर बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता फैलेगी। अनुमान है कि भविष्य की प्रजनन और मृत्यु दरों के बारे में हम जो कल्पना करते हैं, वह सही नहीं भी हो सकती है। इसी तरह प्रजनन दर भी क्षेत्रानुसार भिन्न-भिन्न हैं; कुछ राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं तो कुछ नीचे।

स्रोतः

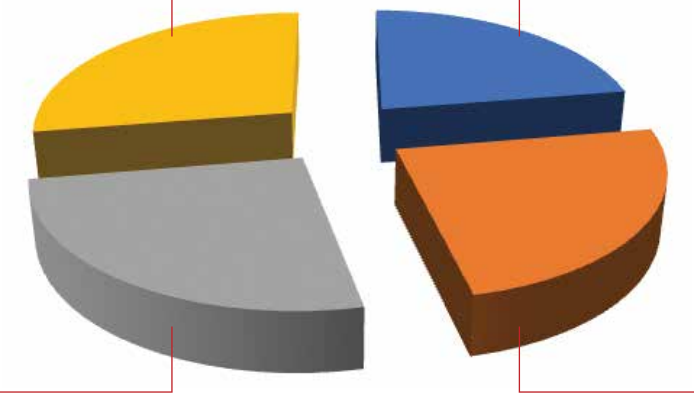

दिन धरती की कुल आबादी 6 अरब थी।

17वीं शताब्दी के बाद जैसे-जैसे औद्योगिक क्रांति तेज गति से बढ़ती गई, उसी अनुपात में जनसंख्या में बढ़त देखने को मिली। पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि की दर भी ज्यादा तेज हुई तो इसकी मुख्य वजह रही चिकित्सा जगत में हुई तरक़्की और कृषि उत्पादकता की बढ़त। वह भी खास तौर पर वर्ष 1960 से 1995 के बीच हरित क्रांति के चलते हुई प्रगति को माना जाता है।

माल्थस की भविष्यवाणी के विपरीत और नैतिक संयम पर उनके विचारों के अनुरूप ज्यादातर विकसित देशों में प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि शून्य के करीब तक पहुंच गई और वह भी बिना किसी अकाल की मार या संसाधनों के अभाव में। वजह थी, विकसित देशों के लोगों में कम बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति का होना।

भारत की जनगणना 2011, जनगणना आयुक्त सी. चंद्रमौलि द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, जो 1 मई 2010 को आरम्भ हुई थी। भारत में जनगणना 1872 से की जाती रही है। यह पहला मौका है, जब बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई और जनगणना को दो चरणों में पूरा किया गया। अंतिम जारी प्रतिवेदन के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2001-2011 दशक के दौरान 1,07,0000000 से बढ़कर 1,21,08,54,977 हो गई और भारत ने जनसंख्या के मामले में अपने दूसरे स्थान को बनाए रखा है। इस दौरान देश की साक्षरता दर भी 64.83 फीसदी से बढ़कर 74.04 फीसदी हो गई है।

हाल की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम आबादी 17 करोड़ से अधिक दर्ज किए जाने के मद्देनजर जनगणना के आंकड़े जनसंख्या वृद्धि में अंसतुलन दिखाते हैं। पिछले दिनों जारी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम समुदाय की आबादी 2001 से 2011 के बीच 10 साल में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 17.22 करोड़ पहुंच गई, वहीं हिंदुओं की जनसंख्या (भारतीय मूल के मत) इस अवधि में 0.7 प्रतिशत कमी के साथ 96.63 करोड़ रह गई। पिछली दो जनगणना रिपोर्टों के आंकड़ों पर आधारित तथ्यों और सामने आए असंतुलन पर व्यापक मंथन हो रहा है।

उपमन्यु हजारिका आयोग ने इस रिपोर्ट पर भी देशव्यापी बहस की जरूरत बताई है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से अवैध पलायन के चलते 2047 तक असम में स्थानीय आबादी के अल्पसंख्यक बनने का खतरा है। हजारिका आयोग की रिपोर्ट ने असम और पश्चिम बंगाल में बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। अगर यही प्रवृत्ति

जारी रही तो इस क्षेत्र में भारतीय मूल की जनसंख्या कम हो जाएगी और विदेशी मूल के मतावलंबी बढ़ जाएंगे।

भारत की आबादी में वृद्धि शिखर तक पहुंचेगी और उसके बाद आर्थिक कारणों, स्वास्थ्य चिंताओं, भूमि के अंधाधुंध प्रयोग, उसकी कमी और पर्यावरणीय संकटों के कारण नकारात्मक तरीकों से अव्यवस्थित होकर आबादी कम होने लगेगी। स्वाभाविक है, यह स्थिति देश के विकास मार्ग को अवरुद्ध कर गलत दिशा में ले जाएगी।

नियंत्रण के उपाय

सुप्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने वर्ष 1798 में 'एन एसे ऑफ द प्रिसिंपल ऑफ पापुलेशन' में जनसंख्या का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। इस लेख में बताया गया है कि प्रकृति बढ़ती जनसंख्या को अपने संसाधनों के अनुरूप नियंत्रित करती रहती है। जनसंख्या बढ़ोतरी ज्यामितीय तरीके से बढ़ती है, जैसे– 1, 2, 4, 16, 32, 64 .. .. .. , जबकि खाद्य व अन्य प्राक्रतिक साधन अंकगणितीय तरीके से जैसे- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.. .. ..। इस समीकरण से जनसंख्या, प्राक्रतिक साधन और उसकी मांग का अंतर बिगड़ जाता है

भारत की आबादी में वृद्धि शिखर तक पहुंचेगी और उसके बाद आर्थिक कारणों, स्वास्थ्य चिंताओं, भूमि के अंधाधुंध प्रयोग व उसकी कमी और पर्यावरणीय संकटों के कारण नकारात्मक तरीकों से अव्यवस्थित होकर आबादी कम होने लगेगी। स्वाभाविक है, यह स्थिति देश के विकास मार्ग को अवरुद्ध कर उलटी दिशा में ले जाएगी।

और प्रकृति को उसमें संतुलन स्थापित करना पड़ता है। कुछ उपायों में जनसंख्या रोक पर कुदरती तरीके से रोक लगाती है। भूख, महामारी, अकाल, बीमारी, प्राकृतिक आपदा या युद्ध जैसी विभीषिका उन्हीं तरीकों में शामिल है। दरअसल यह प्रकृति का जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों में संतुलन बनाने का अपना तरीका है। तुलसीदास के रामचरित मानस में 'ऐहिक देविक भौतिक तापा' का उल्लेख आया है, जो इस संदर्भ में अहम है।

अतीत में पड़े अकाल, महामारी, युद्ध और प्राकृतिक-आपदा जिसमें सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि इसके उदाहरण है। अभी हाल के वर्षों में उतराखंड का जलप्रलय बड़ा उदाहरण है, जिसमें हजारों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे। केदारनाथ में जनसंख्या विस्फोट यानी प्राक्रतिक संसाधनों व जनसंख्या की बीच असंतुलन का ही परिणाम है। देश-विदेश में रोजाना आतंक की अनगिनत घटनाएं घट रही है, जिसमें सैकड़ों लोग असमय मौत का शिकार हो रहें हैं। वास्तव में यह सभी जनसंख्या विष्फोट के नतीजे हैं।

इस बड़ी समस्या का समाधान एक ही है- जनसंख्या विस्फोट से बचा जाए, ताकि प्रकृति व जनसंख्या के बीच असंतुलन न पैदा हो और समय रहते पृथ्वी जैसे रहने लायक किसी अन्य ग्रह की खोज की जाए। जनसंख्या के एक स्थान पर केंद्रीयकरण की जगह विकेंद्रीयकरण ही इसका एक मात्र हल है। इससे प्रक्रति के संतुलन का यह समीकरण बरकरार रहेगा अन्यथा संकुचित होते प्राकृतिक संसाधनों के कारण प्रक्रति को थॉमस माल्थस की जनसंख्या के सिद्धांत पर अमल करने को मजबूर होना पड़ेगा। जब तक प्रक्रति जनसंख्या व अपने साधनों में संतुलन नहीं कर लेती, उस सीमा तक हमें असमय और क्रूर मौत का शिकार होना पड़ेगा।

(लेखक संघ प्रचारक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-केंद्रीय अभिलेखागार के सह-प्रमुख हैं।)

Jay Bhattacharjee

Demographic invasion of India poses a severe THREAT OF ISLAMIC TERROR

Along with many other severe problems, our country is also confronting a major existential threat. This is the danger that is posed by demographic invasion from Islamic people.

The specific example is the continuous flow of illegal Muslim migrants from Bangladesh, recently aggravated by Rohingyas (Bengali-speaking Muslims who lived earlier in the Rakhine region of Burma). The previous Congress regime chose to overlook the Bangladeshi immigration problem for many decades. In West Bengal, the CPI(M) government also chose to turn a blind eye to this issue when it was in power till 2011. Thereafter, the TMC, under Mamata Banerjee's leadership, has been equally complicit in this matter.

In fact, West Bengal is currently reeling under the assault of aggressive Islamic fundamentalism that is also tacitly encouraged by the State Government. This commentator believes that it is high time that the Union Government takes an active stance on this matter. The Centre must now proclaim that there is indeed a severe threat to our country from Islamic forces, fuelled and financed by Pakistan

and several Islamic countries in West Asia, including Saudi Arabia and Iran. Let us be clear and frank about this – the land of the Ibn Sauds and the land of Khomeini march in tandem to the call of Islam.

Readers in North India have been exposed to the Kashmir inferno for some time and are now well aware of what is happening in that part of the country. However, West Bengal is another cup of tea. Most Indians would barely be conversant about the developments in the state in recent decades. The general overview the country has of West Bengal (WB) is its relentless (and apparently irreversible) economic decline and the permanent chaos that marks life in that part of the world. Sporadically, Indians outside WB take note of the latent cultural and literary talent of the Bengalis. However, here too, it is largely the probashi (expatriate) Bengalis who hit the headlines with positive news. West Bengal, itself, generally brings bad news.

Both West Bengal and Assam face the same security problems that are created by illegal Bangladeshi immigration. While the political change in Assam in the last few years has brought some relief to that state, through the National Citizen Register initiative, West Bengal has seen no similar efforts. In the final analysis, the entire country will face a major security threat, if the situation carries on as it is.

The Indian mainstream media, or MSM, particularly the English-language one, is conspicuously silent about the periodic outbursts of communal violence in WB. And, again, making a departure from "socially correct" terminology, it must be put on record that the violence is almost always directed primarily at Hindus, who are at the receiving end of the lathis and swords and worse. Certain areas are notorious trouble-spots – these include Malda, Murshidabad, Dinajpur and North 24 Parganas, to mention the prominent ones.

All these are Muslim-majority districts, with Malda having more than 52 per cent Muslims as per the official Census data of 2011. It is an open secret among the military and paramilitary forces that the ground reality may be different. Younger officers make no bones about sharing their experience on this issue, including the most uncomfortable scenarios. This pertains to the situation in certain parts of WB that have become virtual no-go areas for the local law-and-order forces.

In any case, the police in WB have been soft, for many decades, on illegal immigration from Bangladesh and rampant crime in the border areas. The strategy of Mamata Banerjee is very simple, though it may be toxic

for the nation's security – if the TMC can routinely garner the bloc votes of the Muslims, she can win a disproportionately large number of seats in the constituencies that have multiple candidates trying to tap the residual non-TMC voter base. Here, too, she counts on the former lumpen CPM cadre who have switched their loyalties to Mamata's party.

Of course, the TMC candidates need not all be Muslims – all they have to do is to keep the Imams and the Muslim seniors in their support base happy. In contrast, the Hindu electorate has no effective leadership or programme. The residual influence of the CPM's now-discredited ideology ensures that the West Bengal Hindu is still hesitant to combat Islamic theological politics in a determined manner.

At this stage, I would like to tell readers about the use of demography as a political weapon. It is necessary to explain to them how Yugoslavia was destroyed only two decades ago. I have studied this subject would like the readers of this essay to know more about it. This is the process of disintegrating a country through population changes, or demography.

The paradigm works out as follows: the first step is to ensure a major change in the demographic composition of a province or part of a federal country. This is effected through immigration (mostly illegal) of a particular group (religious, ethnic or linguistic) from a neighbouring country or through significantly higher birth rates domestically.

The next stage is to cause law and order/public security problems in the relevant areas for the federal/central authorities and administration of the country.

This is followed by the terrorisation or even subjugation of the erstwhile majority (now reduced to a minority). Thereafter, the victims are compelled to leave their original homelands, as was done in Kashmir in 1990 and as may be attempted in WB in the next few years, if the TMC continues in power. The objective is to give rise to civil-war conditions or tensions in the province/region.

Now comes the very sensitive part of the exercise. This involves the internationalisation of the conflict and the involvement of other regional and global powers. Historical rivalries are also leveraged to invite physical foreign intervention.

In the case of Kosovo, in the final act, the international Islamic lobby was utilised to finance insurrection and procure arms to combat the federal/central forces, as well as to also canvas the secessionist "cause" in international organisations and platforms.

Our babus and netas on Raisina Hill are not particularly well-versed in history. Otherwise, they would have observed that the above process was also followed, more or less exactly, by Nazi Germany when it destroyed Czechoslovakia in 1938, through the terrorist violence of the minority Sudeten Germans in the western region of that model democratic country. A minority that works from inside to destroy a federal country can also be a linguistic/cultural one and not necessarily a religious one.

In the case of Germany, the people of that country seemed

to have learned their lesson after their catastrophic defeat in the Second World War. On the contrary, international political Islam has learnt nothing from the losses it has had in the last twelve-odd centuries. If anything, the defeats and debacles, whether in Seville or in Poitiers or Vienna, are looked up to for inspiration. Just search for the Islamic laments on the fall of Seville and Cordoba and you will get an idea about what drives Islamic revanchism.

In this convoluted intellectual war that political Islam is waging, Bharat or Hind, to be more precise, occupies a very special place. The Lutyens-zone secularists can cry themselves hoarse from the roof-tops that this is all a conspiracy of "right-wing Hindu nationalists", but Ghazwa-e-Hind is not a fantasy conjured up by some "bhakts" in various parts of the country. There is sufficient evidence that the Pakistani armed forces teach this doctrine in some form or the other in their courses.

There is also credible feedback that some Islamic places of worship in India have also started mentioning this concept during their prayer meetings. Tarek Fatah wrote recently on this and this created an uproar in the desi secularist circles, but the powers that be in Delhi would be most unwise if they dismiss Fatah's well-meant warning to India.

(Photo: Location Of Kosovo In The Balkan Region Of Europe)

Returning to the latest developments in WB, what should be the response of the union government? The Bengal Governor's perfectly justified decision to ask the state administration to explain the riots and violence in a strategically located area and to take adequate measures to protect all citizens seems to have touched a raw nerve in the Chief Minister. She has stooped to new lows in her reaction and this probably shows that she is on weak ground this time.

Admittedly, WB is not yet ripe for President's Rule, since there is no overall breakdown of law and order throughout the state. However, this writer is in favour of invoking the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) in WB after declaring certain districts as "disturbed areas". The centre has full powers since 1972 to declare certain areas as "disturbed" and there is a clear need to categorise at least four or five districts of WB as "disturbed". Raisina Hill must summon the necessary resolve to take this step; just the invocation of the Act and the categorisation of certain areas as "disturbed" will suffice at this stage. WB is not as terminally sick as the Kashmir Valley and this writer's surmise is that necessary corrective measures, as advocated here, will work now. If Delhi hums and haws, Bengal will need much more stringent and drastic action in the years to come.

(The author is a Delhi-based adviser on financial & corporate affairs and is a commentator on public affairs in the National Press.)

बांग्लादेशी घुसपैठ

एकमात्र समाधान है अपडेटेड एनआरसी

बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की समस्या का हल अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उभरकर सामने आया है, मगर कट्टरपंथियों के साथ ही अपने वोट बैंक का समीकरण बनाने वाले सियासी दल भी देश विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वक्त आ गया है कि सरकार बिना हिचकिचाए कड़ा रुख अपनाने को तैयार हो।

नीरज श्रीवास्तव

बांग्लादेशी घुसपैठ के समाधान पर जब भी बात होती है तो केवल यहीं पर आकर रुक जाती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान आखिर किस तरह की जाए। दरअसल इन घुसपैठियों ने वे सारे दस्तावेज अपने पास जुगाड़ कर रखे हैं, जिनसे किसी की भारतीय नागरिकता प्रमाणित होती है, मसलन- राशन-कॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र, पैन कॉर्ड या पासपोर्ट। यह संकट तब कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जब सामने वाला देखने-सुनने में भारतीयों जैसे ही दिखता हो। यही नहीं, उनकी भाषा भी बांग्ला है, उस भारतीय क्षेत्र में बोली जाने वाली आम भाषा। जिस किसी को बांग्ला आती है, वह आसानी से असमिया या उड़िया भाषाएं भी थोड़े ही प्रयास से सीख जाता है। यह तीनों भाषाएँ एक ही भाषा परिवार की हैं और उनमें बहुत समानता है। फिर भारतीय क्षेत्र में रहते-रहते हिंदी भाषा भी वे या उनके बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। ऐसे हालात में उन घुसपैठियों को घुसपैठिया साबित करना अधिक मुश्किल हो जाता है। एक भारतीय नागरिक के पास भले ही एकाध दस्तावेज कम हों या कहें, न भी हों। मगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास ये सारे दस्तावेज 'जुगाड़ तंत्र' के जरिए हासिल किए जा चुके हैं।

एक बार ये सभी दस्तावेज बन जाने के बाद घुसपैठिए आपके पूरे तंत्र को दीमक की भाँति चाटना शुरू कर देते हैं। समय पर इलाज नहीं होने के कारण देश में यह मर्ज अब 'कैंसर' का रूप धारण कर चुका है। देश के लगभग सभी छोटे-बड़े शहरों में बांग्लादेशी पहुंच चुके हैं। इसे रोजगार के लिए सामान्य पलायन मानने की भूल उसी समाज के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है जो मानवता के भ्रम में अब तक घुसपैठ को लेकर आंख मूंदे हुए बैठे था।

पहले तो पुलिस को कुछ आतंकवादी घटनाओं में ही इनकी तलाश रहती थी, लेकिन अब तो शहरों में होने वाले छोटे-बड़े आपराधिक मामलों में भी बांग्लादेशी आए दिन पकड़े जाने लगे हैं। हमारे देश में इन दिनों कई प्रांतों की पुलिस आपराधिक घटनाओं के लिए बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश कर रही है। अब यह समस्या केवल असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा या बिहार की ही समस्या नहीं रह गई है, बल्कि अब यह देशव्यापी हो चुकी है।

ऐसे हालात में घुसपैठ समस्या का हल निकालने के लिए घुसपैठियों की पहचान एक अनिवार्य जरूरत है। जब मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के दरवाजे तक पहुँचा तो कोर्ट ने असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को अपडेट करने का आदेश दिया। दरअसल हमारी किसी भी एजेंसी के पास यह डाटा नहीं है कि देश भर में वास्तविक भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी मिल सके। हमारे देश में जनगणना के उपलब्ध आँकड़ों में वैध नागरिक और घुसपैठियों के नाम घालमेल के साथ शामिल हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया।

भारत में आजादी के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी और उसी के आधार पर असम का एनआरसी तैयार हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी अद्यतन का पहला आधार 1951 की एनआरसी को माना।

अब अगर कोई यह दावा करता है कि वह भारतीय नागरिक है तो इसका मतलब है कि उसके पूर्वज भी भारतीय नागरिक रहे होंगे, अर्थात 1951 के एनआरसी में संबंधित व्यक्ति के पिता- मां, दादा-दादी या परदादा-परदादी का नाम जरूर मिलना चाहिए। यदि नाम मिलता है तो उसकी भारतीय नागरिकता प्रमाणित मानी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी व्यवस्था दी। इसमें बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम 1971 में हुआ था, इसे 'मुक्ति संग्राम' भी कहते हैं। यह युद्ध वर्ष 1971 में 25 मार्च से 16 दिसंबर तक चला था। इस रक्तरंजित युद्ध के जरिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वाधीनता प्राप्त की। इससे पहले यानी 24 मार्च 1971 तक जो लोग भारत में बस गए, उन्हें भारतीय नागरिक माना गया। इस तरह पंचायत से पार्लियामेंट तक जितने भी चुनाव हुए हैं, इन चुनावों की किसी भी मतदाता सूची में अगर उनका स्वयं का या उनके माता-पिता, दादा-दादी अथवा परदादा-परदादी का नाम है, तो उन्हें भी भारतीय नागरिक माना जाएगा।

जिन लोगों के या उनके पूर्वजों के नाम 1951 के एनआरसी और 24 मार्च 1971 के पहले की किसी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि से पहले की निम्नलिखित सूची ए में से कोई भारतीय दस्तावेज या रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें उनका स्वयं का या उनके माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी का नाम हो।

सूची 'ए' के दस्तावेज-

1951 एनआरसी, 24 मार्च 1971 तक की कोई भी चुनावी मतदाता सूची, भूमि और किरायेदारी रिकॉर्ड्स, नागरिकता प्रमाणपत्र, स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, एलआईसी, सरकार द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाण पत्र, सरकारी सेवा या रोजगार प्रमाणपत्र, बैंक या डाक घर के खाते, जन्म प्रमाण पत्र, बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाणपत्र और कोर्ट प्रक्रियाएं या कोर्ट रिकॉर्ड्स को इसके लिए आधार माना गया।

इसके अलावा दो अन्य दस्तावेजों को आधार बताया गया, जिनमें से एक है- सर्कल

ऑफिसर/ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट, यह उन विवाहित महिलाओं के संबंध में है, जो विवाह के बाद किसी अन्य स्थान पर रहने लगी हैं। यह दस्तावेज 24 मार्च, 1971 की आधी रात से पहले या बाद में किसी भी वर्ष का हो सकता है। दूसरा आधार है राशन कार्ड, जिसे समर्थन दस्तावेजों के रूप में जोड़ा जा सकता है। यह 24 मार्च, 1971 की आधी रात से पहले जारी किया गया होना चाहिए। हालांकि इन दोनों दस्तावेजों को केवल तभी स्वीकार किया जाएगा, जबकि यह दस्तावेज उपर्युक्त सूचीबद्ध 14 दस्तावेजों में से किसी एक के साथ प्रस्तुत किए गए हों।

बाद में घुसपैठियों द्वारा घूस देकर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट बनवाने के कई मामले व शिकायतें सामने आने के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विवाहित महिलाओं के संबंध में पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को एनआरसी के लिए योग्य दस्तावेज न मानते हुए उसे अमान्य कर दिया। यहां अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च, 1971 को भारतीय नागरिकता के लिए अंतिम आधार तारीख माना है।

मगर सूची ए के किसी भी दस्तावेज में आवेदक का नाम दर्ज न हो, बल्कि उसके पूर्वजों, यानी पिता-मां, दादा-दादी या परदादा-परदादी का नाम हो तो ऐसे मामलों में, आवेदक को अपने पूर्वज अर्थात, पिता या मां या दादा या दादी या परदादा या परदादी आदि के साथ संबंध स्थापित करने के लिए नीचे सूची बी में दिए दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा दस्तावेज कानूनी तौर पर स्वीकार्य दस्तावेज होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से ऐसे रिश्तों को साबित करता है।

सूची 'बी' में शामिल दस्तावेज

इस सूची में जन्म प्रमाणपत्र, भूमि दस्तावेज, बोर्ड/विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र, बैंक/एलआईसी/डाक घर के रिकॉर्ड, विवाहित महिलाओं के मामले में सर्किल अधिकारी/ ग्राम पंचायत सचिव प्रमाणपत्र, मतदाता सूची और राशन कार्ड के अलावा किसी अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेजों को शामिल किया गया है। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि 24 मार्च, 1971 की आधी रात से पहले तक जारी किए गए किसी भी अवधि के लिस्ट ए के दस्तावेजों में से यदि कोई एक भी दस्तावेज आपके पास है तो आपका नाम, अपडेटेड एनआरसी में शामिल करने के लिए पात्रता सिद्ध करने हेतु पर्याप्त होगा।

ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि 24 मार्च, 1971 की आधी रात से पहले तक जारी किए गए किसी भी अवधि के लिस्ट ए के दस्तावेजों में से यदि कोई एक भी दस्तावेज आपके पास है तो आपका नाम, अपडेटेड एनआरसी में शामिल करने हेतु पात्रता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा।

सवाल उठता है कि क्या इससे तार्किक, पारदर्शी व न्यायसंगत कोई अन्य विकल्प हमारे पास है, जिससे घुसपैठियों की पहचान की जा सके। लिहाजा अब असम में यह अहम काम पूरा होने को है। प्रकाशित हुए एनआरसी ड्राफ्ट के मुताबिक कुल 4077070 लोग अपनी भारतीय नागरिकता को प्रमाणित नहीं कर सके हैं। इनमें कुछ तकनीकी कारणो से जो स्वदेशी भारतीय असम में रह रहे हैं, वे भी अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सके। इनके अलावा बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए कुछ हिंदू शरणार्थी भी हैं तो शेष लाखों की संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए भी हैं। अभी तो एनआरसी ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद एनआरसी में नाम जोड़ने व हटाने के लिए दावे और आपत्तियों का दौर जारी है। इनके निराकरण के बाद अंतिम यानी निर्णायक एनआरसी दस्तावेज हमारे सामने होगा।

एनआरसी के बाद क्या?

निर्णायक एनआरसी प्रकाशन के बाद जिनके नाम इस सूची में नहीं होंगे, उनकी भारतीय नागरिकता निरस्त कर दी जाएगी।

बात साफ है, वे मतदान प्रकिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जमीन नहीं खरीद सकेंगे, सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे और यदि सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जा सकेगा, उनके वे सारे दस्तावेज निरस्त कर दिए जाएंगे जो उन्होंने जुगाड़ से हासिल किए हैं और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ने के प्रयास भी होंगे।

क्या एनआरसी से बांग्लादेश से आए हिंदुओं के नाम भी बाहर होंगे? भारत सरकार ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि वह हिंदुओं समेत पड़ोसी देशों के अन्य अल्प-संख्यकों को शरण देने और अपना नागरिक बनाने की पक्षधर है। इस मकसद से सरकार को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन करने होंगे। जुलाई 2017 में नागरिकता अधिनियम, 1955 के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए पेश विधेयक फिलहाल संसद की स्थायी समिति के पास विचाराधीन है। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिना किसी वैध कागजात के भागकर आने वाले गैर-मुसलमान अप्रवासियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके दायरे में ऐसे लोग भी शामिल होंगे, जिनका पासपोर्ट या वीजा खत्म हो गया है।

प्रस्तावित संशोधन के बाद अब उन्हें अवैध नागरिक या घुसपैठिया नहीं माना जाएगा । सरकार को इस मसले पर थोड़ी शीघ्रता करनी चाहिए, ताकि धार्मिक उत्पीड़न के चलते पड़ोसी देशों से आए हुए हिंदुओं को एनआरसी प्रकाशन के बाद अनावश्यक तकलीफ का सामना न करना पड़े। हालांकि असम में आसू और असम गण परिषद इस प्रस्तावित संशोधन के विरोध में हैं। उनका मानना है कि असम वैसे ही घुसपैठ की समस्या से त्रस्त है, इसलिए असम 24 मार्च, 1971 के बाद आए हुए किसी भी घुसपैठिए को चाहे वह किसी भी धर्म का हो, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को इस मसले पर एक देशव्यापी रणनीति व व्यवस्था बनानी होगी,

घुसपैठियों की हिंसात्मक गतिविधियों और उनकी धमकियों का अगर ईमानदारी के साथ विश्लेषण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हमें इससे भी अधिक भयावह हिंसा का तांडव देखना पड़ेगा।

जिससे सौहार्दपूर्ण माहौल में हिंदुओं के समेत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों का इस देश में व्यवस्थित पुनर्वासन संभव हो सके। साथ ही उनकी नागरिकता सुनिश्चित तरीके से बहाल की जा सके।

क्या असम में एनआरसी का काम पूरा होने के बाद घुसपैठ समस्या सुलझ जाएगी ? यह बड़ा सवाल है और साथ ही समाधान का अत्यंत महत्त्वपूर्ण पड़ाव भी है। इससे घुसपैठ समस्या का पूर्णतया समाधान हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन घुसपैठ समस्या के समाधान का हर रास्ता एनआरसी से होकर ही गुजरता है, यह एक तयशुदा सच है। घुसपैठ समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले सरकार को घुसपैठियों की पहचान करनी होगी। घुसपैठ समस्या आज देशव्यापी है तो फिर केवल असम के एनआरसी से देश भर में घुस चुके बांग्ला देशी घुसपैठियों की पहचान नहीं होगी। लिहाजा भारत रक्षा मंच की यह मांग रही है कि असम के एनआरसी को पायलट प्रोजेक्ट मानते हुए इसे लागू किया जाए। उसके बाद इसी मॉडल पर पूरे देश भर का एनआरसी तैयार किया जाना चाहिए।

असम की एनआरसी पूरा हो जाने के बाद भी जिन लोगों की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में होगी, उन्हें बांग्लादेश वापस भेजना बहुत आसान नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि वह अपने राजनयिक प्रभाव का प्रयोग करते हुए कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश सरकार को इन्हें वापस बुलाने के लिए तैयार करे। इस मसले पर सरकार को किसी भी दबाव में न आते हुए घुसपैठियों को इस देश से बाहर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहना होगा।

एनआरसी को बाधित करने की साजिश

हमारे देश के कुछ लोग, संगठन और राजनीतिक दलों के अलावा मीडिया का एक वर्ग ऐसा भी है, जिसे राष्ट्रहित के हर काम से बड़ी तकलीफ होती है और वे संगठित तरीके से ऐसे काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते रहते हैं। लंबे समय से सत्ता में रही कांग्रेस पर तो ये आरोप रहे ही हैं कि वह बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानकर उन्हें बसाने के लिए ज्यादा सक्रिय रही है, इसलिए अब असम के दस जिलों में स्थानीय असमिया समाज अल्पसंख्यक हो चुका है। जब एनआरसी का काम असम में शुरू होना था, उन्हीं दिनों सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एनआरसी का काम दो स्थानों बरपेटा और छयगाँव में करने का निश्चित किया गया। जिस दिन एनआरसी का काम बरपेटा मे शुरू

हुआ, उसी दिन मुस्लिम छात्रों के एक संगठन अअटरव यानी ऑल असम माइनॉरटी स्टूडेंट्स यूनियन ने यह मानते हुए कि एनआरसी से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान प्रभावित होंगे, मुसलमानों की भीड़ के साथ बरपेटा डीसी ऑफिस में हमला बोलकर व्यापक तोड़फोड़ और आगजनी की। नतीजतन तत्कालीन असम की तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कॉंग्रेस सरकार ने कानून-व्यवस्था के नाम पर पूरे एनआरसी के मसले को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद लगभग एक साल बाद एनआरसी का काम असम में फिर शुरू हो पाया। अब तमाम पथरीली राहों के बाद असम में एनआरसी को सांप्रदायिक रंग में रंगकर देश को जलाने की धमकी मिलने लगी है।

जमीयत उलेमा ए हिन्द के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एनआरसी के मसले पर धमकी देते हुए कहा है कि एनआरसी के बहाने लाखों मुसलमानों को भारत से बाहर खदेड़ने की साजिश की जा रही है। इससे पूरे असम में आग लग जाएगी, लोग मारेंगे भी और मरेंगे भी। नई दिल्ली में दिल्ली एक्शन कमिटी की एक बैठक में मदनी ने आरोप लगाया, बीजेपी चाहती है कि असम के लाखों मुस्लिमों को एनआरसी से बाहर रखा जाए। उन्होंने कहा था कि सरकार एनआरसी से 50 लाख मुस्लिमों को बाहर रखकर उनके लिए राज्य में रोहिंग्या जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है। उनका आरोप है कि पंचायती सर्टिफिकेट्स को अमान्य कर 48 लाख विवाहित मुस्लिम महिलाओं के नाम हटाने की साजिश की जा रही है।

जबकि वास्तविकता यह है कि एनआरसी से उन्हीं लोगों के नाम बाहर होंगे, जो 24 मार्च, 1971 के पूर्व का कोई भी वैध दस्तावेज देने में नाकाम रहे हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। इस तरह के बयान सरकारों को धमकाने व दबाव में लाकर एनआरसी को बाधित करने की मंशा से दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनीटरिंग में संपन्न हो रहे पारदर्शी एनआरसी से केवल मुस्लिम संगठनों की बौखलाहट से यह बात साफ है कि इस प्रक्रिया के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम घुसपैठियों की तकलीफें बढ़ जाएंगी। एनआरसी से उन राजनीतिक दलों में भी घबराहट है, जिन्हें मुस्लिम घुसपैठियों की नागरिकता छिन जाने से अपना वोट बैंक भी समाप्त होता हुआ नजर आने लगा है।

मदनी जैसे मजहबी नेताओं के बयान आने पर अब भारत के मुसलमानों को भी यह तय करना है कि देशहित के लिए वह खुद आगे आएंगे या कौम की लड़ाई में देश का एक दूसरा टुकड़ा करना चाहते हैं। अगर कौम को देशहित से ऊपर रखा जाता है तो यह सरासर देश के साथ गद्दारी है। ऐसे में यह कहने-समझने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि मुसलमानों का देशहित मात्र दिखावा है, जिसे भड़काकर कोई भी स्वहित में बदल सकता है। हमें इस बात से भी निराशा होना स्वाभाविक है कि बेसिर-पैर की जरा सी बातों पर फतवा जारी करने वाले भारत के अनेक इस्लामी संगठन, मौलवी या फिर काजी किसी ने भी असम को जला देने की धमकी देने वाले मदनी के खिलाफ कोई फतवा जारी क्यों नहीं किया।

अपनी खुफिया इंटेलीजेंस एजेंसियों के मुताबिक आज देश में तकरीबन 5 से 6 करोड़ घुसपैठिए हैं। दूसरी ओर, पूरे असम की जनसंख्या लगभग तीन करोड़ है यानी असम जैसे दो राज्य बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बगैर युद्ध किए हमसे छीन लिए हैं। हमारे जल, जंगल और जमीन और यहां तक कि बेटियां भी इनका शिकार बन रही हैं। हमारे संसाधनों

पर इनका अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। हमारे टैक्स से चलने वाली शासकीय सुविधाएं जैसे मुफ्त राशन, शिक्षा, चिकित्सा, आवास या रोजगार का लाभ घुसपैठिए उठाने लगे हैं, जबकि यह लाभ इस देश के गरीबों को मिलना चाहिए था।

अब तो जहां भी इनकी संख्या बढ़ रही है, वहीं से स्थानीय लोगों का जबरिया पलायन शुरू हो गया है। इनके इलाके देशविरोधी गतिविधियों का अड्डा बनते जा रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। अक्टूबर 2008 में असम के उदालगुड़ी जिले में इन मुस्लिम घुसपैठियों ने हजारों की संख्या में बोडो बस्तियों पर हमला किया। इसी तरह जुलाई 2012 में असम के ही कोकराझार में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों एवं स्थानीय बोडों के बीच हुआ भीषण सशस्त्र संघर्ष इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों की तस्वीर कितनी भयावह हो सकती है। हमारी लोतांत्रिक सरकारों ने इस समस्या के स्थाई समाधान के बजाए पीड़ितों को राहत-पुनर्वास और मुआवजे का मरहम देकर इस समस्या को ढंकने का प्रयास ही ज्यादा किया है।

घुसपैठियों की हिंसात्मक गतिविधियों और

कट्टरपंथियों को यह पता चल गया है कि जब भी वे अपनी मांग रखें और उसे न माना जाए तो हिंसा करो। चूंकि कट्टरपंथियों की हिंसा के सामने हमारी सरकारें अब तक झुकती रही हैं। लिहाजा यह आशंका प्रबल है कि एनआरसी को लेकर वे असम समेत पूरे देश में बवाल करने की कोशिश करेंगे।

उनकी धमकियों का अगर ईमानदारी के साथ विश्लेषण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हमें इससे भी अधिक भयावह हिंसा का तांडव देखना पड़ेगा। इस समस्या ने कैंसर का रूप ले लिया है, जो बचाव, राहत के उपाय और क्षतिपूर्ति के मरहम से ठीक नहीं हो सकती। वास्तव में इसके लिए हमें पूरी सर्जरी करने की जरूरत होगी। सवाल उठता है, क्या हमारी सरकारें क्षतिपूर्ति के मरहम से इस समस्या को ढंकने की जगह पूर्ण सर्जरी का साहस जुटा पाएंगी या देश को अपने इस नासूर के साथ इसी तरह कराहने के लिए छोड़ देंगी?

अभी तक सरकारें कभी हिंसा की आशंका या हिंसा से डरकर या मुस्लिम वोट बैंक गायब होने के डर से कट्टरपंथियों की नाजायज मांगों के सामने झुकती रही हैं। शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटना हो या फिर एनआरसी मसले पर असम के बरपेटा डीसी ऑफिस में तोड़-फोड़ के बाद तरुण गोगोई सरकार का एनआरसी प्रक्रिया को रोकना। दरअसल इन कट्टरपंथियों को पता चल गया है कि जब भी वे अपनी मांग रखें और उसे न माना जाए तो हिंसा करो। चूंकि कट्टरपंथियों की हिंसा के सामने अब तक हमारी सरकारें झुकती रही हैं। लिहाजा यह आशंका प्रबल है कि एनआरसी को लेकर वे असम समेत पूरे देश में बवाल करने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि वर्तमान सरकार इनकी संभावित गुंडागर्दी के सामने झुकेगी या इनकी गुंडागर्दी को माकूल जवाब देगी।

इतिहास बहुत निर्मम होता है। वह आपको इस कारण से याद नहीं रखेगा कि आपकी पार्टी ने कितने चुनाव जीते या कितने राज्यों में आपकी सरकार है या कितने लंबे समय तक आपकी पार्टी सत्ता में रही है, बल्कि वह आपको इसलिए याद रखेगा कि जब राष्ट्र पर संकट आया तो आपने देश और देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए कितना पुरुषार्थ दिखाया। ऐसे में वर्तमान सरकार को इस दिशा में बाधा डालने वाले तत्त्वों के खिलाफ कठोर निर्णय लेने का साहस जुटाना होगा, ताकि वह राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को लागू कर सके। इसके लिए सरकार को पूरी राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी रखनी चाहिए। याद रहे, घुसपैठ जैसा कैंसर केवल बीमारी ही नहीं है, बल्कि सक्षम नेतृत्व के लिए सर्जरी का अवसर भी है।

(लेखक भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

> इस अस्वाभाविक बदलाव के कारण सत्तर के दशक में ही असम समस्या खड़ी हो गई

डॉ. नंद किशोर गर्ग

पुराने कोढ़ का इलाज करे सरकार

बांग्ला देश की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले कथित शरणार्थियों को लेकर अब केंद्र सरकार का रुख साफ हुआ है। बावजूद इसके, यह समझना जरूरी है कि आज की परिस्थिति में देश की आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों पर खुलेआम डकैती डालने की छूट किसी भी शरणार्थी समूह को नहीं देनी चाहिए। लिहाजा अब असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का मुद्दा प्रासंगिक हो गया है।

असम का राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अब प्रकाशित हो चुका है। इस पंजिका का अंतिम भाग को लेकर देश भर में तरह-तरह की चर्चा सुनने को मिल रही हैं। इस चर्चा में कोई बांग्ला देश से आने वाले लोगों को 'शरणार्थी' बता रहा है तो कोई 'घुसपैठिया'। धारणा बनाने का अधिकार हर किसी को है, मगर कोई मुद्दा राष्ट्र को असहज करने वाला हो, फिर तो इस तरह की चर्चा पर गंभीरता के साथ विचार करना जरूरी हो जाता है।

इन कथित शरणार्थियों को लेकर भी अनेक तरह के मत सामने आ रहे हैं। हालांकि इस विषय पर सरकार की ओर से भी स्पष्टीकरण आया है। बावजूद इसके यह समझना जरूरी है कि आज की परिस्थितियों में देश की आतंरिक स्थिति, साथ ही पड़ोसी देशों की आतंरिक स्थिति के अलावा भारत के उनके दीर्घकालीन संबंधों को आधार बना कर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की प्रासंगिकता को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

दरअसल भारत में असम एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की व्यवस्था दी गई है। ब्रिटिश भारत के दौरान वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उन दिनों असम को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ दिया गया। बाद में विभाजन के समय पूर्वी बंगाल का स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में बदलने लगा तो मुस्लिम लीग के नेताओं ने असम को भी पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कराने का प्रयास किया। मगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई के विरोध से ऐसा नहीं हुआ। फिर भी इसका एक भाग यानी सिलहट क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तब के पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से भारी संख्या में अवैध अप्रवासियों को भारतीय नागरिकों से अलग करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पहली बार वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाया गया। यह रजिस्टर 1951 की जनगणना के बाद बनकर तैयार हुआ था। इस रजिस्टर में उन दिनों असम में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया था।

बाद के वर्षों में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि 1951 से 1961 के दशक में असम की जनसंख्या करीब 36 प्रतिशत बढ़ गई और 1961 से 1971 के बीच जनसंख्या 35 प्रतिशत तक बढ़ गई। उन दिनों पूर्वी पाकिस्तान में जब भाषा के आधार पर आतंरिक संघर्ष आरंभ हुआ तो वहां के नागरिकों के एक बड़े समूह को भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। यहां पर यह चर्चा करना आवश्यक है कि अंग्रेजी काल में ही भारत की पहली जनगणना (वर्ष 1861) कराने वाले अंग्रेज अधिकारी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आबादी के अधिक घनत्व के चलते मैमनसिंहपुर जैसे (अब बांग्लादेश में) जिलों से लोगों का असम स्थानांतरित होना स्वाभाविक होगा।

वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाक सेना और मुक्तिवाहिनी के बीच संघर्ष के दिनों में दौरान 10 लाख से अधिक लोगों ने केवल असम में शरण ली। स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व में आने पर भारत आए शरणार्थियों का कुछ भाग तो वापस लौट गया लेकिन उसमें से बहुतेरे असम सहित देश के अन्य भागों में अवैध रूप से ठहर गए। यही नहीं, स्वतंत्र बांग्लादेश बनने के बाद भी बड़े स्तर पर बांग्लादेशियों का असम में अवैध रूप से आने का क्रम चलता रहा। परिणामतः वहां की मुस्लिम जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। इस तरह 1971 से 1978 के बीच असम में मतदाताओं की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई।

जनसंख्या में होने वाले इस अस्वाभाविक बदलाव के कारण असम के मूल निवासियों में भाषायी, सांस्कृतिक, आर्थिक, और राजनीतिक असुरक्षा की भावना बलवती हुई और 1978 तक यह भावना एक बड़े आंदोलन में बदल गई। इस आंदोलन का नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने किया, जिसमें असम साहित्य सभा सहित कई क्षेत्रीय राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों का व्यापक सहयोग रहा। आंदोलनकारियों का यह दावा रहा कि राज्य की जनसंख्या का 31 से 34 प्रतिशत भाग बांग्लादेश से आए हुए लोगों का है। लिहाजा यह उनकी प्रमुख मांग थी कि केंद्र सरकार असम की सीमाओं को सील करे, बाहरी लोगों की पहचान करे और उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाए। यह अहम काम होने तक तक असम में कोई चुनाव नहीं करवाए जाएं। आंदोलन की आवाज में साथ देने वालों की भी यह मांग थी कि अगले चुनावों से पहले बंग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की

व्यवस्था की जाए और वर्ष 1961 के बाद भारत के अन्य राज्यों से आये हुए लोगों को भी उनके गृह राज्यों में वापस भेजा जाए अथवा मूल निवासियों के बहुमत वाले किसी अन्य क्षेत्र में उन्हें नए सिरे से बसाया जाए।

जब केंद्र सरकार ने 1983 में असम विधानसभा चुनाव करवाने का निर्णय लिया तो आंदोलन से जुड़े हुए संगठनों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया। लिहाजा उस चुनाव में मूल निवासियों के बहुमत वाले क्षेत्रों में तीन फीसदी से भी कम मतदान हुआ। साथ ही राज्य को भारी हिंसा के दौर से गुजरना पडा। इस दौरान सरकार और आंदोलनकारियों में समझौता वार्ता आरम्भ हुई और लंबे समय तक वार्ता चलने के बाद भी आंदोलन के नेताओं और केंद्र सरकार में कोई सहमति नहीं हो पाई। 1984 लोकसभा चुनावों के दौरान भी यहां के 16 संसदीय क्षेत्रों में से 14 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव नहीं हो पाया था। 1979 से 1985 तक राज्य में निरंतर अस्थिरता बनी रही। इसी बीच राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा, लेकिन राज्य में लगातार आंदोलन होते रहे और इस कारण कई बार भारी हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई।

इस दौरान आंदोलन के नेताओं और केंद्र सरकार की बातचीत भी चलती रही, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 1985 में केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे असम समझौता के नाम से जाना गया। हिंसा के लंबे दौर के बाद हुए इस समझौते के अनुसार, 1951 से 1961 के बीच असम आए लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान के अधिकार देने का निर्णय किया गया। 1961 से 1971 के बीच आने वाले लोगों को नागरिकता तो दी गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि 1971 के बाद असम में आए हुए लोगों को वापस भेजने पर सहमति बन सकी।

साथ ही इस समझौते में असम के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई। केंद्र सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि असमियाभाषी लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की सुरक्षा के लिए विशेष कानून और प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी। समझौते के आधार पर बाद में मतदाता-सूची में संशोधन किया गया और विधानसभा भंग करके 1985 में पुनः विधानसभा चुनाव कराए गए। दरअसल तब असम आंदोलन के केंद्र में थी तीन डी, यानी डिटेक्शन, डिलीशन और डिपोर्टेशन। मगर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते 1985 के असम समझौते को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका। इसमें तब के आंदोलन के प्रमुख नेता बाद में 1985 और उसके बाद की सरकार में बने रहे, बावजूद इसके उनकी भी हीला-हवाली दिखाई पड़ी। बाद की केंद्र सरकारों ने अलग-अलग समय पर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को अपडेट करने का प्रयास किया, परंतु राजनीतिक अस्थिरता और राज्य की आतंरिक स्थिति के वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका।

भारतीय सीमा के उस पार बैठी हुई भारत विरोधी शक्तियों से इनके संपर्क की खबरें आती रहती हैं। यहां से निकलकर देश के अन्य प्रान्तों में भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं।

फिर लंबे समय बाद कई तरह की राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया से होकर 2015 में उच्चतम न्यायालय के निर्देश और देख-रेख में यह कार्य आरंभ हो सका। इस पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को अपडेट करने के प्रति असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सवार्नंद सोनोवाल की प्रतिबद्धता

प्रशंसनीय है। ज्ञातव्य है कि सोनोवाल व्यक्तिगत स्तर पर उच्चतम न्यायालय गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी से पहले असम गण परिषद में थे। अखिल असम विद्यार्थी संघ सोनोवाल का जातीय नायक के रूप में सम्मान करती है।

इस सूची में शामिल होने के लिए 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, जिनमें से 2.89 करोड़ लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है और 40-41 लाख लोगों को इस सूची से बाहर रखा गया है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इस पर किसी प्रकार की कठोरता अपनाने से मना किया है और गृह मंत्रालय ने भी इन्हें कानूनी सहायता देने की बात कही है। असम के राष्ट्रीय नागरिकता

घुसपैठ कराए वोट की खातिर सेक्यूलरी गद्दार पुराने शातिर।

रजिस्टर को आधार मानकर देश के कई प्रांतों से भी यह मांग उठने लगी है कि पूरे देश का राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जरूर तैयार होना चाहिए, जिससे देश भर के अंदरूनी हिस्से में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान सुनिचित की जा सके।

एक आंकलन के तहत देश में लगभग तीन करोड़ बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास भारत में रहने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। यह संख्या बांग्लादेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20 फीसदी है और भारत के कई राज्यों की जनसंख्या के बराबर तो दस से अधिक प्रदेशों की जनसंख्या से बहुत अधिक है, जो राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। भारत के बाहर से आकर भारत में रह रहे लोगों में एक समूह ऐसा भी है, जो भारत में शरणार्थी के रूप में यहां रहने पर विवश है, जिसको अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास के कारण उसके अपने देश में भारी अत्याचार, शोषण और समय-समय पर जातीय नरसंहार का सामना करना पड़ा है।

इसके साथ ही अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे लोग भारत की आतंरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। ये अवैध लोग न केवल समय-समय पर कानून- व्यवस्था के लिए समस्या बने हुए हैं, अपितु भारत के संसाधनों जिन पर नैसर्गिक रूप से भारतीय नागरिकों का एकछत्र अधिकार होना चाहिए, उन पर भी कब्जा जमाए हुए हैं। साथ ही देश में अनेक तरह की हिंसक व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। साथ ही भारतीय सीमा के उस पार बैठी हुई भारत विरोधी शक्तियों से इनके संपर्क की खबरें आती रहती हैं। यहां से निकलकर देश के अन्य प्रान्तों में भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं।

इस मुख्य मुद्दे के अलावा वहां की मूल जनसंख्या में भारी असंतुलन होने के कारण उस क्षेत्र-विशेष में अतिवाद और अलगाववाद का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। आज असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्य, पश्चिम बंगाल और बिहार के अनेक जिलों में अवैध प्रवासियों के कारण भारी जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा हो

चुकी है। 1947 में भारत के विभाजन का आधार केवल धार्मिक दुराग्रह था, जिसके चलते देश को भारी हिंसा के दौर से गुजरना पड़ा था। दरअसल यह एक दुराग्रह ही था, जिसके कारण भाषा, खान-पान जैसी बातों में मूल रूप से असमानता होने के बावजूद हजार मील दूरी स्थित भौगोलिक भू-भाग पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया और भारत से अलग होने का आधार महज धर्म रहा। तर्क दिया गया, 'हमारे धर्म अलग हैं, इसलिए हम साथ नहीं रह सकते।''

इस तरह देश के विभाजन के समय ही जनसंख्या के आधार पर संसाधनों का विभाजन भी उसी अनुपात में हुआ। मगर उसके बाद फिर से इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। यह न सिर्फ भारत के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव है, बल्कि इसके पीछे की सियासी साजिश पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। विभाजन के समय ही धार्मिक आधार पर असम सहित अन्य कई प्रांतों पर इनका दावा पेश किया गया था। लिहाजा अब यह सवाल वर्तमान भारत की अखंडता और संप्रभुता का भी हो गया है।

ऐसे माहौल में इस विषय को केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके अन्य पहलुओं का बेहद सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लेना देश हित में होगा। अब वक्त आ गया है, जब हर हाल में घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार को नई तकनीक का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को पूरे देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान के लिए एक ठोस तंत्र बनाना होगा। अपनी धार्मिक आस्था के चलते अपने देश में दमन का शिकार हुए वे लोग इस भीड़ में शामिल हैं, जिनकी सांस्कृतिक व धार्मिक आस्था का केंद्र भारत है। उनका दमन करके वहां की दमनकारी नीतियां और बहुसंख्यक आबादी द्वारा निर्ममता पूर्वक निरंतर नरसंहकार करती रही हैं। दरअसल यह लोग लंबे समय से आत्मरक्षार्थ भारत में रह रहे हैं। उनको नागरिकता देकर देश के अलग-अलग प्रांतों में बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां अपेक्षाकृत जनसंख्या का घनत्व कम है। असम पर बोझ न पड़े, इस लिहाज से ऐसा करना जरूरी है। जरूरी है कि इन शरणार्थियों को नई जगह पर बसाने हेतु केंद्र सरकार उदारतापूर्वक खर्च का भार उठाए। यहां यह कहना प्रासंगिक होगा, इस मसले में हमें चीन से सबक लेते हुए विरल जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में ऐसे लोगों को बसाए जाने को प्रोत्साहन देना चाहिए। किसी कीमत पर हमारी सरकार को दबाव में देश की सुरक्षा और संसाधनों से कदापि समझौता नहीं करना चाहिए।

दरअसल आज के दौर में आवश्यकता इस बात की है कि हम वोट और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या को हल करें। राष्ट्र के मसले पर प्रत्येक व्यक्ति को जनसंख्या संबंधी निदेर्शों और कानूनों को मानना ही चाहिए। ऐसा न करने पर उस व्यक्ति या परिवार को मिलने वाली शासकीय सहायता पर रोक लगनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के यह बात सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। वह व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग या पंथ से क्यों न हो। अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत में रह रहे लोगों की पहचान कर मतदाता सूची से उनका नाम काटना जरूरी है और उन्हें उनके मूल देश में भेजने का तत्काल प्रबंध करना चाहिए। हां, इस बीच तब तक महज मानवीय आधार पर उनको मौलिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

(लेखक महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश में कुलाधिपति हैं।)

वयं रक्षामः

भारत रक्षा मंच

Save India Forum

मंचगान

भारत रक्षा मंच ने, तन मन से ली ठान।
घुसपैठ, आतंक से मुक्त हो, अखण्ड हिंदुस्तान।।

अखण्ड हिंदुस्तान अगर यह बटवारा नहीं किया होता।
जो भारी जन धन की हुई हानि, बर्बाद देश में न होता।
अब फिर से दुश्मन है सक्रिय, वह देश विभाजित करने को,
घर में छिपे हुए गद्दार आज भी, लगे खुशामद करने को।।

पक अधिकृत कश्मीर गया, अब अपना कश्मीर निकलना है,
केरल, वंश, आसाम दांव पर, जो अब भी नहीं संभलना है।
पाक और बंगलादेश हमें अब राहू केतू जैसे हैं,
हमें ग्रहण की तरह सताते, अफसोस कि हम चुप कैसे हैं।

जो हिंदू घटा तो देश बंटा, यह शत प्रतिशत बात सही मानों,
जो इतिहास देखकर अभी न संभले, उसको मूर्ख निरा मानो
मुगलों और अंग्रेजों की बेपीर दास्तां भूल रहे,
अनगिनत शहीदो की कुर्बानी, क्या अब हम सब भूल रहे।

जरा सोचों! जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहां होगा?
और हिंदू ही नहीं होगा तो हिंदुस्तान कहां होगा?
जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वह पानी है।
जो अपने वतन के काम न आवै, वह बेकार जवानी है।

उठो सपूतों आगे आओ, अब हिंदू धर्म बचाना है,
दुश्मन के मंसूबे कुचलो, हिंदुस्तान बचाना है।
आतंकवाद घुसपैठ समस्या, जड़ से हमें मिटाना है
जो सत्ता लोलुप, हिंदू विरोधी, इनको मजा चखाना है।

कथनी करनी में फर्क न हो, गंभीर हमें अब रहना है
कसम हमें भारत मां की दुश्मन को हमें कुचलना है,
घर में छिपे हुए गद्दारों की भी करके खोज पकड़ना है,
चाहे कितनी हो घोर समस्या हिंदू को संगठित रहना है।।

जिम्मेदारी समझो अपनी कर्तव्यनिष्ठ हो काम करो,
डरपोकपना, बुजदिली छोड़ निर्भीक रहो न कभी डरो।
आशावादी बनो, निराशा कभी तुम्हें न छू पावे,
फिर कौन माई का लाल, हमारे मार्ग में बाधा पहुंचावे।।

हम हिंदू, हम हिंदुस्तानी, यह जग को बतलाना है,
निहित स्वार्थी अकर्मण्य, हिंदू को हमें जगाना है।
भारत रक्षा मंच का कहना, यह घर-घर में पहुंचाना है,
देशवासियों तन, मन, धन देकर भी, देश को हमें बचाना है।।

TRUST that's fuelling India's growth

ENERGISING THE FLAME OF LIFE

FUELLING THE HEARTBEAT OF AGRICULTURE

TURNING THE GEARS OF GROWTH

STEERING THE WHEELS OF CHANGE

POWERING THE WINGS OF CONNECTIVITY

इंडियनऑयल
IndianOil

2018
YEAR OF **TRUST**

Follow us on: /IndianOilCorpLimited /IndianOilcl /indianoilcorporationlimited /indianoilcorp

www.iocl.com

अंत्योदय सरल परियोजना का उपहार हर गरीब का होगा उद्धार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर
भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता

पं.दीनदयाल उपाध्याय
महान विचारक एवं समाज सुधारक

जिला, उप-मण्डल एवं तहसील स्तर पर
अंत्योदय एवं सरल केन्द्र

483 सेवाएं एवं योजनाएं

115 अंत्योदय एवं सरल केन्द्र

एक ही छत के नीचे प्रदान करने वाला
हरियाणा देश का पहला राज्य

4,000 अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से

गेल (इंडिया) लिमिटेड

लाएं
ताज़गी भरा बदलाव

- हरित ईंधन प्राकृतिक गैस अपनाएं
- सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें
- प्रदूषण-मुक्त वातावरण बनाएं

Hawa Badlo

#HawaBadlo

www.changetheair.org

#HawaBadlo